दृष्टि The Vision

क्विक रिवीज़न कोर्स

प्रिलिम्स-2020

करेंट अफेयर्स

महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों का संकलन

Drishti Publications dp

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष: 87501 87501

Website:

www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com

E-mail :

booksteam@groupdrishti.com

सवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' (National Education Policy-2020) को मंज़ूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' [National Policy on Education (NPE), 1986] को प्रतिस्थापित करेगी।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था।
- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020' वर्ष 1968 और वर्ष 1986 (जिसे 1992 में संशोधित किया गया था) के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।
- NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषायी बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
- इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

MHRD के नाम में परिवर्तन

- कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development-MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Ministry of Education) करने को भी मंज़ूरी दी गई है।
- NEP-2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने का उद्देश्य 'शिक्षा और सीखने (Education and Learning)' पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है।

कॅरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

'नेशनल कॅरियर सर्विस' और 'टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईओएन' (Tata Consultancy Services ION) की संयुक्त पहल से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये निःशुल्क ऑनलाइन 'कॅरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम' (Career Skills Training) शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- 'कॅरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम' के तहत उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का विकास तथा वर्तमान में उद्योगों में कौशल की मांग के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 'नेशनल कॅरियर सर्विस' पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
- 'नेशनल कॅरियर सर्विस' पोर्टल पर रोज़गार संबंधी सभी सेवाएँ जैसे कि रोज़गार की खोज, कॅरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- 'नेशनल कॅरियर सर्विस' पोर्टल पर लगभग 1 करोड़ सक्रिय नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार और लगभग 54 हज़ार नियोक्ता पंजीकृत हैं। साथ ही पोर्टल के माध्यम से लगभग 73 लाख नियुक्तियाँ की गई हैं।
- देशभर में 1000 रोज़गार कार्यालयों (जिनमें 200 मॉडल कॅरियर केंद्र) को 'नेशनल कॅरियर सर्विस' पोर्टल से जोड़ा गया है।

नेशनल कॅरियर सर्विस

- 20 जुलाई, 2015 को 'नेशनल कॅरियर सर्विस' की शुरुआत की गई थी। यह पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है।
- यह पोर्टल श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन है।
- नेशनल कॅरियर सर्विस भारत के नागरिकों को रोज़गार और कॅरियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है।
- यह पोर्टल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में कार्य करता है।

न्यायालयी भाषा

सर्वोच्च न्यायालय ने 'हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम' 2020 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्त्ताओं को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है। याचिका में 'हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

मुख्य प्रावधान

- 'हरियाणा राजभाषा अधिनियम' में आवश्यक परिवर्तन के लिये अधिनियम में एक नवीन उप-धारा 3(a) जोड़ी गई है।
- यह उप-धारा हरियाणा में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल, आपराधिक तथा राजस्व न्यायालयों, किराया न्यायाधिकरणों तथा राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य न्यायाधिकरणों में केवल हिंदी भाषा में कार्य करने का प्रावधान करती है।
- अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, हरियाणा राज्य के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये हिंदी का उपयोग किया जाएगा, केवल उन अपवादित कार्यों को छोड़कर, जिन्हें हरियाणा सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करती है।
- संविधान का अनुच्छेद-345 किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। हरियाणा सरकार द्वारा 'हरियाणा राजभाषा अधिनियम' को अनुच्छेद-345 में की गई व्यवस्था के तहत बनाया गया है।

महत्त्व

निचले न्यायालयों में अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग के कारण हरियाणा राज्य में वादकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों को शिकायतों या अन्य दस्तावेज़ों की समझ के लिये पूरी तरह से वकीलों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग के कारण गवाहों को भी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को अंग्रेज़ी भाषा की अच्छी समझ नहीं होती है।

न्यायपालिका के भाषा संबंधी प्रावधान

- संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में अनुच्छेद-348 में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:
- जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही, केवल अंग्रेज़ी भाषा में होगी।
- हालाँकि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है।
- परंतु न्यायालय के निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेज़ी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न दे।
- राजभाषा अधिनियम-1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी संलग्न करना होगा।

वंशधारा नदी जल विवाद

वर्ष 2009 से आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य उत्पन्न 'वंशधारा जल विवाद' के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा सरकार से वार्त्ता करने की बात कही गई है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंशधारा और नागावल्ली नदी की इंटर-लिंकिंग को पूरा किया जाने तथा 'मड्डुवालासा परियोजना' (Madduvalasa Project) का भी विस्तार किये जाने की योजना बनाई जा रही है।
- मड्डुवालासा परियोजना आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र श्रीकाकुलम और विजयनगरम दो ज़िलों में फैला हुआ है।
- इस परियोजना के जलाशय के लिये पानी का मुख्य स्रोत सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी नागवल्ली नदी में एक इंटरलिंक बनाकर की जा रही है।

आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के उस आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें 'अनुसूचित क्षेत्रों' में स्कूल शिक्षकों के पदों पर 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribes-STs) के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था।

प्रमुख बिंदु

हालाँकि परिस्थितियों को देखते हुए संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश के इस नियुक्ति आदेश को रद्द नहीं किया है लेकिन भविष्य में इस तरह के प्रावधान नहीं करने को कहा है।

- संवैधानिक पीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि आरक्षण के हकदार लोगों की आरक्षण सूचियों को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिये।
- सूचियों का अद्यतन, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बिना किया जा सकता है अर्थात् किसी वर्ग को प्रदान किये गए आरक्षण के कुल प्रतिशत में किसी प्रकार की कमी न की जाए।

आंध्र प्रदेश सरकार का पक्ष

- अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने के पीछे सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि 'आदिवासियों को केवल आदिवासियों द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिये।'
- पीठ ने सरकार के पक्ष को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब अन्य स्थानीय निवासी जनजातीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो वे भी इन आदिवासियों को पढ़ा सकते हैं।

आरक्षण व्यवस्था पर चिंता

- पाँच जजों की संविधान पीठ ने 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (Other Backward Classes-OBCs), 'अनुसूचित जाति' (Scheduled Castes-SCs) तथा 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribes-STs) वर्गों में आरक्षण व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है।
- पीठ के अनुसार OBCs/STs/SCs वर्गों में भी अनेक सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत उपवर्ग हैं जिनकी वजह से आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्गों के सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से एक RTI के माध्यम से पूछा गया कि क्या नवगठित जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल (Electoral College) का हिस्सा होगा अथवा नहीं।

प्रमुख बिंदु

- एक छात्र द्वारा दी गई इस RTI में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की उन विधानसभाओं की सूची मांगी गई थी जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं।
- RTI में चुनाव आयोग से यह भी स्पष्ट करने के लिये कहा गया था कि क्या नवगठित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर निर्वाचक मंडल का हिस्सा है।
- चुनाव आयोग ने मात्र एक पंक्ति में इस RTI का जवाब देते हुए आवेदक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को देखने के लिये कहा है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

जम्मू-कश्मीर पर अस्पष्टता

- इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 में केवल दिल्ली और पुदुच्चेरी का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे।
- इस प्रकार अनुच्छेद 54 में नवगठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।
- वहीं अगस्त 2019 से अस्तित्व में आया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी इस संदर्भ में कुछ निर्दिष्ट नहीं करता है कि जम्मू-कश्मीर की विधायिका राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर पाएगी अथवा नहीं।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13 में उल्लेख किया गया है कि जम्मू-कश्मीर विधानमंडल के पास पुदुच्चेरी विधानमंडल के समान ही शक्तियाँ होंगी।

संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता

- संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लेखित निर्वाचक मंडल (Electoral College) में नए सदस्यों को शामिल करने के लिये संसद में दो-तिहाई बहुमत और 50% से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के माध्यम से एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1992 में संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुच्चेरी को अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1992 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 54 में केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाएँ ही शामिल थीं।
- आवश्यक है कि चुनाव आयोग नवगठित जम्मू-कश्मीर के संबंध में स्थिति को और अधिक स्पष्ट करे अर्थात् जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं और यदि शामिल किया जाएगा तो किस प्रकार।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020

लोकसभा द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून अधिनियम, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करता है।
- यह विधेयक IIITs को उनके नवीन गुणवत्ता बढ़ाने के तरीकों के माध्यम से देश में सूचना और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- यह विधेयक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में पाँच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगा।
- PPP समझौता, किसी भी परियोजना के लिये सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता है। इस समझौते के तहत शुल्क लेकर ढाँचागत सेवा प्रदान की जाती है। इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) गठित करते हैं, जो परियोजना पर अमल करने का कार्य करता है।

NRC और केंद्र का मत

गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करना नागरिकों और गैर-नागरिकों की पहचान हेतु किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिये अनिवार्य है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा कि देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उसके पश्चात् उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना केंद्र सरकार को सौंपी गई ज़िम्मेदारी है।
- ध्यातव्य है कि देश के कई राज्यों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का विरोध करते हुए इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किये हैं।
  - उल्लेखनीय है कि नागरिकता नियम, 2003 (Citizenship Rules, 2003) के अनुसार, NPR, NRC की दिशा में पहला कदम है।
- हालाँकि सरकार द्वारा अभी तक संशोधित NPR फॉर्म सार्वजनिक नहीं किया गया है, किंतु इसमें 'माता-पिता के जन्म की तारीख और निवास स्थान' जैसे विवादास्पद प्रश्न शामिल होने की संभावना है।
- गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1964-65 में पूर्वी पाकिस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) से बंगाल, असम और त्रिपुरा में आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) से लोगों के पलायन का सिलसिला जनवरी 1964 में शुरू हुआ और मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में यह अपने चरम पर पहुँच गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से 31 जनवरी, 1965 तक पलायन करने वालों की संख्या 8,94,137 थी। इन व्यक्तियों में से तकरीबन 2,61,899 लोग प्रवास प्रमाण-पत्र के साथ भारत आए, जबकि 1,76,602 लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत आए। वहीं लगभग 4,55,636 व्यक्ति बिना किसी यात्रा दस्तावेज़ के साथ भारत आए।
  - हालाँकि कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से आने वाले सभी लोग पहले से ही भारत के नागरिक थे और वे चुनावों में मतदान करते थे।

- गृह मंत्रालय ने वर्ष 1952 और वर्ष 2012 के मध्य गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए 18 आदेशों का हवाला दिया, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 'हिंदुओं एवं सिखों' के लिये अधिमान्य उपचार की वकालत की गई थी, जिन्होंने वैध वीज़ा के साथ या बिना भारत में प्रवेश किया था।

MPLADS कोष

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु

MPLADS के दिशा-निर्देशों में संशोधन के तहत सांसद अब MPLADS के अंतर्गत आने वाली निधि को निम्नलिखित कार्यों में उपयोग कर सकते हैं:

- चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों को किसी व्यक्ति का तापमान रिकॉर्ड करने और उस पर नज़र बनाए रखने में सक्षम बनाने हेतु इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर्स की व्यवस्था।
- चिकित्सा कर्मचारियों को और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें कुशलता से काम करने में सक्षम बनाने हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करना, ताकि बीमारी के प्रसार का जोखिम न्यूनतम हो जाए।
- रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर थर्मल इमेजिंग स्कैनर या कैमरा लगाना, जिससे एक सुरक्षित दूरी से तापमान जानना संभव हो सके।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोरोना परीक्षण किट।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

पृष्ठभूमि

- MPLADS को 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था।
- सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें।
- यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए।
- इन दिशा-निर्देशों में फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012 और मई 2014 में पुन: संशोधन किये गए।
- दिशा-निर्देशों को संशोधित करते समय सांसदों, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की समितियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, सभी हितधारकों के सुझावों और विगत वर्ष के कार्य अनुभवों को ध्यान में रखा गया है।

उद्देश्य

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसके लिये आवश्यक निधि पूर्णत: भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह निधि सहायता अनुदान के रूप में सीधे ज़िला प्राधिकारियों को जारी की जाती है।
- योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किये जाते हैं जो विकासमूलक, स्थानीय ज़रूरतों पर आधारित, जनता के उपयोग के लिये हमेशा सुलभ हों। इस योजना के तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे- पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क इत्यादि।
- इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि अव्यपगत होती है यानी अगर कोई देय निधि किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं होती, तो उसे आगे के वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशियों में जोड़ दिया जाता है। इस समय प्रति सांसद/निर्वाचन-क्षेत्र के लिये वार्षिक पात्रता ₹5 करोड़ है।

जम्मू-कश्मीर अधिवास संशोधन

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के अधिवासियों के संदर्भ में किये गए बदलावों को वापस लेते हुए केंद्रशासित प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों को केवल जम्मू-कश्मीर के अधिवासियों के लिये आरक्षित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार, ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' सहित सभी सरकारी नौकरियों को केंद्रशासित प्रदेश के अधिवासियों के लिये सुरक्षित कर दिया गया है।
- इस आदेश के माध्यम से पिछले परिवर्तन के दौरान जोड़े गए उस खंड को भी हटा लिया गया है जिसके तहत 'अधिवास पात्रता के मानदंड को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिवासित माना जा सकता था'।
- इसके तहत अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार 'तहसीलदार' को दिया गया है।
- केंद्र सरकार ने यह परिवर्तन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा-96 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर किया है।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2020 को जारी आदेश के तहत 'जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम),

2010' में 'स्थायी निवासियों' शब्द को बदलकर 'जम्मू-कश्मीर के अधिवासी' कर दिया गया था।

- 31 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, उन सभी लोगों को अधिवासी के रूप में परिभाषित किया गया था, जो-
  - 15 वर्षों की अवधि तक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में रहा हो।
  - सात वर्ष तक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पढ़ा हो और यहाँ स्थित किसी शिक्षा संस्थान में 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो।
  - जो 'राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी)' द्वारा एक प्रवासी के रूप में पंजीकृत हो।
- इसके तहत केंद्र सरकार के उन अधिकारियों के बच्चों को भी अधिवास का पात्र बताया गया जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं, पीएसयू, केंद्र के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वैधानिक निकायों के अधिकारियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्र से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में रहते हुए जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में 10 वर्ष तक अपनी सेवाएँ दी हों।
- साथ ही इस परिवर्तन के तहत जम्मू-कश्मीर के ऐसे निवासियों के बच्चों को भी अधिवास का पात्र बताया गया जो रोज़गार या व्यवसाय या अन्य पेशा या वृत्ति के कारणों के संबंध में जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके माता-पिता आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी की प्रक्रिया को विनियमित करने से संबंधित सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- नवीनतम विधेयक अगस्त 2019 में लोकसभा से पारित सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 का संशोधित संस्करण है क्योंकि 2019 के विधेयक को राज्यसभा में प्रवर समिति को भेज दिया गया था।
- मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंज़ूरी देने से पहले राज्यसभा की प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया है।
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देना है।
- मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद सहित वाणिज्यिक सरोगेसी निषिद्ध होगी और नि:संतान दंपतियों को नैतिक सरोगेसी की शर्तों को पूरा करने पर ही सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी।
- इस विधेयक में 'करीबी रिश्तेदारों' (Close Relatives) वाले खंड को हटा दिया गया है तथा अब यह विधेयक किसी 'इच्छुक' (Willing) महिला को सरोगेट मदर बनने की अनुमति देता है जिससे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के अलावा नि:संतान भारतीय दंपत्तियों को लाभ प्राप्त होगा।

विधेयक के बारे में

- यह विधेयक सरोगेसी से संबंधित प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड (National Surrogacy Board) एवं राज्य स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड (State Surrogacy Board) के गठन का प्रावधान करता है।
- विधेयक के अनुसार, केवल भारतीय दंपति ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं।
- यह विधेयक इच्छुक भारतीय नि:संतान विवाहित दंपत्ति जिसमें महिला की उम्र 23-50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26-55 वर्ष हो, को नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है।
- इसके अतिरिक्त यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि इच्छुक दंपति किसी भी स्थिति में सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़े नहीं। नवजात बच्चा उन सभी अधिकारों का हकदार होगा जो एक प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध होते हैं।
- यह विधेयक सरोगेसी क्लीनिकों को विनियमित करने का प्रयास भी करता है। सरोगेसी या इससे संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये देश में सभी सरोगेसी क्लीनिकों का उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण होना आवश्यक है।
- यह विधेयक सरोगेट मदर के लिये बीमा कवरेज सहित विभिन्न सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है। ध्यातव्य है कि सरोगेट मदर के लिये प्रस्तावित बीमा कवर को पहले के संस्करण में प्रदान किये गए 16 महीनों से बढ़ाकर अब 36 महीने कर दिया गया है।
- विधेयक यह भी निर्दिष्ट करता है कि सरोगेसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का लिंग चयन नहीं किया जा सकता है।
- यह विधेयक नि:संतान दंपति के लिये सरोगेसी की प्रक्रिया से पहले आवश्यकता और पात्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 मार्च, 2020 को राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक का उद्देश्य भारत के तीन निम्नलिखित डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना है-
  - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (नई दिल्ली)
  - श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (नई दिल्ली)
  - राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (तिरुपति)

प्रस्तावित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के कार्य

- संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करना तथा संस्कृत भाषा को और उन्नत बनाना।
- मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के एकीकृत पाठ्यक्रम के लिये विशेष प्रावधान करना।
- संस्कृत भाषा और उससे संबद्ध विषयों के समग्र विकास एवं संरक्षण के लिये लोगों को प्रशिक्षित करना।

ग्राम न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण जुर्माना लगाया है।

मुख्य बिंदु

- आवश्यक कार्यवाही न करने वाले राज्यों- असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-सरकारी संगठन 'नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस' (National Federation of Societies for Fast Justice) द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था।
- PIL जारी करने के समय केवल 208 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे थे, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक, देश में 2500 ग्राम न्यायालयों की आवश्यकता थी।
- अब तक केवल 11 राज्यों ने ग्राम न्यायालय के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु अधिसूचनाएँ जारी की हैं लेकिन केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को छोड़कर शेष राज्यों में ये न्यायालय नहीं हैं।

ग्राम न्यायालय के बारे में

- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जन-मानस के निकट ले जाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 39-A के अनुरूप 'ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008', संसद में पारित किया।
- इसके तहत 2 अक्तूबर, 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों ने कार्य करना शुरू किया।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की विशेषताएँ

- ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होगी और इसके पीठासीन अधिकारी (न्यायाधिकारी) को उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- ग्राम न्यायालय की स्थापना मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिये या किसी ज़िले में मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के समूह के लिये या जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं हैं वहाँ भी सन्निहित पंचायतों के समूह के लिये की जाएगी।
- न्यायाधिकारी इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे जो अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे तथा उच्च न्यायालयों के तहत काम करने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार प्राप्त करते हुए समान वेतन प्राप्त करेंगे।
- ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट होगा और आपराधिक एवं सिविल दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- ग्राम न्यायालय पक्षकारों के बीच सुलह कराकर विवादों को यथासंभव हल करने की कोशिश करेगा और इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किये जाने वाले सुलहकर्त्ताओं का उपयोग करेगा।

ग्राम न्यायालय का कार्यक्षेत्र

- ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखता है। यह उन्हीं आपराधिक मामलों को देखता है जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा होती है।
- सिविल मामलों में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार अधिनियम 1955, बंधुआ मज़दूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले आते हैं।

अनुच्छेद-131

केरल, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल सरकार ने शीर्ष अदालत में यह याचिका संविधान के अनुच्छेद-131 के तहत दायर की है।

प्रमुख बिंदु

- संविधान का अनुच्छेद-131 सर्वोच्च न्यायालय की मूल/आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के संघीय ढाँचे को लेकर विभिन्न इकाइयों के मध्य होने वाले विवादों की सुनवाई करता है।
- अनुच्छेद 131 के उपबंधों में निम्नलिखित प्रकार के विवादों को शामिल किया गया है-
  - केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या;
  - एक ओर केंद्र सरकार और एक राज्य या कई राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच या;
  - दो या अधिक राज्यों के बीच
- उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विवाद सर्वोच्च न्यायालय का 'विशेष मूल न्यायक्षेत्र' (Extraordinary Original Jurisdiction) है। यहाँ विशेष का तात्पर्य यह है कि इन मामलों का निपटारा किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

दल-बदल विरोधी कानून

कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम दल-बदल विरोधी गतिविधियों से संबद्ध रहे हैं।

दल-बदल विरोधी कानून के बारे में

- इस कानून को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था।
- इसके तहत दल परिवर्तन के आधार पर विधानमंडल/संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- यदि कोई विधायक या सांसद स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र देता है या संदन में मतदान के दौरान पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन कर मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उसे दल-बदल का दोषी माना जाता है। गौरतलब है कि अगर ऐसे कृत्य करने वाले सदस्यों को संबंधित राजनीतिक दल द्वारा क्षमा कर दिया जाता है तो वह निरर्ह नहीं होगा।

- यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होता है और चुनाव के बाद वह किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे सदस्यता हेतु निरर्ह माना जाएगा।
- यदि कोई सदस्य मनोनीत होकर सदन की सदस्यता ग्रहण करता है और मनोनयन के छह माह पश्चात् किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे भी निरर्ह माना जाएगा।
- गौरतलब है कि दल-बदल के कारण उत्पन्न निरर्हता के मामले में किसी भी विवाद का निपटारा सदन के पीठासीन अधिकारी अर्थात् विधानसभा अध्यक्ष/लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। हालाँकि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंज़ूरी दी है। इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
- यह विधेयक महिलाओं के लिये उपचारात्मक, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं को व्यापक बनाने के लिये लाया जा रहा है।
- प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कुछ उप-धाराओं को प्रतिस्थापित करना, मौजूदा गर्भपात कानून, 1971 में निश्चित शर्तों के साथ गर्भपात के लिये गर्भावस्था की ऊपरी सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ धाराओं के तहत नए अनुच्छेद जोड़ना और सुरक्षित गर्भपात की सेवा एवं गुणवत्ता से समझौता किये बगैर कठोर शर्तों के साथ समग्र गर्भपात देखभाल प्रणाली को पहले से और अधिक सख्ती से लागू करना है।
- ध्यातव्य है कि हाल के दिनों में गर्भपात से संबंधित कई मामले सामने आए हैं जिनमें से अधिकतर गर्भपात की समयसीमा से संबंधित थे। इन मामलों में न्यायालय द्वारा पीड़ित को राहत प्रदान की गई तथा सरकार से इन नियमों में बदलाव करने का आग्रह किया गया था।

प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें

- गर्भपात के लिये गर्भावस्था की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया जाएगा। इन बदलावों को MTP (Medical Termination of Pregnancy) नियमों में संशोधन के ज़रिये परिभाषित किया जाएगा। ये नियम उन महिलाओं के संबंध में लागू होंगे जो दुष्कर्म पीड़ित या सगे-संबंधियों के साथ यौन संबंधों से पीड़ित हैं साथ ही इसमें अन्य असुरक्षित महिलाएँ (दिव्यांग महिलाएँ व नाबालिग) भी शामिल होंगी।
- गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिये एक पंजीकृत प्रशिक्षु चिकित्सक (Registered Medical Practioner-RMP) की राय लेने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिये दो पंजीकृत प्रशिक्षु चिकित्सकों (Registered Medical Practioner-RMP) की राय लेना ज़रूरी होगा।
- उल्लेखनीय है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच में पाए गए भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा (24 सप्ताह) लागू नहीं होगी।
- जिस महिला का गर्भपात कराया जाना है उसका नाम और उससे संबंधित अन्य जानकारियाँ उस वक्त के कानून के तहत निर्धारित किसी खास व्यक्ति के अलावा किसी और के सामने ज़ाहिर नहीं की जाएंगी।
- प्रस्तावित संशोधन अविवाहित महिलाओं या उसके साथी की गर्भनिरोधक-विफलता (Contraceptive-Failure) की स्थिति से उत्पन्न परिस्थिति को भी संबोधित करता है, जबकि वर्तमान में केवल विवाहित महिला या उसके पति को गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति दी गई है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ उपलब्ध कराने और चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों और मंत्रालयों के साथ वृहद् विचार-विमर्श के बाद गर्भपात कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

आर्थिक घटनाक्रम

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के सभी प्रावधान 24 जुलाई, 2020 से लागू हो गए हैं।
- नया अधिनियम ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिये और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे एवं समय पर व प्रभावी प्रशासन के लिये तंत्र स्थापित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिये, नियमों के माध्यम से कई उपाय प्रदान करता है।
  - ये नियम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामानों एवं ई-कॉमर्स के सभी मॉडलों पर लागू होंगे जिनमें मार्केट प्लेस यानी बाज़ार (जैसे अमेजन एवं फ्लिपकार्ट) और इन्वेंट्री मॉडल (जहाँ ई-कॉमर्स इकाई के पास भी स्टॉक हैं) भी शामिल हैं।
  - ये नियम ई-कॉमर्स कंपनियों (मार्केट प्लेस एवं इन्वेंट्री मॉडल) और ई-कॉमर्स कंपनियों के मार्केट प्लेस पर बेचने वालों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में **इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों** के **विनिर्माण** को बढ़ावा देने हेतु **तीन प्रोत्साहन योजनाएँ** शुरू की हैं। ये योजनाएँ **घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग** के समक्ष मौजूदा चुनौतियों को समाप्त कर देश में **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मज़बूती प्रदान करेगी**।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019** में सभी महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों को **देश में विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा** करने हेतु **अनुकूल वातावरण** का निर्माण कर भारत को **'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM)'** के एक **वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- यह योजना **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा** देने, **मोबाइल फोन निर्माण** तथा **निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में व्यापक निवेश को आकर्षित करने** के लिये **उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन** प्रदान करती है।

इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्द्धन हेतु योजना

- **इलेक्ट्रॉनिक घटक** इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की **बुनियादी इकाई** है। **इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्द्धन हेतु योजना (SPECS)** देश में **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र** को मज़बूत करने के लिये **इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण से संबंधित बाधाओं को कम करने** में मदद करेगी।
- इस योजना के तहत कुछ निश्चित **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिये पूंजीगत व्यय पर 25%** वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना

- **गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे** को लेकर **इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के समक्ष मौजूदा चुनौतियों** का सामना करने और **भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब** बनाने हेतु देश में एक मज़बूत **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिये संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना (EMC 2.0)** शुरू की गई है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना के कारण होने वाली क्षति को कम करने के लिये EMCs** स्थापित किये गए हैं, जो **संस्थाओं को एक क्लस्टर के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स** प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

विशेष तरलता योजना

हाल ही में सरकार द्वारा **'स्पेशल पर्पज व्हीकल' (Special Purpose Vehicle–SPV)** के माध्यम से 'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों' (Non-Banking Finance Companies–NBFCs) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies–HFCs) के लिये एक 'विशेष तरलता योजना' (Special Liquidity Scheme) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को वित्तीय क्षेत्र में तरलता की स्थिति में सुधार करने तथा किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- सरकार द्वारा मई 2020 में **गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिये ₹3000 करोड़ की 'विशेष तरलता योजना'** की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी 'भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड' (SBICAP) द्वारा **'SLS ट्रस्ट' नाम से 'स्पेशल पर्पज व्हीकल'** को स्थापित किया गया है।
- इस 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' के माध्यम से ही गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विशेष तरलता योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।

'स्पेशल पर्पज व्हीकल'

- 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' पात्र NBFCs और HFCs से अल्पकालिक दस्तावजों/कागजों की खरीदेगा, जिनमें केवल 'गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर' (Non-convertible Debentures–NCDs) तथा 'वाणिज्यिक पत्र' (Commercial Paper–CP) को ही खरीदा जाएगा।
- 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' के द्वारा खरीदे गए दस्तावजों की शर्त यह होगी कि **इनकी परिपक्वता अवधि तीन माह से अधिक न हो** तथा इनकी **रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड** की होनी चाहिये।
- 30 सितंबर, 2020 के बाद जारी किये गए किसी भी दस्तावेज के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' 30 सितंबर, 2020 के बाद नई खरीद करने के लिये बंद हो जाएगा।

NBFCs एवं HFCs के लिये निर्धारित मानदंड।

- इस योजना का लाभ केवल NBFCs और HFCs को ही मिलेगा। **कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (Core Investment Companies) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies–NBFC) को इस योजना से बाहर रखा गया है।**
- इस योजना के माध्यम से केवल वे ही कंपनियाँ धन जुटाने की पात्र हैं जो निम्नलिखित व्यापक शर्तों को पूरा करती हैं-
  - पिछले दो वित्तीय वर्षों (2017-2018 और 2018-2019) में कंपनी किसी एक वर्ष में मुनाफे में रही हो।
  - रेटिंग एजेंसी (Rating Agency) द्वारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग मिली हो।
  - 31 मार्च, 2021 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 6 प्रतिशत से अधिक न हो।
  - 1 अगस्त, 2018 से पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी बैंक द्वारा उसके उधार के लिये एसएमए-1 या एसएमए-2 श्रेणी के तहत रिपोर्ट नहीं की गई हो।

योजना का महत्त्व

- इसके माध्यम से NBFCs, HFCs तथा म्युचुअल फंड में चल रही **तरलता की कमी को दूर किया जा सकेगा।**
- तरलता की कमी दूर होने पर निवेशकों का बाज़ार की तरफ रुझान बढ़ेगा।

भारत में पेट्रोरसायन उद्योग

भारत सरकार के **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** के अधीन **केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)** का नाम बदलकर **केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान** कर दिया गया है। परिवर्तित नाम **तमिलनाडु सोसायटी पंज़ीकरण अधिनियम, 1975** के तहत पंजीकृत किया गया है।

CIPET के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी

- CIPET की स्थापना **वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा 'सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) की मदद से गिण्डी, चेन्नई में** की गई।
- वर्तमान समय में यह भारत सरकार के **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** के अधीन एक प्रमुख **राष्ट्रीय संस्थान** है।
- CIPET का **प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास** में योगदान देना रहा है।

पेट्रोरसायन

- पेट्रोरसायन **विभिन्न रासायनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन से** प्राप्त किये जाते हैं। ये **हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से व्युत्पन्न** होते हैं।
- कच्चे तेल के आसवन द्वारा उत्पादित **पेट्रोलियम गैस, नेफ्था, केरोसिन और गैस तेल पेट्रोरसायन उद्योग के लिये प्रमुख फीडस्टॉक** हैं। **शेल गैस, कोयला, कोल बेड मीथेन और पेट कोक आदि अपरम्परागत फीडस्टॉक हैं।**
- **प्राकृतिक गैस से प्राप्त ईथेन, प्रोपेन और प्राकृतिक तरल गैस पेट्रोरसायन उद्योग में उपयोग किये जाने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण फीडस्टॉक** हैं।

पेट्रोरसायन उद्योग के लिये प्रमुख फीडस्टॉक

- **नेफ्था:** नेफ्था **एथिलीन, प्रोपलीन और एरोमैटिक्स** के उत्पादन के लिये एक **प्रमुख कच्चा माल** है। देश में **मौजूदा मांग रिफाइनरियों से उत्पादन की तुलना में कम** होने के कारण **भारत नेफ्था का निर्यातक** है।
- **प्राकृतिक गैस:** भारत में **प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित** है और देश की **मांग को पूरा करने के लिये बड़ी मात्रा में आयातित LNG** की आवश्यकता होती है।
- **कोल बेड मिथेन:** भारत के पास **दुनिया में पाँचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार** होने के कारण **CBM की खोज और दोहन के लिये महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ** हैं।
- **मेथनॉल:** भारत में मेथनॉल की मांग की **बड़ी मात्रा को आयात** द्वारा पूरा किया जा रहा है। **भारत की 90% मेथनॉल आवश्यकता मुख्य रूप से ईरान और सऊदी अरब से आयात के माध्यम से पूरी होती है, जहाँ मेथनॉल का उत्पादन प्राकृतिक गैस से** होता है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा गठित कार्यकारी समूह ने गैर-लाभकारी संगठनों को बॉण्ड जारी करके **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE)** पर सीधे **सूचीबद्ध होने की अनुमति देने की सिफारिश** की है।

पृष्ठभूमि

- वित्तीय वर्ष **2019-20 के बजट भाषण** के दौरान वित्त मंत्री ने **सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों** को सूचीबद्ध करने के लिये **SEBI के विनियामक दायरे के अंतर्गत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज** गठित करने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव दिया था।
- SEBI ने **सितंबर 2019** में **इशरत हुसैन की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक कार्यकारी समूह का गठन** किया था। इस कार्यदल में **सामाजिक कल्याण की दिशा में सक्रिय हितधारक, वित्त मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।**

सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा

- विश्व में **सोशल स्टॉक एक्सचेंज** की अवधारणा को तेज़ी से अपनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में **स्कॉटलैंड, जमैका और अब भारत ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज गठित करने की पहल** की है।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा **प्लेटफॉर्म** है जो निवेशकों को **आधिकारिक विनिमय द्वारा सामाजिक उद्यमों में शेयर खरीदने की अनुमति** देता है।
- **पूंजी बाज़ार को आम जनता के और अधिक करीब** ले जाने तथा **समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन** से संबंधित विभिन्न **सामाजिक कल्याण उद्देश्यों** को पूरा करने के लिये सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा को अपनाया जाता है।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक **सामान्य मंच के रूप में कार्य** करेगा जहाँ **सामाजिक उद्यम आम जनता और निवेशकों से धन जुटा** सकते हैं।
- यह **देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जैसे- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आदि की तर्ज पर ही कार्य** करेगा, हालाँकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य **लाभ कमाना न होकर सामाजिक कल्याण** होगा।

भुगतान अवसंरचना विकास कोष

देश भर में **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने** के उद्देश्य से **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने **₹500 करोड़ का 'भुगतान अवसंरचना विकास कोष' (PIDF)** स्थापित किया है।

प्रमुख बिंदु

- **कोष में योगदान:** भारतीय रिज़र्व बैंक **₹250 करोड़ के प्रारंभिक योगदान** के साथ इस कोष की शुरुआत करेगा। **शेष आधा हिस्सा**

कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा।

- **उद्देश्य: टियर-III से टियर-VI शहरों तथा पूर्वोत्तर राज्यों** में अधिग्राहकों को **पॉइंट ऑफ सेल (PoS) से संबंधित अवसंरचना स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित** करना है।
- **प्रबंधन:** इस कोष को **एक सलाहकार परिषद (Advisory Council) के माध्यम से शासित** किया जाएगा, हालाँकि इसका **प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा स्वयं** किया जाएगा।

बैड बैंक: समस्या या समाधन

हाल में **'भारतीय बैंक संघ' (Indian Banks' Association-IBA)** ने वित्त मंत्रालय को **'सशक्त पैनल'** की अनुशंसाओं के आधार पर **'बैड बैंक'** का निर्माण करने की सिफारिश की है। बैड बैंक के निर्माण के बाद बैंकों के **₹60,000 करोड़ से अधिक के 'बैड लोन' 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी'** को स्थानांतरित करने की संभावना है।

बैड बैंक की अवधरणा

- बैड बैंक एक **आर्थिक अवधारणा** है जिसके अंतर्गत **आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित** कर दिया जाता है।
- जब किसी बैंक की **गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ** एक सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब **राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण** किया जाता है जो **मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण** कर लेता है।
- बैड बैंक की अवधारणा कोई नई नहीं है। **वित्तीय सुधारों के क्रम में** इसकी चर्चा कई बार की जा चुकी है-
  - **2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्वास एजेंसी (PARA) की स्थापना का सुझाव** दिया गया था।
  - **2015 में रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन के 'एसेट क्वॉलिटी रिव्यू'** में भी **NPA के संभावित समाधान के रूप में बैड बैंक की स्थापना** पर विचार किया गया था।
  - **2018 में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' की व्यवहार्यता का अध्ययन** करने के लिये **PNB के अध्यक्ष सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन** किया गया।
- NPA की समस्या के समाधान के लिये **बैड बैंक मॉडल** को पहली बार **1980 के दशक** में प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित **मेलन बैंक ने 1988 में बैड बैंक** की स्थापना की। इसके बाद **स्वीडन, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों** द्वारा इस अवधारणा को लागू किया गया।
- एक पृथक संस्था के रूप में बैंकों के NPAs को खरीदने से बैंकों के **बहीखाते दवाब मुक्त** होंगे और वे **नए ऋण देने में सक्षम** होंगे। **2008 के वित्तीय संकट के पश्चात् फ्राँस** जैसे **यूरोपीय देशों में इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन** किया गया है।

सशक्त पैनल

- **जुलाई 2018** में सुनील मेहता की अध्यक्षता में **दबावपूर्ण परिसंपत्तियों (Stressed Assets)** के समाधान हेतु सलाह देने लिये **'प्रोजेक्ट सशक्त' (Project Sashakt)** की शुरुआत की गई। 'सुनील मेहता' समिति को 'सशक्त पैनल' (Sashakt Panel) के रूप में भी जाना जाता है। पैनल ने **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने के लिये 'पाँच-आयामी दृष्टिकोण'** का प्रस्ताव दिया था।
- पैनल ने सिफारिश की थी कि **ARC के तहत बड़े बैड लोन का समाधान** किया जा सकता है।

ऑपरेशन ट्विस्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **खुले बाज़ार की क्रियाओं (Open Market Operations-OMO)** के तहत **तरलता स्थिति तथा बाज़ार की स्थितियों** की समीक्षा करके **₹10 हज़ार करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री का निर्णय** लिया गया है।

ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में

- **ऑपरेशन ट्विस्ट** एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उपयोग मूल रूप से **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा बाज़ार **ब्याज दरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से दो बार 1961 एवं 2011 में** किया गया। दोनों ही मौकों पर इसका उद्देश्य **दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम करना तथा अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करना** था।
- यह **वित्तीय उपकरण सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री के माध्यम से बाज़ार में तरलता में कमी या वृद्धि** करने में मदद करता है।
- 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के अंतर्गत **केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिये अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग** करता है, जिससे **लंबी अवधि के ऋणपत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी** होती है।
- 'ऑपरेशन ट्विस्ट' से **अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित** किया जाता है।
- अमेरिका की तरह भारत भी **2019 की पहली छमाही** के बाद से **धीमे विकास की एक लंबी अवधि का सामना** कर रहा है। **भारत के संदर्भ में भी ऑपरेशन ट्विस्ट लंबी अवधि के ऋण पर ब्याज दरों को नीचे लाने की प्रक्रिया** है।

ऑपरेशन ट्विस्ट से होने वाले लाभ

- वर्तमान में **मांग तथा खपत में कमी** सहित **कई अन्य कारणों से** भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में है। **केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2019 में रेपो रेट में कुल 135 आधार अंकों की कटौती** की है, लेकिन अभी तक **मांग वृद्धि करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं** की जा सकी है।
- **बैंकों तथा अन्य उधारदाताओं** द्वारा इस कटौती का **बहुत कम लाभ उधार प्राप्तकर्त्ताओं को** प्रदान किया गया।

- **महँगाई में वृद्धि और राजकोषीय दबाव** के कारण RBI द्वारा **ऑपरेशन ट्विस्ट** का उपयोग किया गया, जिसका उद्देश्य **प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बिना लंबी अवधि के बॉण्ड यील्ड प्राप्त करना** है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक आवश्यक कदम है क्योंकि भारत में **बाज़ार की वर्तमान स्थितियों ने निवेशकों/ग्राहकों को दीर्घकालिक निवेश करने या दीर्घकालिक ऋण लेने** के लिये हतोत्साहित किया है।
- **लंबी अवधि के बॉण्ड यील्ड (10 साल की सरकारी प्रतिभूतियाँ) तथा निम्न ब्याज दरें** लोगों को **अधिक दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने में मदद** कर सकती हैं। यह सरकार के लिये **समग्र उधार लागत को नीचे लाने में भी मदद** करता है।

ई-नाम

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **COVID-19** की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए **'ई-नाम' पोर्टल में संशोधन** किया है। **14 अप्रैल, 2020** को **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना (ई-नाम) ने 4 साल पूर्ण** किये हैं।

महत्त्वपूर्ण जानकारी

- ई-नाम एक **अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल** है, जो मौजूदा **कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs)** और **अन्य कृषि मंडियों को एक नेटवर्क** से जोड़कर **विशाल बाज़ार का निर्माण** करता है।
- **लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC)** भारत सरकार के **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के तत्त्वावधान में ई-नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
- यह एकीकृत बाज़ारों में **सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं**, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच **सूचना विषमता का निवारण, वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर कृषि मूल्य को बढ़ावा तथा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता** वृद्धि के आधार पर **किसानों को बेहतर कीमत** प्रदान करने का प्रयास करता है। यह **कृषि विपणन में एकरूपता** लाने का प्रयास करता है।

ई-नाम पोर्टल में संशोधन

वर्तमान **COVID-19 लॉकडाउन** के दौरान मंत्रालय ने **थोक बाज़ारों में भीड़ कम करने और आपूर्ति शृंखला को चुस्त बनाने के लिये** ई-नाम के तहत कई मॉड्यूल लॉन्च किये हैं-

- **वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल: वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) से पंजीकृत वेयरहाउस में भुगतान की सुविधा** शुरू की गई है। इस सुविधा से **छोटे और सीमांत किसान** अपने उत्पादों का व्यापार सीधे WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस के साथ कर सकेंगे। किसान अपने उत्पाद को WDRA से पंजीकृत गोदामों में रखकर **ऋण** प्राप्त कर सकते हैं।
- **किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल:** इस मॉड्यूल के अंतर्गत **FPOs** अपने संग्रह केंद्रों से उत्पाद और गुणवत्ता मानकों की फोटो अपलोड कर बोली लगाने में खरीदारों को मदद कर सकेंगे। यह FPOs को **लॉजिस्टिक खर्च** कम करने एवं **मोल-भाव** करने में सहायता करेगा। FPOs को व्यापार करने में आसानी हेतु **ऑनलाइन भुगतान की सुविधा** प्रदान की गई है।
- **लॉजिस्टिक मॉड्यूल:** यह मॉड्यूल व्यापारियों को अपनी उपज राज्यों के भीतर और बाहर ले जाने के लिये परिवहन सुविधाओं के विकल्प उपलब्ध करवाएगा। लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं तक कृषि उत्पादों को शीघ्रता से पहुँचाया जा सकेगा।

डिजिटल कर

गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज **अमेरिकी डिजिटल कंपनियाँ** भारत के **नवीन डिजिटल कर (Digital Tax)** को कुछ समय के लिये टालने की मांग कर रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- नवीन प्रावधानों के अनुसार, भारत में **डिजिटल सेवाओं की बिक्री पर 2.0% की दर से डिजिटल कर लागू** होगा। यह कर विशेष रूप से **₹20 मिलियन ($ 260,000) से अधिक का व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों** को लक्षित करता है। **मार्च 2019 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में गूगल** की भारत में बिक्री लगभग **₹41.5 बिलियन** थी।
- यह कर **ई-कॉमर्स सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों** तथा **ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को लक्षित करने वाली कंपनियों** द्वारा भी देय होगा।
- उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व **फ्राँस** ने भी बड़ी डिजिटल कंपनियों पर **3% की दर से डिजिटल कर लागू करने की योजना** बनाई थी। हालाँकि **गूगल के विरोध** और **अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात् फ्राँस ने इस कर को कुछ समय तक टालने का निर्णय** लिया है।

डिजिटल कर (Digital Tax)

डिजिटल कर **डिजिटल व्यापार गतिविधियों पर लागू** होने वाला कर है। इन गतिविधियों में **डिजिटल-ब्रांड और अपने व्यवसायों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ बदलने के दौरान उपयोग की जाने वाली सेवाएँ** सम्मिलित हैं।

सोशल मीडिया कंपनियाँ, सहयोगी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सामग्री प्रदाता कुछ प्रमुख **डिजिटल कंपनियों के** उदाहरण हैं। ये कंपनियाँ **सॉफ्टवेयर डाउनलोड, वेबसाइट एप्लीकेशन और डिजिटल संपत्ति (ई-बुक, ऑडियो क्लिप/ऑडियो फाइलें, फिल्में या डिजिटल वीडियो) आदि सुविधाएँ** उपलब्ध कराती हैं।

पाम ऑयल

भारत में **खाद्य तेल की मांग तथा पाम ऑयल की भारत में पारिस्थितिक अनुकूलता** के कारण **पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने पर बल** दिया गया है, ताकि भारत में **तेल की बढ़ती मांग की समस्या का स्थायी समाधान** निकाला जा सके।

महत्त्वपूर्ण जानकारी

- **पाम ऑयल** विश्व के **उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों** के **समान भौगोलिक क्षेत्रों** में पनपने वाली फसल है, जो **खाद्य और घरेलू उत्पादों के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त** की जाती है। पाम ऑयल **वनस्पति तेल के मुख्य वैश्विक स्रोत** के रूप में उभरा है, जो दुनिया के **उत्पादन मिश्रण का लगभग 33%** है।
- **भारत** दुनिया में पाम ऑयल का **सबसे बड़ा आयातक** है, जो **इंडोनेशिया और मलेशिया से कुल वैश्विक मांग का लगभग 23% आयात** करता है।
- **इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड और कम्बोडिया** आदि देश विश्व में **FFB (Fresh Fruit Brunches)** के **कुल उत्पादन में 90% से अधिक हिस्सा रखते** हैं।
- वर्तमान में भारत में **आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु** पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। **आंध्र प्रदेश देश के कुल पाम ऑयल के 80% से अधिक** उत्पादन के साथ **प्रथम स्थान** पर है।

चुनौतियाँ

- पाम ऑयल की खेती में **परिपक्वता अवधि लंबी** होती है। **कम-से-कम 4-5 वर्षों के पश्चात् ही किसानों को इससे आय** प्राप्त होती है।
- **छोटे और सीमांत किसानों** को **सीमित संसाधनों** के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाना।
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में **कच्चे पाम ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति का बने रहना।**
- **मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता** के कारण पानी की कमी।
- अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसलों, **जैसे- रबर, सुपारी, गन्ना, केला, नारियल आदि से प्रतिस्पर्द्धा।**
- खाद्य तेलों पर **आयात शुल्क में भिन्नता।**

पाम ऑयल उत्पादन की आवश्यकता

- स्थानीय स्तर पर पाम ऑयल की पैदावार में वृद्धि होने से खाद्य तेल के **आयात खर्च में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत** होगी।
- **किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना** करने में मदद मिलेगी।
- देश की **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** मिलेगा।
- सस्ता खाद्य तेल देश की **बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति** के अनुकूल है।

कृषि अवसंरचना कोष

8 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष (Central Sector Scheme-Agriculture Infrastructure Fund) को मंजूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद बुनियादी ढाँचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिये **मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा** प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण के रूप में ₹1 लाख करोड़ की राशि 'प्राथमिक कृषि साख समितियों' (Primary Agricultural Credit Societies–PACS), विपणन सहकारी समितियों (Marketing Cooperative Societies), किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producers Organizations), स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (Multipurpose Cooperative Societies), कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप, एग्रीगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (Aggregation Infrastructure Providers) और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस **ऋण का वितरण आगामी 4 वर्षों में किया जाएगा।** चालू वित्त वर्ष में ₹10,000 करोड़ और अगले क्रमशः तीन वित्तीय वर्ष में ₹30,000 करोड़ (अर्थात् प्रत्येक वर्ष के ₹30,000 करोड़) की मंजूरी प्रदान की गई।
- इस वित्तपोषण सुविधा के तहत **सभी प्रकार के ऋणों पर ₹2 करोड़ की सीमा तक ब्याज पर 3% प्रति वर्ष की छूट** प्रदान की जाएगी। यह **छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिये** उपलब्ध होगी।
- इसके अलावा ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिये 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज' (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises–CGTMSE) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से **पात्र उधारकर्त्ताओं के लिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध** होगा।
- इस कवरेज के लिये भारत सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- किसान उत्पादक संगठनों के संदर्भ में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की एफपीओ संवर्द्धन योजना (FPO promotion scheme) के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन एवं निगरानी **'ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली' (Online Management Information System) प्लेटफॉर्म** के माध्यम से की जाएगी।
  - यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिये आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
  - यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।
- इस योजना की समय-सीमा वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक 10 वर्ष के लिये निर्धारित की गई है।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड 2020-21

भारत सरकार ने **भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond-SGB)** जारी करने का निर्णय लिया है। ये बॉण्ड **छह अवधि की शृंखलाओं में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य जारी** किये जाएंगे।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड की विशेषताएँ

- **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड 2020-2021** के नाम से ये बॉण्ड भारत **सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा** जारी किये जाएंगे।
- इनकी बिक्री विभिन्न **व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों जैसे निकायों तक सीमित** रहेगी।
- SGB को **1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक** में अंकित किया जाएगा।
- इसकी **समयावधि 8 वर्ष** होगी और **पाँचवें साल के पश्चात्** इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा, जिसका इस्तेमाल **ब्याज भुगतान की तिथियों** पर किया जा सकता है।
- SGB की **न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना** है।
- **व्यक्तियों और HUFs के लिये 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट एवं इसी तरह के अन्य निकायों के लिये 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष** (अप्रैल-मार्च) की अधिकतम सीमा होगी।
- SGB की बिक्री **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड** के ज़रिये की जाएगी।
- **संयुक्त रूप से धारण** किये जाने की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा **केवल प्रथम आवेदक पर** लागू होगी।
- **बॉण्ड का मूल्य भारतीय रुपए में तय** किया जाएगा। निर्गम मूल्य उन लोगों के लिये प्रति ग्राम ₹50 कम होगा जो इसकी **खरीदारी ऑनलाइन** करेंगे और इसका **भुगतान डिजिटल मोड के ज़रिये** करेंगे।
- बॉण्ड का भुगतान **नकद (अधिकतम ₹20,000 तक), डिमांड ड्राफ्ट, चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग** के ज़रिये किया जा सकेगा।
- निवेशकों को **प्रतिवर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से ब्याज** दिया जाएगा, जो अंकित मूल्य पर हर छह महीने में देय होगा।
- इनका उपयोग **ऋणों के लिये जमानत या गारंटी के रूप में** किया जा सकता है।
- **आयकर अधिनियम, 1961** के प्रावधान के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले **ब्याज पर कर अदा** करना होगा। किसी भी व्यक्ति को SGB के विमोचन पर होने वाले **पूंजीगत लाभ को कर मुक्त** कर दिया गया है।
- किसी भी निर्धारित तिथि पर बॉण्ड जारी होने के **एक पखवाड़े के भीतर इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर** हो सकेगी।
- बैंकों द्वारा हासिल किये गए बॉण्डों की गिनती **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)** के संदर्भ में की जाएगी।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹1480 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ **देश को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि** से **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** के गठन को अपनी स्वीकृति दी है। **इस मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक होगी।**

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन के **4 प्रमुख घटक- अनुसंधान, नवाचार और विकास; संवर्द्धन व विपणन विकास; निर्यात संवर्द्धन एवं शिक्षा; प्रशिक्षण तथा कौशल विकास** होंगे।
- इसकी शुरुआत देश के विभिन्न मिशनों, कार्यक्रमों आदि में तकनीकी कपड़ों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर **स्टार्टअप एवं वेंचर को प्रोत्साहन के साथ नवाचार को बढ़ावा** देने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की अध्यक्षता में **कपड़ा मंत्रालय में एक मिशन निदेशालय** चालू किया जाएगा।
- कृषि-टेक्सटाइल, जियो-टेक्सटाइल और चिकित्सा वस्त्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिये **जैव-अपघटनीय तकनीकी वस्त्रों** का निर्माण किया जाएगा।
- तकनीकी वस्त्रों के लिये स्वदेशी मशीनरी और उपकरणों के विकास से **'मेक इन इंडिया' की भावना को बढ़ावा** मिलेगा, और कम पूंजीगत लागत के माध्यम से वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया जा सकेगा।
- उन्नत देशों में 30-70% की तुलना में भारत में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन का स्तर महज 5-10% है। इस मिशन का उद्देश्य **देश में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन स्तर में सुधार करना** है।

दीर्घावधि रेपो परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों के प्रसारण और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिये दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Long Term Repo Operation-LTRO) शुरू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- RBI द्वारा शुरू किये गए **ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist)** के साथ यह नया उपाय केंद्रीय बैंक द्वारा **बॉण्ड यील्ड के प्रबंधन** और **ब्याज दर में कटौती के पुश ट्रांसमिशन के लिये एक प्रयास है।**
- ध्यातव्य है कि RBI ने इससे पहले ब्याज दरों को नीचे लाने के लिये **अमेरिकी तर्ज पर 'ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist)'** को शुरू किया है।

क्या है दीर्घावधि रेपो परिचालन?

- LTRO एक ऐसा उपकरण है, जिसके तहत **केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक साल से तीन साल की अवधि के लिये ऋण प्रदान करता है तथा कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के लिये स्वीकार करता है।**
- RBI **तरलता समायोजन सुविधा** (Liquidity Adjustment Facility- LAF) और **सीमांत स्थायी सुविधा** (Marginal Standing Facility- MSF) के माध्यम से बैंकों को उनकी तत्काल ज़रूरतों के लिये 1-28 दिनों हेतु ऋण मुहैया कराता है, जबकि LTRO के माध्यम से **1 से 3 वर्ष** के लिये ऋण उपलब्ध कराएगा।

यह महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- RBI ने बाज़ार की मौजूदा परिस्थितियों में उचित लागत पर **टिकाऊ तरलता** उपलब्धता के बारे में बैंकों को आश्वस्त करने एवं उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिये बैंकों को **परिपक्वता परिवर्तन** को सुचारू और निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित के उद्देश्य से LTRO की शुरुआत की है।
- देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिये RBI लगातार आसान वित्त नीतियों के माध्यम से **अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने का प्रयास** कर रहा है।
- जनवरी 2019 से रेपो रेट (जिस दर पर बैंक RBI से त्वरित धन उधार लेते हैं) में कटौती की गई, लेकिन इन **दरों में कटौती का बहुत कम लाभ अभी तक बैंकों और अन्य उधारदाताओं द्वारा उधार प्राप्तकर्त्ताओं प्रदान किया गया है।**
- RBI का मानना है कि रेपो दर (5.15 फीसदी) पर बैंकों को लंबी अवधि के लिये धन का उपलब्ध कराने से उन्हें अपने मार्जिन को बनाए रखते हुए **खुदरा और औद्योगिक ऋणों पर दरों को कम करने में मदद मिल सकती** है।
- LTRO बॉण्ड मार्केट में अल्पावधि की प्रतिभूतियों (1-3 वर्ष की अवधि) के लिये यील्ड (Yield) कम करने में भी मदद करेगा।

संभावित लाभ

- RBI द्वारा रेपो रेट में कमी करने के बावजूद बैंक उसका लाभ ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को नहीं दे रहे थे किंतु अब दीर्घावधि के लिये ऋण प्राप्त होने से **बैंक आसानी से ऋण प्रदान कर सकते हैं।**
- ऋण तक आसान पहुँच के कारण **उपभोग में वृद्धि** की जा सकेगी, जो कि वर्तमान आर्थिक सुस्ती का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है।
- यह एक ऐसा उपाय है जिस पर बाज़ार सहभागियों को उम्मीद है कि यह अल्पकालिक दरों को कम करेगा और **कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश को भी बढ़ावा** देगा।

वैश्विक निवेश रुझान मॉनीटर रिपोर्ट

हाल ही में **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** (United Nations Conference On Trade and Development- UNCTAD) द्वारा **वैश्विक निवेश रुझान मॉनीटर रिपोर्ट, 2019** (Global Investment Trend Monitor Report, 2019) जारी की गई।

रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- **भारत,** वर्ष 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) के **शीर्ष 10 प्राप्तकर्त्ताओं** में शामिल रहा है। इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **49 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है जो वर्ष 2018 की तुलना में 16% की वृद्धि दर्शाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **1.39 ट्रिलियन डॉलर** रहा। वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में वैश्विक FDI में **1 प्रतिशत की गिरावट** देखी गई।
- **विकासशील देश वैश्विक FDI का लगभग आधे से अधिक FDI** प्राप्त करते हैं।
  - ध्यातव्य है कि **दक्षिण एशिया** ने FDI में **10 प्रतिशत की वृद्धि** के साथ 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की है।
  - गौरतलब है कि **भारत ने** वर्ष 2018 की तुलना में FDI प्राप्ति में **16% की वृद्धि** की है, जो **दक्षिण एशिया के FDI की प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण** है।
- **विकसित देशों** में FDI का प्रवाह ऐतिहासिक रूप से **निम्न स्तर** पर रहा, जो कि **6 प्रतिशत घटकर** अनुमानित 643 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। **यूरोपीय संघ** का FDI **15 प्रतिशत** गिरकर 305 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- जबकि **संयुक्त राज्य अमेरिका** में FDI का प्रवाह **शून्य** रहा, जिसे वर्ष 2019 में 251 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। इसके बावजूद **संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्त्ता रहा।**
- इसके बाद **चीन** को 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर और **सिंगापुर** को 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि इस मामले में **भारत आठवें स्थान** पर रहा।
- चीन के FDI प्रवाह में भी **शून्य वृद्धि** देखी गई। साथ ही ब्रेक्ज़िट (Brexit) के कारण ब्रिटेन के FDI में **6 प्रतिशत की कमी** देखी गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2019** में **सीमा पार विलय और अधिग्रहण** (Cross-Border Mergers & Acquisitions: M-As) 40 प्रतिशत घटकर **490 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया है जो वर्ष 2014 के बाद से सबसे निचला स्तर है।
- **वैश्विक सीमापारीय M-As** की बिक्री में **सेवा क्षेत्र** में सबसे अधिक 56% **गिरावट** देखी गई। इसके बाद **विनिर्माण** और **प्राथमिक** क्षेत्र में क्रमशः 19 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020

17 मार्च, 2020 को 'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' पारित किया गया। प्रत्यक्ष कर के विवादों के निपटारे हेतु **'विवाद से विश्वास योजना'** की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष बजट में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को कम करने के लिये 'सबका विश्वास योजना' लाई गई थी।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020

- इस अधिनियम का उद्देश्य **प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तीव्र गति से हल** करना है।
- वर्तमान में विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लगभग 4,83,000 प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले लंबित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में लंबित मामलों में कमी लाना है।
- सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से विवादित करों का एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से और सरल तरीके से वसूला जा सकेगा।

विवाद से विश्वास योजना

- प्रस्तावित **विवाद से विश्वास योजना** के तहत **एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान** करना होगा और उसे **ब्याज एवं जुर्माने में पूरी छूट मिलेगी,** बशर्ते वह 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करें।
- ऐसे समय में जब सरकार कर राजस्व में कमी कर रही है, तब इस योजना के माध्यम से **विवादित करों की वसूली सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण साबित** हो सकती है।
- इसके पहले विवाद निपटारे में समय के नुकसान के साथ दोनों पक्षों को अत्यधिक खर्च उठाना पड़ता था किंतु अब इस योजना के चलते **करदाता एवं सरकार दोनों को फायदा** होगा।
- विपक्ष के आरोप के अनुसार यह विधेयक ईमानदार और बेईमान लोगों के साथ समान व्यवहार करता है।

रिज़र्व बैंक विनियमन

5 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सहकारी बैंकों** को **भारतीय रिज़र्व बैंक** (RBI) के **विनियमन** के तहत शामिल करने के लिये **बैंकिंग विनियमन अधिनियम** में **संशोधन को मंज़ूरी** दी है। यह **निर्णय पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव** (Punjab-Maharashtra Cooperative-PMC) **बैंक संकट** को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सहकारी बैंकों के प्रशासनिक मामले **सहकारिता रजिस्ट्रार** के अंतर्गत ही रहेंगे। अब इन बैंकों को **RBI के बैंकिंग दिशा-निर्देशों के तहत विनियमत** किया जाएगा। इनकी **ऑडिटिंग** भी इसके **मानदंडों के अनुसार** ही की जाएगी। इससे पहले **RBI** निजी और सरकारी बैंकों को नियंत्रित और विनियमित करता था।
- **प्रमुख पदों पर नियुक्ति** के लिये RBI से **पूर्व अनुमति** लेनी आवश्यक होगी और **नियामक ऋण माफी** जैसे मुद्दों का **निपटान** किया जा सकेगा। **वित्तीय संकट** में RBI के पास किसी भी **सहकारी बैंक के बोर्ड** को **पृथक करने की शक्ति** होंगी।
- **बैंक जमा पर ₹1 से ₹5 लाख तक** के **इंश्योरेंस कवर में वृद्धि** करने के सरकार के निर्णय के साथ-साथ **प्रस्तावित संशोधनों** से **सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता में वृद्धि** होगी तथा बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

भारतीय रेलवे: कॉर्पोरेट ट्रेन मॉडल

हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा संचालित **काशी महाकाल एक्सप्रेस** (Kashi Mahakal Express) को **तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन** का दर्जा प्राप्त हुआ है। **इससे पूर्व** यह दर्जा **दिल्ली-लखनऊ** और **मुंबई-अहमदाबाद रूट** के बीच संचालित **दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों** को प्राप्त था।

कॉर्पोरेट ट्रेन मॉडल

- भारतीय रेलवे द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (Indian Railway Catering and Tourism Corporation-IRCTC) के लिये नियमित यात्री ट्रेनों को **'आउटसोर्स'** करने का एक **नया सक्रिय मॉडल कॉर्पोरेट ट्रेन मॉडल** है।
- यह मॉडल एक **पायलट परियोजना** है। इस मॉडल के सफल होने पर निजी क्षेत्र को लगभग 100 रेलवे रूट्स पर 150 ट्रेनों को संचालित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद

हाल ही में केंद्र सरकार ने **'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद'** (National Startup Advisory Council-NSAC) को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु

इस परिषद की स्थापना **सतत् आर्थिक विकास** की अवधारणा के अंतर्गत की गई है, ताकि भारत को **'व्यापार सुगमता'** (Ease of Doing Business) जैसे **सूचकांकों** में **बेहतर स्थिति प्रदान** की जा सके।

परिषद की संरचना

- **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की **अध्यक्षता** की जाएगी।
- इस परिषद में **गैर-आधिकारिक** सदस्य भी होंगे जो कि सरकार द्वारा **सफल स्टार्टअप्स संस्थापकों, भारत में कंपनी स्थापित** करने और उसे **विकसित** करने वाले **अनुभवी व्यक्तियों, स्टार्टअप्स में निवेशकों** के हितों का प्रतिनिधित्व करने में **सक्षम व्यक्तियों, इन्क्यूबेटरों** (Incubators) एवं **उत्प्रेरकों के हितों का प्रतिनिधित्व** करने में **सक्षम व्यक्तियों और स्टार्टअप्स के हितधारकों** के संघों एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न वर्गों से नामांकित किये जाएंगे।
- इसके **गैर-आधिकारिक सदस्यों** का कार्यकाल **दो वर्ष** का होगा।
- संबंधित मंत्रियों/विभागों/संगठनों के नामित व्यक्ति जो कि भारत सरकार में संयुक्त सचिव पद से नीचे के न हों, **परिषद के पदेन सदस्य** (Ex-officio Members) होंगे।
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) के संयुक्त सचिव को इस परिषद का **संयोजक** नियुक्त किया जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन डेमो-2

मई 2020 में नासा ने स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान, क्रू ड्रैगन की सहायता से दो अंतरिक्ष यात्रियों को 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS) भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि स्पेसएक्स किसी मानव अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है।
- स्पेसएक्स द्वारा इस अंतरिक्ष यान में डग हर्ले (Doug Hurley) और बॉब बेनकेन (Bob Behnken) नामक दो अंतरिक्ष यात्रियों को दो चरणों वाले फाल्कन-9 रॉकेट की मदद से 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' के लिये भेजा गया है।
- स्पेसएक्स के कैप्सूल को ISS के साथ 'डॉकिंग प्रक्रिया' को पूरा करने में 28,000 किमी. प्रति घंटे की गति से 19 घंटे का समय लगा।
  - डॉकिंग प्रक्रिया में दो अलग-अलग स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले वाहनों को एक साथ जोड़ा जाता है।
- ISS पहुँचने के साथ ही यात्रा का प्रथम चरण पूरा हो गया है परंतु मिशन को तभी सफल घोषित किया जाएगा जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आएंगे।

क्रू ड्रैगन

- यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है उसे 'क्रू ड्रैगन' (Crew Dragon) नाम दिया गया है।
- यह अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता स्पेसएक्स द्वारा विकसित और निर्मित पुन: प्रयोज्य अंतरिक्ष यान ड्रैगन-2 का एक हिस्सा है।
- यह मर्करी, जैमिनी, अपोलो और स्पेस शटल प्रोग्राम के बाद मनुष्य को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यान का पाँचवा वर्ग है।

एसएन 2010 केडी

अप्रैल 2020 में 'आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज' (AARIES) के शोधकर्त्ताओं ने यह पता लगाया है कि 'एसएन 2010 केडी' (SN 2010kd) सुपरनोवा की सतह पर विस्फोट के दौरान द्रव्यमान के साथ ही पर्याप्त मात्रा में निकेल (Ni) भी बाहर निकला। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ऐसा सामान्यत: सुपरनोवा के कोर विघटन के समय ही दृष्टिगोचर होता है।

वैज्ञानिक अवलोकन

- अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा एसएन 2010 केडी में यह विस्फोट मानक/सामान्य सुपरनोवा की तुलना में 10 गुना अधिक अथवा कहीं अधिक ऊर्जा पैदा करने वाला है।
- अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा एसएन 2010 केडी से उत्सर्जित द्रव्यमान से पता चलता है कि इसका विकास सामान्य कोर-विघटन सुपरनोवा के अन्य संभावित अपने पूर्व के सुपरनोवा से अलग/भिन्न हो सकता है।
- यह विस्फोट एक सामान्य सुपरनोवा के विस्फोट से काफी तीव्र था लेकिन यह एक सामान्य सुपरनोवा की भाँति धीरे-धीरे शांत हुआ।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा इस अध्ययन में रोटसे IIIबी एवं संपूर्णानंद टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया।
- वैज्ञानिक निरीक्षण से पता चलता है कि घूर्णन और धात्विकता जैसे मानदंड तारकीय विस्फोटों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एसएन 2010 केडी लगभग 1.5 गीगा प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- इसकी खोज 14 नवंबर, 2010 को अमेरिका की 'रोटसे सुपरनोवा सत्यापन परियोजना' (ROTSE Supernova Verification Project) के तहत 'रोबोटिक ऑप्टिकल ट्रांसिएंट सर्च एक्सपेरिमेंट' (ROTSE-IIIb) दूरबीन द्वारा की गई।
- यह सिंह नक्षत्र की तरफ एक बौनी आकाशगंगा (Dwarf Galaxy) में स्थित था।

TOI 700 d ग्रह

जनवरी 2020 में नासा ने पृथ्वी के आकार जैसे एक ग्रह TOI 700 d की खोज की है जो गोल्डीलॉक्स ज़ोन में अपने तारे (TOI 700) की परिक्रमा करता है।

प्रमुख बिंदु

- TOI 700 तारा दक्षिणी नक्षत्र मंडल डोरैडो (Southern Constellation Dorado) में 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक 'एम बौना' (M dwarf) तारा है जो सूर्य के द्रव्यमान और आकार का लगभग 40% है तथा इसकी सतह का तापमान सूर्य की सतह के तापमान का लगभग आधा है।
- यह ग्रह पृथ्वी से 20% अधिक बड़ा है और यह अपने तारे की परिक्रमा 37 दिनों में पूरी करता है।
- TOI 700 d ग्रह को ऊर्जा इसके तारे TOI 700 से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा के 86% के बराबर है।
- दो अन्य ग्रह TOI 700 b और TOI 700 c भी TOI 700 तारे की परिक्रमा करते हैं।
  - TOI 700 b का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है तथा इसकी सतह का चट्टानी संरचना से निर्मित होने का अनुमान है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में 10 दिन का समय लगता है।
  - TOI 700 c ग्रह, TOI 700 b ग्रह और TOI 700 d ग्रह के मध्य स्थित है। यह पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है। इस ग्रह पर गैसों की प्रचुरता है और यह 16 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है।
  - TOI 700 d सबसे बाहरी ग्रह है जो TOI 700 तारे के वासयोग्य क्षेत्र में एकमात्र ग्रह है।

सनराइज़ मिशन

- 30 मार्च, 2020 को NASA ने सूर्य की उत्पत्ति तथा सूर्य पर विशाल मौसमी अंतरिक्ष तूफान जिन्हें 'सौर कण तूफान' कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करने के लिये सनराइज़ मिशन की घोषणा की। इसका कार्य सूर्य की उत्पत्ति तथा सौर कण तूफान का अध्ययन करना एवं सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना है।
- सनराइज़ (SunRISE) का पूर्ण रूप 'सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट' (Sun Radio Interferometer Space Experiment) है। सनराइज़ में छह क्यूबसैट (CubeSats) शामिल हैं जो एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेंगे।

सोलर ऑर्बिटर प्रोब

- फरवरी 2020 में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) ने सूर्य के ध्रुवों के मापन के लिये एक नए सोलर ऑर्बिटर प्रोब (Solar Orbiter probe) को लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की सतह पर लगातार उड़ने वाले आवेशित कणों, सौर हवा, सूर्य के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है।

साइलेंट हाइपोक्सिया

COVID-19 से पीड़ित लोगों के इलाज में प्रयासरत दुनिया भर के चिकित्सक एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, COVID-19 से पीड़ित कुछ लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद श्वसन संबंधी समस्याएँ परिलक्षित नहीं हो रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सकों का मत है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद लोगों में श्वसन संबंधी समस्याओं का परिलक्षित न होना 'साइलेंट/हैप्पी हाइपोक्सिया' (Silent/Happy Hypoxia) को इंगित करता है।
- 'साइलेंट/हैप्पी हाइपोक्सिया' रक्त में ऑक्सीजन की कमी का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी पहचान करना नियमित हाइपोक्सिया की तुलना में कठिन है।
- COVID-19 से पीड़ित कुछ मरीज़ों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 80% से कम होने के बावजूद उनको साँस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है।
- 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, साइलेंट हाइपोक्सिया के पश्चात् लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएँ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण हो रही हैं। यह समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है।

H9N2: इन्फ्लूएंज़ा वायरस

इन्फ्लूएंज़ा वायरस A के एक दुर्लभ उप-प्रकार H9N2 वायरस का पहला मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। उल्लेखनीय है कि यह वायरस एवियन इन्फ्लूएंज़ा या बर्ड फ्लू रोग का कारण बनता है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) तथा भारत के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) के वैज्ञानिकों ने इमर्जिंग इन्फेक्शस डिज़ीज़ेज़ जर्नल (Emerging Infectious Diseases Journal) में इस वायरस के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की है।
- H9N2 वायरस, इन्फ्लूएंज़ा वायरस A का एक उप-प्रकार है, जो ह्यूमन इन्फ्लूएंज़ा के साथ-साथ बर्ड फ्लू का भी कारण है।
- अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, H9N2 वायरस जंगली पक्षियों में विशेष रूप से पाए जाते हैं।
- H9N2 वायरस पहली बार वर्ष 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कोंसिन में प्रवासी पक्षियों के झुंड टर्की फ्लोक्स (Turkey Flocks) में पाया गया था।
- मनुष्यों में H9N2 वायरस का संक्रमण दुर्लभ होता है, जो अस्पष्ट लक्षणों के कारण प्रकाश में नहीं आ पाता है।
- मनुष्यों में H9N2 वायरस के संक्रमण का पहला मामला वर्ष 1998 में हॉन्गकॉन्ग में सामने आया।
- विगत कुछ वर्षों में H9N2 वायरस के कारण मनुष्यों में संक्रमण फैलने के मामले हॉन्गकॉन्ग के अतिरिक्त चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा मिस्र में भी देखे गए हैं।
- इस वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी तथा श्वसन क्रिया में बाधा इत्यादि शामिल हैं।
- भारत में इस वायरस को फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के मेलघाट ज़िले के कोरकू जनजाति में समुदाय आधारित निगरानी अध्ययन के दौरान देखा गया।

यादा यादा वायरस

- वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा यादा वायरस (Yada Yada Virus-YYV) का नाम दिया है। यह एक अल्फावायरस है जो अल्फावायरस, पॉज़िटिव-सेंस सिंगल-स्ट्रेंडेड आरएनए वायरस (Positive-sense Single-Stranded RNA Virus or (+) ssRNA virus) के एक जीनोम के साथ छोटे, गोलाकार, आवरण युक्त विषाणु होते हैं। पॉज़िटिव-सेंस RNA वायरस में हेपेटाइटिस सी वायरस, वेस्ट नील वायरस, डेंगू वायरस तथा SARS और MERS कोरोनावायरस शामिल हैं। यह वायरस के एक ऐसे समूह से संबंधित है जिसमें चिकनगुनिया वायरस (Chikungunya Virus) और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस (Eastern Equine Encephalitis Virus) जैसे अन्य अल्फावायरस शामिल हैं। ये मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा प्रसारित होते हैं। कुछ अन्य अल्फावायरस के विपरीत यादा यादा वायरस मनुष्य के लिये कम खतरनाक है।

मेसोथेलियोमा

- जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि इसके बेबी पाउडर (Talcum Powder) में एस्बेस्टस होता है जो एक प्रकार के दुर्लभ कैंसर 'मेसोथेलियोमा' (Mesothelioma) का कारण बन सकता है।
- टेल्कम (Talcum) पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसे नमी अवशोषित करने की क्षमता के कारण बेबी पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेल्कम के खनन के दौरान एस्बेस्टस भी मिलता है जिसे मेसोथेलियोमा (Mesothelioma) और एस्बेस्टॉसिस (Asbestosis) जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है।
- मेसोथेलियोमा (Mesothelioma) कैंसर का एक आक्रामक एवं घातक रूप है जो ऊतक की पतली परत में होता है और आंतरिक अंगों (Mesothelium) के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। इसे आंतरिक अंगों (Mesothelium) के हिस्से को प्रभावित करने के आधार पर अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है।
- एस्बेस्टॉसिस एक पुरानी बीमारी है इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है। यह बीमारी एस्बेस्टस एक्सपोज़र के कारण होती है।

यारावायरस

- शोधकर्त्ताओं ने ब्राज़ील की एक झील में एक वायरस की खोज की है, जिसे उन्होंने यारावायरस (Yaravirus) नाम दिया है। इस वायरस का नामकरण एक पज़लिंग ओरिजिन एंड फिलोजेनी (Puzzling Origin And Phylogeny) के साथ अमीबा वायरस की एक नई वंशावली के रूप में किया गया है। इसे यारावायरस नाम ब्राज़ील की देशज जनजाति टूपी-गुआरानी (Tupi-Guarani) की पौराणिक कहानियों में 'मदर आफ वाटर्स' (Mother Of Waters) जिसे 'यारा' (Yara) कहा जाता है, की याद में दिया गया है। यारावायरस के छोटे आकार के कारण यह अन्य वायरस से अलग है। यह अमीबा (Amoeba) को संक्रमित करता है और इसमें ऐसे जीन होते हैं जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है। शोधकर्त्ताओं का कहना है कि अमीबा को प्रभावित करने वाले अन्य विषाणुओं में कुछ समानताएँ हैं जो यारावायरस में नहीं हैं। यह वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करता है।

स्वस्थ वायु

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की 'नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी' ने महज 36 दिन के रिकार्ड समय में COVID-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिये एक 'नान-इनवेज़िव बीपैप (बाई लेवल पॉजिटिव एयर वे प्रेशर-BiPAP) वेंटिलेटर' 'स्वस्थ वायु' (SwasthVayu) विकसित किया है।
- यह एक वेंटिलेटर मशीन है जो गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों को 'यांत्रिक वेंटिलेशन' प्रदान करती है। 'नान-इनवेज़िव बीपैप वेंटिलेटर' एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित 'क्लोज़-लूप एडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम' (Closed-Loop Adaptive Control System) है। इसमें 'अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर' (HEPA) तथा '3D प्रिंटेड मैनीफोल्ड एंड कपलर' का उपयोग किया गया है।
- इस वेंटीलेटर मशीन का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसके इस्तेमाल के लिये किसी स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं है और इसे किसी वार्ड, अस्थायी अस्पताल या डिस्पेंसरी में भी उपयोग में लाया जा सकता है, साथ ही नर्सिंग स्टाफ को इसके लिये प्रशिक्षित करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे स्वदेशी उपकरण एवं तकनीक की सहायता से तैयार किया गया है। इसे 'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (NABL) की मान्यता प्राप्त एजेंसियों ने प्रमाणित किया है।

नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपेसिटर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी के शोधकर्त्ताओं (INSPIRE फैकल्टी पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता भी शामिल) ने नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपेसिटर के विकास में महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह शोधकार्य 'मैटिरियल्स रिसर्च एक्सप्रेस' में प्रकाशित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपेसिटर की मदद से उच्च ऊर्जा घनत्व और उच्च शक्ति घनत्व वाला सुपरकैपेसिटर प्राप्त किया जा सकता है।
  - ऊर्जा घनत्व ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे किसी पदार्थ या प्रणाली के दिये गए द्रव्यमान में संग्रहीत किया जा सकता है, अर्थात् यह ऊर्जा भंडारण का एक मापक है।
  - शक्ति घनत्व प्रति यूनिट आयतन में शक्ति (ऊर्जा स्थानांतरण की दर) की मात्रा है, अर्थात् यह ऊर्जा के निष्कासन का एक मापक है।

कैपेसिटर

- बैटरी की तरह कैपेसिटर का उपयोग भी ऊर्जा को संगृहीत करने के लिये किया जाता है।
- हालाँकि बैटरी रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है, जबकि कैपेसिटर ऊर्जा को संगृहीत करने के लिये स्थैतिक विद्युत (इलेक्ट्रोस्टैटिक्स) का उपयोग करते हैं।
- बैटरी की तुलना में कैपेसिटर का वज़न कम होता है। आमतौर पर कैपेसिटर में किसी हानिकारक रसायन या ज़हरीली धातु का उपयोग नहीं होता है। कैपेसिटर को कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालाँकि बैटरी के विपरीत कैपेसिटर की विद्युत ऊर्जा संग्रहीत करने की क्षमता कम होती है।

- उल्लेखनीय है कि बिना रिचार्ज किये उच्च ऊर्जा घनत्व वाले सुपरकैपेसिटर की सहायता से अत्यधिक समय तक एक सामान विद्युतधारा प्रवाहित करवाई जा सकती है।
- नैनोमैटिरियल्स आधारित सुपरकैपेसिटर की मदद से ई-वाहनों की दक्षता में वृद्धि कर उनका उपयोग लंबी दूरी का सफर तय करने के लिये भी किया जा सकेगा।

हल्का कार्बन फोम

मई 2020 में सीएसआईआर-एडवांस्ड मैटिरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार का 'हल्का कार्बन फोम' विकसित किया है, जो लेड-एसिड बैटरी में लेड ग्रिड को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबे जीवन चक्र के कारण ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में लिथियम आयन (ली-आयन) बैटरी का प्रभुत्त्व है।
- ऊर्जा घनत्व ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे किसी पदार्थ या प्रणाली के दिये गए द्रव्यमान में संग्रहीत किया जा सकता है, अर्थात् यह ऊर्जा के भंडारण का एक मापक है।
- हालाँकि ली-आयन बैटरी के संबंध में सुरक्षा जोखिम, सीमित संसाधन आपूर्ति, उच्च लागत और पुनर्चक्रण बुनियादी ढाँचे की कमी जैसे मुद्दे जुड़े हैं।
- लेड-एसिड बैटरी अभी भी सबसे विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में से एक है।
- लेड-एसिड बैटरी रिचार्जेबल बैटरी के सबसे पुराने प्रकारों में से एक है, जिसका आविष्कार वर्ष 1859 में फ्राँसिसी भौतिक विज्ञानी गैस्टन प्लांट ने किया था।
- हालाँकि लेड-एसिड बैटरियाँ अधिक भार, जंग लगना, खराब थर्मल स्थिरता और एक आयाम में इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रसार की समस्या से ग्रस्त हैं जो अंततः ऊर्जा उत्पादन की शक्ति को प्रभावित करती हैं।
- उपरोक्त मुद्दों से निपटने के साथ ही पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए आर्थिक और उच्च ऊर्जा घनत्व के साथ एक वैकल्पिक बैटरी प्रणाली के विकास की आवश्यकता थी।
- इस प्रकार शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित यह हल्का कार्बन फोम लेड-एसिड बैटरी की जगह ले सकता है। लेड-एसिड बैटरी काफी वज़नी, विनाशन क्षमता और कम तापीय स्थायित्व वाली होती है।

फोम की विशेषताएँ

- शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित इस हल्के कार्बन फोम का घनत्व बहुत कम है।
- यह कार्बन फोम किफायती और जल में अघुलनशील होगा।
- यह फोम, लेड-एसिड बैटरी में लेड-ग्रिड को प्रतिस्थापित कर सकता है।

उपयोग

यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक में हीट सिंक्स, एयरोस्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शिल्डिंग, हाइड्रोजन भंडारण और लेड एसिड बैटरी एवं जल शुद्धिकरण प्रणाली के लिये इलेक्ट्रोड के रूप में भी उपयोगी हो सकता है।

अल्ट्राफास्ट लेज़र सरफेस टेक्सचरिंग

मार्च 2020 में 'इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल' ने एक 'अल्ट्राफास्ट लेज़र सरफेस टेक्सचरिंग' (Ultrafast Laser Surface Texturing) तकनीक विकसित की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि अल्ट्राफास्ट लेज़र सरफेस टेक्सचरिंग तकनीक की सहायता से आंतरिक दहन इंजनों की ईंधन दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
- 'लेज़र सरफेस माइक्रो-टेक्सचरिंग तकनीक' माइक्रो-सरफेस टेक्सचर के आकार, बनावट और घनत्व को सटीक नियंत्रण प्रदान करते हुए घर्षण और घिसाव (सिलिंडर सतह और पिस्टन के मध्य) पर प्रभावशाली रूप से नियंत्रण बनाती है।

तकनीक के बारे में

- इस तकनीक में एक स्पंदित लेज़रबीम के माध्यम से बेहद नियंत्रित तरीके से वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म-गर्तिका अथवा खाँचे का निर्माण किया जाता है।
- इस तरह की सतह ड्राई स्लाइडिंग की स्थिति में तेल (स्नेहक) की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साथ ही घर्षण गुणांक और परिणामस्वरूप घिसाव की दर को भी कम करती है।
- आंतरिक दहन इंजन पुर्जों, पिस्टन रिंग्स और सिलिंडर लाइनर्स की सतहों पर सूक्ष्म-गर्तिका अथवा खाँचे का निर्माण पल्स ड्यूरेशन लेज़र का उपयोग करते हुए किया गया है।
- लेज़रबीम के माध्यम से लगभग 5-10 μm गहरी और 10-20 μm व्यास की सूक्ष्म-गर्तिका को नियमित पैटर्न का उपयोग करते हुए बनाया गया है।
- वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म-गर्तिका अथवा खाँचे के निर्माण से सतह स्थलाकृति में परिवर्तन होता है जो अतिरिक्त हाइड्रोडाइनामिक दबाव उत्पन्न करता है परिणामस्वरूप सतहों की भार-वहन क्षमता बढ़ जाती है।
- इंजन के आंतरिक भागों (पिस्टन रिंग्स, सिलिंडर) की विभिन्न गतियों तथा तापमान पर निर्मित सतह का परीक्षण शीतलक और स्नेहक तेल की उपस्थिति में किया गया।
- परीक्षण में पिस्टन रिंग्स पर निर्मित सतह के उपयोग से स्नेहक ईंधन की खपत में 16% की कमी दर्ज की गई एवं ल्यूब ऑयल खपत परीक्षण (10 घंटे तक) से पता चलता है कि पिस्टन रिंग्स की सतह पर लगने वाले घर्षण बल में भी काफी कमी हुई है।
- अल्ट्राफास्ट लेज़र माइक्रो अथवा नैनो विशेषताओं का निर्माण करती है जो वैक्यूम रहित भी होती हैं।

चीन का FAST टेलिस्कोप

चीन का 'फाइव हंड्रेड मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप' (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope-FAST) सितंबर 2020 से एलियन संकेतों की खोज शुरू करेगा।

प्रमुख बिंदु

- जनवरी 2020 में चीन द्वारा इस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर विश्व के लिये सार्वजनिक की गई थी।
- ब्रह्माण्ड में पारलौकिक जीवन खोजने में मदद करने के अलावा यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं की एक विस्तृत शृंखला का

अध्ययन करने के लिये डेटा एकत्रित करेगा जिसमें ब्लैक होल, गैस क्लाउड एवं अधिकतम दूरी की आकाशगंगाएँ शामिल हैं।

- इस टेलीस्कोप का व्यास लगभग 500 मीटर का है किंतु यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह केवल एक निश्चित समय में रिसीवर पर 300 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को ही केंद्रित करता है।
- पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद यह प्यूर्टो-रिको (Puerto Rico) में 'अरेसिबो वेधशाला' (Arecibo Observatory) द्वारा कवर किये गए आकाशीय क्षेत्र को दो बार स्कैन करने में सक्षम होगा जो अब तक दुनिया में सबसे बड़े 'सिंगल-एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप' के लिये एक रिकॉर्ड है।
- इस टेलीस्कोप का उल्लेख पहली बार वर्ष 1994 में किया गया था किंतु वास्तविक मंज़ूरी वर्ष 2007 में दी गई थी।
- इस टेलीस्कोप को 36 फुट लंबाई के त्रिकोणीय आकार के 4,500 पैनलों का उपयोग करके बनाया गया है जो एक डिश पैनल जैसी संरचना बनाते हैं। यह एक 33 टन का 'रेटिना' (Retina) उपकरण है जिसे 460-525 फीट की ऊँचाई पर लगाया गया है।
- इस टेलीस्कोप को चीन के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत गुइझोउ (Guizhou) के पिंगटांग काउंटी (Pingtang County) में स्थापित किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। इसे 'आई ऑफ हेवन' (Eye of Heaven) के रूप में भी जाना जाता है।

क्वांटम उपग्रह आधारित संचार प्रणाली

जून 2020 में चीनी वैज्ञानिकों ने 'मिसियस' (Micius) क्वांटम उपग्रह का प्रयोग कर विश्व में पहली बार लंबी दूरी के बीच 'क्वांटम क्रिप्टोग्राफी' (Quantum Cryptography) को सफलतापूर्वक स्थापित किया है जो 'क्वांटम इंटेंगलमेंट' (Quantum Entanglement) पर आधारित है।

प्रमुख बिंदु

- पान जियान-वी (Pan Jian-Wei), जिन्हें चीन में 'क्वांटम तकनीक का पिता' माना जाता है, के नेतृत्त्व में वैज्ञानिकों की टीम ने क्वांटम तकनीक की दिशा में कई सफलताएँ प्राप्त की है।
- क्वांटम एंटैंगलमेंट एक भौतिक घटना है। यह घटना तब होती है जब कणों के युग्म या कणों के समूह इस तरह से उत्पन्न होते हैं या आपस में मिलते हैं कि प्रत्येक कण की क्वांटम अवस्था को स्वतंत्र रूप से दूसरे कण की अवस्था के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।
- मिसियस उपग्रह के माध्यम से मूल ग्राउंड स्टेशन जो एक-दूसरे से 1,200 किमी. की दूरी पर स्थित थे, के मध्य एंटैंगलमेंट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।
- 'मिसियस' (Micius) क्वांटम उपग्रह फोटॉन स्रोत के रूप में कार्य करता है। एंटैंगलमेंट फोटॉन आपस में संबंधित हल्के कण होते हैं जिनके गुण एक-दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि किसी एक फोटॉन में परिवर्तन होता है, तो इसका प्रभाव दूसरे फोटॉन पर भी होता है।
- मिसियस (Micius) विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है, जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।
- उपग्रह का नाम प्राचीन चीनी दार्शनिक मोजि (Mozi) के नाम पर रखा गया है।

क्वांटम संचार

क्वांटम संचार/क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम कुंजी वितरण (Quantum Key Distribution-QKD) संचार अथवा डेटा विनिमय का सबसे सुरक्षित तरीका है जो इसके लिये 'सममित कूटबद्ध कुंजी' (Symmetric Encoded Key) वितरण को सुनिश्चित करता है। इसमें संचार के लिये फोटॉन जो कि क्वांटम कण है, का प्रयोग किया जाता है।

- अब तक ऑप्टिकल आधारित क्वांटम कुंजी वितरण का उपयोग कर केवल 100 किलोमीटर तक ही सुरक्षित संचार स्थापित किया गया है। हालाँकि रिपीटर (Repeater) के प्रयोग से क्वांटम दूरसंचार की लंबाई बढ़ाई जा सकती है।
- उदाहरण के लिये विश्व में पहली क्वांटम गोपनीय दूरसंचार लाइन बीजिंग-शंघाई की लंबाई 2000 किमी. है, जिसमें 32 रिपीटरों का प्रयोग किया गया है।
- रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संकेत प्राप्त करता है और इसे आगे पहुँचाता है। ट्रांसमीटरों का विस्तार करने के लिये रिपीटर का उपयोग किया जाता है ताकि सिग्नल लंबी दूरी को कवर कर सके।

क्वांटम तकनीक पर राष्ट्रीय मिशन

केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Quantum Technologies and Applications-NMQTA) की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन के अंतर्गत क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु 5 वर्षों के लिये ₹8000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- इसका क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत में क्वांटम तकनीक को विकसित कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर प्रगतिशील बनाना है।
- क्वांटम तकनीक के विकास से कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा क्षेत्र में नए आयाम सृजित किये जा सकते हैं।
- यदि भारत इस प्रौद्योगिकी (क्वांटम) में सफल रहता है तो भारत इस तकनीक में कामयाब होने वाला विश्व का तीसरा देश होगा।
- उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इज़राइल के साथ 27 संभावित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें से एक क्वांटम कंप्यूटिंग भी है।

मिशन के फोकस क्षेत्र

- आधारभूत विज्ञान से संबंधित क्षेत्र
- अनुवाद संबंधी अनुसंधान
- तकनीक का विकास
- राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य उपयोगी क्षेत्रों में उच्च कौशल युक्त नौकरियों, मानव संसाधन के विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि तकनीकी विकास का नेतृत्व करता है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में

- क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तर पर ऊर्जा एवं पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है।
- इस तकनीक की सहायता से डेटा और इन्फॉर्मेशन को कम-से-कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है।
- क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटिंग से जुड़े टास्क कम-से-कम समय में पूरे किये जा सकते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम टू लेवल सिस्टम (क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स) का उपयोग करके जानकारी संग्रहीत करते हैं और जो क्लासिकल बिट्स के विपरीत सुपर स्पेशल स्टेट्स में तैयार किये जा सकते हैं।
- यह महत्त्वपूर्ण क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बेहद शक्तिशाली बनाती है।

वाई-फाई कॉलिंग

दिसंबर 2019 में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने भारत में वाई-फाई कॉलिंग (Wi-Fi Calling) की सुविधा प्रारंभ की है जिसे मोबाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी प्रगति माना जा रहा है।

वाई-फाई कॉलिंग

- वाई-फाई कॉलिंग एक नई तकनीक है जिसके माध्यम से हम बिना कैरियर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क के किसी से बातचीत कर सकते हैं।
- इसके लिये किसी कैरियर नेटवर्क की बजाय हमें वाई-फाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
- अभी तक वाई-फाई का प्रयोग तार-रहित इंटरनेट कनेक्शन, डेटा ट्रांसफर जैसे- शेयरइट (Shareit), ज़ेंडर (Xender) आदि के लिये किया जाता था लेकिन भारत में कॉल करने हेतु इसका प्रयोग पहली बार किया जा रहा है।
- वर्तमान में कुछ मोबाइल एप जैसे- व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप आदि भी इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा से लैस हैं।
- उक्त सभी मोबाइल एप कॉलिंग के लिये पूरी तरह वाई-फाई या डेटा कनेक्शन का प्रयोग करते हैं जिसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (Voice Over Internet Protocol- VoIP) कहा जाता है।

कार्यप्रणाली

- VoIP की सहायता से कॉलिंग के लिये यूज़र को इन एप्लीकेशंस (व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप आदि) को मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है।
- इसके विपरीत वाई-फाई कॉलिंग हेतु कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- वाई-फाई कॉलिंग के लिये यूज़र इसे डिफॉल्ट मोड में लगा सकता है। इससे मोबाइल में नेटवर्क न होने की स्थिति में यह स्वयं ही वाई-फाई कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने में सक्षम होगा।
- वाई-फाई कॉलिंग के लिये यूज़र को अलग से संपर्क सूची (Contacts List) नहीं बनानी होगी बल्कि यह फोन की मौजूदा संपर्क सूची को एक्सेस कर लेगा।
- इसके तहत बिना इंटरनेट कनेक्शन और बगैर किसी अन्य एप के कॉल भी प्राप्त की जा सकेगी।
- वाई-फाई कॉलिंग हेतु मोबाइल फोन में 'वाई-फाई कॉलिंग' तथा 'हाई डेफिनिशन वॉइस' (HD Voice) की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिये।

महत्त्व

- जब कैरियर नेटवर्क कमज़ोर हो या उसके प्रयोग से बातचीत करना संभव न हो तब वाई-फाई कॉलिंग की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये बड़े मकानों के बीच, किसी भूमिगत स्थान में या दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थितियों में वाई-फाई कॉलिंग सहायक साबित हो सकती है।
- वाई-फाई कॉलिंग में किसी कैरियर नेटवर्क का प्रयोग नहीं होता। अत: इसमें टॉकटाइम या बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' और 'आईटी उद्योग' द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग निकाय 'नैसकॉम' (NASSCOM) मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे। नैसकॉम (NASSCOM) भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। यह एक लाभ-निरपेक्ष (Non-profit) संस्था है।
- यह पोर्टल भारत में AI से संबंधित संसाधनों के साझाकरण हेतु भारत में AI से संबंधित विकास के लिये एक 'स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म' के रूप में काम करेगा।
- यह पोर्टल दस्तावेजों, केस स्टडी, शोध रिपोर्टों आदि को भी साझा करेगा। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने युवाओं के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'युवाओं के लिये ज़िम्मेदार AI' भी लॉन्च किया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना है और उन्हें नए युग के तकनीकी दिमाग, प्रासंगिक AI कौशल विकास एवं आवश्यक AI टूल-सेट तक पहुँच प्रदान करना है ताकि उन्हें भविष्य के लिये डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके।

कैप्टन अर्जुन

- भारतीय रेलवे के 'सेंट्रल रेलवे ज़ोन' ने रेल यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की COVID-19 से संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तेज़ करने के लिये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रोबोट 'कैप्टन अर्जुन' (Captain Arjun) लॉन्च किया।

- अर्जुन (Arjun) का पूर्ण रूप 'Always be Responsible and Just Use to be Nice' है। यह रोबोट मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा (Pan–Tilt–Zoom Camera) एवं एक डोम कैमरा (Dome Camera) से युक्त है। ये कैमरे संदिग्ध एवं असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम' का उपयोग करते हैं।
- यह नवाचार भारतीय रेलवे को COVID-19 के दौरान अपने सुरक्षा उपायों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। यह रोबोट ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीन करेगा और असामाजिक तत्त्वों पर नजर रखेगा।
- सेंट्रल रेलवे ज़ोन भारतीय रेलवे के 17 ज़ोन में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है। इसे भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन के संचालन का गौरव प्राप्त है जो 16 अप्रैल, 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य संचालित की गई थी।

कोलैबकैड

- अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से कोलैबकैड (CollabCAD) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मक एवं कल्पनात्मक 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- यह कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है जो 2D प्रारूपण एवं 3D उत्पाद डिज़ाइन के विवरण से संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित अटल इनोवेशन मिशन नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की प्रमुख पहल है।

नियॉन

- संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में आयोजित वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2020 (Consumer Electronics Show-CES 2020) में नियॉन (NEON) नामक विश्व का पहला कृत्रिम मानव (Artificial Human) पेश किया गया। NEON को सैमसंग कंपनी की स्टार लैब के सीईओ प्रणव मिस्त्री (भारतीय वैज्ञानिक) के नेतृत्त्व में निर्मित किया गया है।
- नियॉन (NEON) शब्द NEO (नया) + humaN (मानव) से मिलकर बना है। वर्तमान में यह आभासी मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करता है किंतु भविष्य में इसे पूरी तरह से स्वायत्त रुप से संचालित किया जाएगा जिससे यह भावनाओं को प्रदर्शित करने, कौशल सीखने, स्मृति का निर्माण करने और स्वत: निर्णय लेने के लिये प्रतिबद्ध होगा। यह CoreR3 तकनीक पर आधारित है।
- इसका तात्पर्य विश्वसनीयता (Reliability), रियल टाइम (Real Time) और प्रतिक्रिया (Response) है। इस तकनीक के माध्यम से NEON पल भर में प्रतिक्रिया देने में समर्थ है।

ज़ेनोबोट्स

संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला 'जीवित रोबोट' बनाया है जिसका नाम 'ज़ेनोबोट्स' है। इस रोबोट का निर्माण नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है। इस रोबोट का नाम नाइजीरिया एवं सूडान से दक्षिण अफ्रीका तक के उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाने वाले जलीय मेंढक की प्रजाति ज़ेनोपस लाविस (Xenopus laevis) के नाम पर रखा गया है। इन जीवित रोबोटों के कई अनुप्रयोग हैं जैसे- रेडियोधर्मी संदूषण की खोज करना, महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक को इकट्ठा करना आदि।

सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद तथा ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम ने पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो कणों का इस्तेमाल कर सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग पदार्थ का निर्माण किया है।

प्रमुख बिंदु

- कोटिंग हेतु विकसित यह पदार्थ स्टील के साथ ही अन्य धातुओं यथा- एल्युमीनियम, तांबा, पीतल एवं ग्लास, कपड़े, कागज, लकड़ी आदि में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- गौरतलब है कि इस कोटिंग पदार्थ को तैयार करने में प्रयुक्त रसायन देश में आसानी से उपलब्ध और पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।
- स्टील कोटिंग से पूर्व टीम ने आसंजन शक्ति में सुधार के लिये एक विशेष प्रकार की रासायनिक विधि (इचिंग) का प्रयोग किया ताकि स्टील की सतह पर खुरदरापन पैदा किया जा सके और कोटिंग आसानी से की जा सके।

आसंजन और ससंजन (Adhesion and Cohesion)

- दो भिन्न प्रकार के कणों या सतहों के एक-दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को आसंजन कहते हैं।
- दो समान कणों या सतहों के आपस में चिपकने की प्रवृत्ति को संसंजन कहते हैं।

कोटिंग की उपयोगिता

- कोटिंग की गई सतह में सुपरहाइड्रोफोबिक (सतह पर न चिपकने की प्रवृति) गुण पाया गया। इस कोटिंग को अम्लीय (pH 5) और क्षारीय (pH 8) दोनों स्थितियों में छह सप्ताह से अधिक समय तथा 230°C तापमान तक स्थिर एवं टिकाऊ पाया गया।
- सुपरहाइड्रोफोबिक (जलविरोधी/जलविरागी) ऐसे अणु या आणविक इकाई होते हैं जो जल के अणुओं को प्रतिकर्षित करते हैं।
- इस कोटिंग की यांत्रिक स्थिरता को वाटर-जेट, रेत-अभिघर्षण आदि में भी अत्यधिक स्थिर पाया गया था।
- यह कोटिंग स्वत: सफाई में भी सक्षम है। पानी की बूँदें तथा धूल कोटिंग सतह से नहीं चिपकती हैं तथा यह सतह से स्वत: लुढ़क जाती हैं।

प्रकृति

- IIT दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने भारत में COVID-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिये एक वेब-आधारित डैशबोर्ड 'प्रकृति' (PRACRITI) विकसित किया है। प्रकृति का पूर्ण रूप 'PRediction and Assessment of CoRona Infections and Transmission in

India' है। यह वेब-आधारित डैशबोर्ड भारत में तीन सप्ताह की अवधि तक COVID-19 मामलों की राज्य एवं ज़िलेवार विस्तृत भविष्यवाणियाँ प्रदान करता है।

- 'प्रकृति' स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और WHO से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक ज़िले एवं राज्य की R0 संख्या प्रदान करता है। पुनरुत्पादक संख्या (Reproduction number- R0) जिसका उच्चारण 'आर नॉट' (R Naught) के रूप में किया जाता है। यह उन लोगों की संख्या को बताता है जिनमें संक्रमण से संबंधित बीमारी किसी एक संक्रमित व्यक्ति से फैलती है। उदाहरण के लिये यदि एक COVID-19 रोगी दो व्यक्तियों को संक्रमित करता है तो R0 मान दो होता है।

अतुल्य : माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र

- 'डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी' ने COVID-19 वायरस को विघटित करने के लिये 'अतुल्य' नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र विकसित किया है। COVID-19 वायरस 56-60 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा में अतुल्य के 'डिफरेंशियल हीटिंग' (Differential Heating) से विघटित हो जाएगा। COVID-19 के लिये अतुल्य एक लागत प्रभावी समाधान है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टालेशन में संचालित किया जा सकता है। इस प्रणाली का मानव/प्रचालक सुरक्षा के लिये परीक्षण किया गया है एवं इसे सुरक्षित पाया गया है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आकार एवं ढाँचे के अनुसार, स्टेरिलाइजेशन का समय 30 सेकेंड से एक मिनट तक रहता है। इसका उपयोग केवल अधात्विक (Non-Metallic) वस्तुओं के लिये किया जा सकता है।

नूर 1

22 अप्रैल, 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर (Noor) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा संचालित नूर 1 ईरान का पहला स्वदेशी सैन्य उपग्रह है। इस उपग्रह को तीन चरण वाले रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था जो ठोस और तरल ईंधन के संयोजन द्वारा संचालित था। प्रक्षेपण के पश्चात् 'नूर' उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और पृथ्वी की सतह से 425 किमी. ऊपर की परिक्रमा कर रहा है। इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य रेगिस्तान से किया गया। मध्य रेगिस्तान को फारसी भाषा में दश्त-ए-कवीर भी कहा जाता है।

साइंटेक एयरऑन

- COVID-19 महामारी के मद्देनज़र महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी, जेसीक्लीन वेदर टेक्नोलॉजी ने महाराष्ट्र के अस्पतालों को कीटाणुरहित करने के लिये साइंटेक एयरऑन नामक डिवाइस का विकास किया है।
- दरअसल साइंटेक एयरऑन एक निगेटिव आयन जेनरेटर है। इस आयन जेनरेटर मशीन का एक घंटे परिचालन कमरे के 99.7% वायरसों को नष्ट कर सकता है। साइंटेक एअरऑन ऑयोनाइज़र मशीन प्रति 8 सेकेंड में लगभग 100 मिलियन ऋण आवेशित आयन पैदा कर सकती है।
- ऑयोनाइज़र द्वारा उत्पादित निगेटिव आयन हवा में तैरते फफूंद, एलर्जी पैदा करने वाले सूक्ष्म कण, बैक्टीरिया, पराग-कण, धूल इत्यादि के इर्द-गिर्द एक क्लस्टर बना लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ओएच (OH) समूह जिसे हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स (Hydroxyl Radicals) कहा जाता है और एचओ (HO) समूह जिसे वायुमंडलीय डिटरजेंट के रूप में जाना जाता है, का निर्माण होता है।
- इस तकनीक को भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए निधि (NIDHI) एवं प्रयास (PRAYAS) कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।

हैबिटेबल ज़ोन प्लैनेट फाइंडर

- हैबिटेबल ज़ोन प्लैनेट फाइंडर ने G9-40b नामक अपने पहले ग्रह (एक्सोप्लैनेट- Exoplanet) की पुष्टि की है जो 6 दिनों की कक्षीय अवधि में कम द्रव्यमान वाले चमकीले तारे एम-ड्वार्फ की परिक्रमा करता है और पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इससे पहले नासा के केपलर मिशन ने मेज़बान तारे के प्रकाश का पता लगाया था और बताया था कि यह ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान तारे के सामने से होकर गुजरता है। HPF द्वारा एक्सोप्लैनेट की पुष्टि करने के लिये इस जानकारी का इस्तेमाल किया गया। G 9-40b शीर्ष 20 निकटतम पारगमन ग्रहों में से एक है। हैबिटेबल ज़ोन प्लैनेट फाइंडर (HPF) एक खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है और यह हाल ही में अमेरिका में स्थित मैकडॉनल्ड ऑब्ज़र्वेटरी में हॉबी-एबरली टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। HPF डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करता है।

हेनेगुया सालमिनिकोला

- इज़राइल में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुया सालमिनिकोला की खोज की।
- हेनेगुया सालमिनिकोला जेलीफिश के आकार का एक छोटा परजीवी है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। यह परजीवी सालमन मछली के अंदर पाया जाता है तथा यह अवायवीय श्वसन पर निर्भर रहता है। इस परजीवी में माइटोकॉड्रिया नहीं पाया जाता है।
- इस परजीवी की खोज ने जीव जगत के बारे में विज्ञान की धारणाओं को चुनौती दी है क्योंकि सभी जीव वायवीय श्वसन करते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।

सह्याद्रि मेघा

- धान की खेती के घटते रकबे की दर को रोकने के लिये कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय ने धान की नई किस्म सह्याद्रि मेघा विकसित की। सह्याद्रि मेघा धान की एक नई लाल किस्म है जो ब्लास्ट रोग (Blast Disease) के लिये प्रतिरोधी और पोषक तत्त्वों से भरपूर है। ब्लास्ट एक फफूंद जनित रोग है जो मैग्नापोर्ट ओरिज़ा (Magnaporthe Oryzae) के कारण होता है। इस बीमारी को रॉटेन

नेक (Rotten Neck) या राइस फीवर (Rice Fever) के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग धान की वृद्धि के दौरान सभी चरणों में पौधों के सभी वायवीय भागों को संक्रमित करता है। इस रोग से धान की पैदावार में लगभग 70-80% की कमी आती है।

आर्किया

- पुणे में नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स के वैज्ञानिकों ने एक नए आर्किया का पता राजस्थान की सांभर झील में लगाया है। इस नए आर्किया को नट्रीअल्बा स्वरूपिये (Natrialba Swarupiae) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ रेनू स्वरूप के नाम पर दिया गया जिन्होंने देश में माइक्रोबियल विविधता अध्ययनों में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आर्किया, सूक्ष्मजीवों का एक प्राचीन समूह है जो गर्म झरनों, ठंडे रेगिस्तानों और अति लवणीय झीलों जैसे आवासों में पनपता है।
- ये जीव धीमी गति से बढ़ते हैं और मनुष्य की आँतों में भी मौजूद होते हैं। इनमें मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है। ये रोगाणुरोधी अणुओं के उत्पादन के लिये, अपशिष्ट जल उपचार में अनुप्रयोगों के लिये तथा एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों के लिये जाने जाते हैं। ये विशेष जीव डीएनए की प्रतिकृति, पुनर्संयोजन और मरम्मत में सहायता प्रदान करते हैं।

क्लासिकल स्वाइन फीवर

आईसीएआर और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन (IVRI-CSF-BS) विकसित की। क्लासिकल स्वाइन फीवर एक संक्रामक बुखार है जो सुअरों के लिये जानलेवा साबित होता है, इसके कारण देश में सुअरों की संख्या में कमी आ रही है। भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिये वर्ष 1964 से एक लैपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। इस वैक्सीन का निर्माण बड़ी संख्या में खरगोशों को मार कर किया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पहले सेल कल्चर लैपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस को अपनाकर एक क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन विकसित की थी। इसमें खरगोशों को मारना नहीं पड़ता था। नई वैक्सीन सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, यह संक्रामक बुखार को दोबारा वापस आने से रोकती है। नई वैक्सीन भारत सरकार की 'एक स्वास्थ्य पहल' (One Health Initiative) का हिस्सा है।

साथी

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) ने परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (Sophisticated Analytical & Technical Help Institutes-SATHI) नामक एक योजना शुरू की। इसका उद्देश्य शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिये एक ही छत के नीचे उच्च दक्षता से युक्त तकनीकी सुविधाएँ मुहैया कराना है ताकि शिक्षा, स्टार्ट-अप, विनिर्माण, उद्योग और आरएंडडी लैब आदि की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें। इन केंद्रों में उच्च विश्लेषणात्मक परीक्षण द्वारा सामान्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों को विकसित किया जाएगा जिससे विदेशी उपकरणों पर निर्भरता में कमी आएगी। इनका संचालन ओपन एक्सेस पॉलिसी के तहत पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले ही देश में तीन ऐसे केंद्र स्थापित किये हैं जो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित हैं।

शारंग

- आयुध कारखाना बोर्ड (Ordnance Factory Board) ने भारतीय सेना को पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन शारंग (155एमएम/45 कैलिबर) सौंपी है। 130 एमएम वाली एम-46 आर्टिलरी गन को अपग्रेड करके 155 एमएम तक किया गया। अपग्रेड होने के बाद इस आर्टिलरी गन की रेंज 27 किलोमीटर से बढ़कर 36 किलोमीटर हो गई। अनुबंध के तौर पर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड अगले चार वर्षों में 130 एमएम वाली 300 आर्टिलरी गनों को 155 एमएम तक अपग्रेड करेगा।
- गौरतलब है कि भारत ने 130 एमएम आर्टिलरी गन को रूस से आयात किया था। इस आर्टिलरी गन में 130 एमएम बैरल लगी थी। इस आर्टिलरी गन की मारक क्षमता 27 किलोमीटर थी।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापन

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों को बायोरॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक (Biorock or Mineral Accretion Technology) का उपयोग करते हुए पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- कच्छ की खाड़ी में उच्च ज्वार की स्थितियों को देखते हुए गुजरात के मीठापुर तट से एक नॉटिकल मील की दूरी पर बायोरॉक संरचना स्थापित की गई है।
- इससे पहले वर्ष 2015 में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर एक्रोपोरिडे परिवार (एक्रोपोरा फॉर्मोसा, एक्रोपोरा ह्यूमिलिस, मोंटीपोरा डिजिटाटा) से संबंधित कोरल की प्रजातियों (स्टैग्नोर्न कोरल) को सफलतापूर्वक मन्नार की खाड़ी में पुनर्स्थापित किया था।

बायोरॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक

❑ बायोरॉक, इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलेय खनिजों के विद्युत संचय से बनने वाला पदार्थ है। इन इस्पात संरचनाओं जो कि समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं, को समुद्र के तल पर उतारा जाता है और सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती है।

- यह प्रौद्योगिकी पानी में इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करने का काम करती है।
- जब एक धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड को समुद्र के तल पर रखकर उनके बीच विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन आपस में संयोजन करते हैं जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, कोरल लार्वा कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में तेज़ी से बढ़ते हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, टूटे हुए कोरल के टुकड़े बायोरॉक संरचना से बंधे होते हैं जहाँ वे अपनी वास्तविक वृद्धि की तुलना में कम-से-कम चार से छह गुना तेज़ी से बढ़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं के कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के निर्माण में अपनी ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रवाल भित्ति

प्रवाल, जिसे मूँगा या कोरल भी कहते हैं, एक प्रकार का समुद्री जीव है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार का पादप शैवाल रहता है, जिसे जूजेंथली कहते हैं। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने आहार की आपूर्ति करता है।

प्रवाल के विकास की आदर्श दशाएँ

- प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 25° उत्तरी से 25° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 20-21° तापमान वाली स्थितियों में पाया जाता है।
- इसके लिये सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, इसीलिये प्रवाल 200-250 फिट की गहराई के बाद मर जाते हैं।
- प्रवालों के लिये अवसाद रहित स्वच्छ जल होना चाहिये क्योंकि अवसादों की उपस्थिति में प्रवाल का मुंह बंद हो जाता है इसी कारण इनका विकास नदी के मुहाने पर नहीं होता। इनके विकास के लिये 27-30 0/00 लवणता अति उत्तम मानी जाती है।

भारत में प्रवाल भित्तियाँ

- प्रवाल प्रजातियों को बाघों के समान ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल कर संरक्षण प्रदान किया गया है।
- लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में ये चक्रवातों के लिये अवरोधक का कार्य कर तटीय कटाव की रोकथाम में भी सहायता करते हैं।
- भारत में चार प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी।

नगर वन योजना

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग से पाँच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिये नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है।

योजना का महत्त्व

- भारत पशुओं और पौधों की कई प्रजातियों से समृद्ध जैव-विविधता से संपन्न क्षेत्र है। संपूर्ण विश्व में मौजूद जैव-विविधता के 36 वैश्विक हॉटस्पॉट्स में से 4 भारत में विद्यमान हैं।
- जैव विविधता संरक्षण को पारंपरिक रूप से दूरस्थ वन क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है। बढ़ते शहरीकरण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। शहरी वानिकी इस अंतर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है।
- यह योजना अतिरिक्त कार्बन सिंक (Carbon Sink) का निर्माण करने में मददगार साबित होगी।
- योजना द्वारा शहरों में ग्रामीण वन संरक्षण की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा।
- यह योजना शहरी क्षेत्रों में वनीकरण द्वारा बढ़ते प्रदूषण स्तर से निपटने में सहायक सिद्ध होगी।
- शहरों में स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ ही स्मार्ट, स्वच्छ, हरित, सतत् और स्वस्थ शहरों के विकास में भी योगदान करेगी।
- यह शहरी क्षेत्रों की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य रखती है।
- शहरों में वनीकरण द्वारा स्व-स्थाने (In-situ) जैव-विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करना है।
- शहरों में वृक्ष गर्मी में कमी करने के साथ ही मनोरंजन और समाजीकरण के लिये स्थान प्रदान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार, यदि वृक्षों को इमारतों के पास लगाया जाए तो 2°C और 8°C तक तापमान में कमी की जा सकती है। इस प्रकार यह ऊष्मा द्वीप के प्रभाव को कम करके शहरी समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं।
- पेड़ वातनुकूलकों के उपयोग में 30% तक की कटौती कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शहरी वानिकी कार्यालय के अनुसार, वृक्षारोपण द्वारा हीटिंग ऊर्जा के उपयोग को 20-50% तक कम किया जा सकता है।

हिमालयन आईबेक्स

'एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रिसर्च' (Endangered Species Research) पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार 'भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण' (Zoological Survey of India-ZSI) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए अध्ययन में यह पाया गया है कि हिमालयन आईबेक्स प्रजाति, साइबेरियन आईबेक्स प्रजाति से अलग तथा विशिष्ट प्रजाति है।

महत्त्वपूर्ण जानकारी

- IUCN की लीस्ट कंसर्न्ड (Least Concerned) श्रेणी में शामिल हिमालयन आईबेक्स का वैज्ञानिक नाम कैप्रा सिबिरिका (Capra Sibirica) तथा स्थानीय नाम टांगरोल (Tangrol) है।

- हिमालयन आईबेक्स प्रजाति लद्दाख के ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के महान हिमालय एवं पीर पंजाल क्षेत्र में पाई जाती है।
- इसके आवास महान हिमालय क्षेत्र में 3400-4400 मीटर, जबकि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 4000-4725 मीटर की ऊँचाई तक मिलते हैं। यह अल्पाइन चरागाहों और आर्द्र घास के मैदानों पर चराई करती है, लेकिन इनके आवास हमेशा चट्टानी क्षेत्रों के नज़दीक ही होते हैं। यह जंगलों में बहुत कम प्रवेश करती है।
- हिमालयन आईबेक्स की अधिक संख्या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान (हिमाचल प्रदेश) तथा कांजी वन्यजीव अभयारण्य (जम्मू-कश्मीर) में देखने को मिलती है।

पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान

- हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित यह 1987 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया।
- यहाँ जानवरों और पक्षियों की 20 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह उद्यान विशेष रूप से लुप्तप्राय हिम तेंदुए के लिये प्रसिद्ध है। अन्य प्रजातियाँ- टंगरोर, भरल, लाल लोमड़ी, पिका, हिम मुर्गा, गोल्डन ईगल, मर्मेट और तिब्बती भेड़िया आदि हैं।
- पिन वैली की विशेषता अल्पाइन चारागाह है। यहाँ जुनिपर और बर्च पेड़ विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह क्षेत्र औषधीय जड़ी बूटियों और मसालों से समृद्ध है।

मैंग्रोव वन

21 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसमें मैंग्रोव वनों के महत्त्व को स्वीकार कर इनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया।
- यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता वृद्धि तथा वृक्षारोपण अभियान से संबंधित गतिविधियों के लिये देशों के स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के लिये विषय का चुनाव वनों पर सहयोगात्मक साझेदारी द्वारा किया जाता है। 2020 के अंतराष्ट्रीय वन दिवस का विषय 'वन और जैव विविधता' है।

मैंग्रोव वन की विशेषताएँ

- मैंग्रोव वन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनदमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्चजल, लैगून एवं पंक जमावों में विकसित होते हैं।
- मैंग्रोव की लगभग 80 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये सभी प्रजातियाँ खारे पानी के प्रति सहनशील होती हैं।
- मैंग्रोव पौधों में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिनके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं।
- मैंग्रोव पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करती हैं और सतह पर आ जाती हैं।

भारत में मैंग्रोव वनों की स्थिति

- वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट-2019 के अनुसार, मैंग्रोव वन देश के कुल 4975 वर्ग किमी. में विस्तृत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है।
- सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाले राज्य पश्चिम बंगाल (2112 वर्ग किमी.), गुजरात (1177 वर्ग किमी.), अंडमान और निकोबार (616 वर्ग किमी.) है।
- 2017 के मूल्यांकन की तुलना में देश में मैंग्रोव के विस्तार में 54 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि हुई है।
- प्रतिशत के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 42.45% मैंग्रोव का विस्तार है, जबकि गुजरात में यह 23.66% तथा अंडमान और निकोबार में 12.39% है।

वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव संरक्षण के उपाय

- यूनेस्को, ISME (मैंग्रोव पारिस्थितिकी संरक्षण के लिये पारिस्थितिकी तंत्र), UNDP, IUCN, रामसर कन्वेंशन, UNEP, वेटलैंड इंटरनेशनल आदि अनेक संस्थाएँ मैंग्रोव वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये कार्यरत हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के तहत वर्ष 2021-2030 की अवधि में समुद्री नीले मैंग्रोव सहित गंभीर रूप से अवनयित भू-परिदृश्य (Landscapes) तथा वनों की पुनर्बहाली से संबंधित कार्यों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा।

भारत सरकार के प्रयास

- सरकार द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय मैंग्रोव समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य मैंग्रोव के संरक्षण एवं विकास के लिये सरकार को सलाह देना था।
- तटीय पारितंत्र की सुरक्षा, विकास व पुनर्स्थापना हेतु भविष्य के लिये मैंग्रोव कार्यक्रम (IUCN-UNDP समर्थित) चलाया गया।

ब्लैक कार्बन

वैज्ञानिक पत्रिका 'एटमोस्फियरिक एन्वायरनमेंट' (Atmospheric Environment) में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, कृषि अपशिष्ट दहन और वनाग्नि से उत्पन्न 'ब्लैक कार्बन' (Black carbon) के कारण 'गंगोत्री हिमनद' के पिघलने की दर में वृद्धि हो सकती है।

शोध के प्रमुख बिंदु

- ग्रीष्मकाल में गंगोत्री हिमनद क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की सांद्रता में 400 गुना तक वृद्धि ब्लैक कार्बन की प्रकाश-अवशोषित करने की प्रकृति के कारण ग्लेशियर को और अधिक पिघला सकती है।
- समतुल्य ब्लैक कार्बन (EBC) एरोसोल अपने हल्के अवशोषित प्रकृति के कारण ग्लोबल वार्मिंग में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। हिमालयी हिमनद, घाटियों जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में इसकी उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है और सावधानीपूर्वक इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है।

- ब्लैक कार्बन की सामयिक अधिकता कृषि अवशेष जलाने (देश के पश्चिमी भाग में) तथा गर्मियों में वनाग्नि (हिमालयी ढलानों के साथ) से उत्पन्न उत्सर्जन के साथ-साथ कुछ हद तक सर्दियों में लंबी दूरी के वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण और प्रचलित मौसम संबंधी स्थितियों से काफी प्रभावित होती है।

ब्लैक कार्बन क्या है?

- यह पार्टिकुलेट मैटर का एक जटिल एवं शक्तिशाली मिश्रण तथा भूमंडलीय तापन का महत्त्वपूर्ण घटक है, जो जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है।
- अपूर्ण दहन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और ब्लैक कार्बन कण जैसे कई प्रदूषक एक साथ बनते हैं।
- यह एक अल्पजीवी जलवायु प्रदूषक है, जो वायुमंडल में उत्सर्जित होने के पश्चात् कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह (सामान्यत: 4-12 दिन) तक बना रहता है।
- ब्लैक कार्बन का जलवायु पर द्रव्यमान प्रति यूनिट CO_2 की तुलना में 460-1,500 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है।

पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक' (2021-30) में व्यापक राजनीतिक समर्थन, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं वित्तीय सहायता हेतु वैश्विक सहयोग की उम्मीद प्रकट की है।

प्रमुख बिंदु

- मार्च 2018 में ब्राज़ील में बॉन चैलेंज के दौरान 3.0 उच्च-स्तरीय बैठक में अल साल्वाडोर ने पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली 2021-2030 पर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्ताव पेश किया।
- पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक को निम्नीकृत और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा एवं जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया।
- 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) एवं 'खाद्य और कृषि संगठन' (FAO) इसके सह-नेतृत्वकर्त्ता हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ

- यह मानव कल्याण के लिये पारिस्थितिकी तंत्र का योगदान है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करती है।
- TEEB के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को चार मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - प्रोविज़निंग सेवाएँ (Provisioning Sevices): इनमें भोजन, ताज़ा पानी, लकड़ी, फाइबर, आनुवंशिक संसाधन और दवा जैसे उत्पाद सम्मिलित हैं।
  - विनियमन सेवाएँ (Regulating Services): इनमें जलवायु व प्राकृतिक खतरा से निपटने के लिये विनियमन, जल शोधन और अपशिष्ट प्रबंधन, परागण या कीट नियंत्रण जैसी सेवाएँ शामिल की जाती हैं।
  - समर्थन सेवाएँ (Supporting Services): पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ जो अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के उत्पादन के लिये आवश्यक हैं, जैसे- पोषण चक्र, ऑक्सीजन चक्र, मिट्टी का निर्माण, जल चक्र और आवास आदि।
  - सांस्कृतिक सेवाएँ (Cultural Services): ये गैर-भौतिक लाभ हैं, जैसे- आध्यात्मिक संवर्द्धन, बौद्धिक विकास, मनोरंजन और सौंदर्य मूल्य आदि।

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)

- यह जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
- इसका उद्देश्य जैव विविधता की क्षति और पारिस्थितिकी तंत्र निम्नीकरण की बढ़ती लागत को प्रकट करना तथा व्यावहारिक क्रियाओं को सक्षम करने के लिये विज्ञान, अर्थशास्त्र व नीति निर्माण के क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थापित संरक्षण केंद्र में 9 स्वस्थ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों के जन्म की पुष्टि गई है।

मुख्य बिंदु

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का औसत जीवनकाल 15 से 16 वर्षों का होता है तथा एक मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1 से 2 वर्षों में मात्र एक अंडा ही देती है और इससे निकलने वाले चूजे के जीवित बचने की दर 60%-70% होती है। लंबे जीवन काल के इतर धीमी प्रजनन दर और मृत्युदर का अधिक होना इस प्रजाति की उत्तरजीविता के लिये एक चुनौती है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया विश्व में सबसे अधिक वज़न के उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, यह पक्षी मुख्यतया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है।
- वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या 150 के लगभग बताई जाती है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-1 में तथा IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (CE) की श्रेणी में रखा गया है।

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु का एक बड़ा कारण इनका उच्च वोल्टेज विद्युत तारों से टकराना भी है क्योंकि इनके सीधे देखने की क्षमता कमज़ोर होती है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भोजन कीड़े, खाद्यान और फल हैं। खेतों में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग इनके भोजन और आवास को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है।

गैंडों की पुनर्स्थापना

उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा दिये गए प्रस्ताव के अनुसार, कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में गैंडों को पुनर्स्थापित करने की मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु

- कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में गैंडों के आवास के लिये चुने गए आदर्श स्थल उत्तर में निम्न हिमालय, दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों और पूर्व में रामगंगा जलाशय द्वारा घिरे हुए हैं, जो इन क्षेत्रों से गैंडों की आवाजाही को रोकने के लिये प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करेंगे। इससे मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी।
- एक समय सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अपवाह मैदानों तथा उत्तराखंड में गैंडों की उपस्थिति थी, लेकिन वर्तमान में मानवजनित दबाव एवं अवैध शिकार के परिणामस्वरूप ये केवल भारत तथा नेपाल के छोटे से भू-भाग तक ही सीमित रह गए हैं।

एक सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा)

- यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में शामिल है।
- भारत में गैंडे मुख्य रूप से काजीरंगा व मानस राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं।
- गैंडे की सभी प्रजातियों में यह गैंडा आकार में सबसे बड़ा होता है।
- गैंडों की संख्या में वृद्धि के लिये 'इंडियन राइनो विज़न' 2020 कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व

- यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है।
- वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में लॉन्च किया गया था, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है।
- कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य बहने वाली प्रमुख नदियाँ रामगंगा, सोननदी, मंडल, पलायन और कोसी हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण

वन सलाहकार समिति ने गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रतिपूरक वनीकरण के लिये वृक्षारोपण की ज़िम्मेदारी को कमोडिटी के रूप में पूर्ण करने संबंधी एक योजना प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा की है।

मुख्य बिंदु

- इस योजना के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण की व्यवस्था लचीली हो जाएगी तथा इससे खनन या अवसंरचना विकास कंपनी (गैर-सरकारी कंपनी) अपनी इस ज़िम्मेदारी को भविष्य में पूरा कर सकती हैं या इस ज़िम्मेदारी को हस्तांतरित कर सकती हैं।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत जब भी खनन या अवसंरचना विकास जैसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये वन भूमि का उपयोग किया जाता है, तो बदले में उस भूमि के बराबर गैर-वन भूमि अथवा निम्नीकृत भूमि के दोगुने के बराबर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करना होता है। वन सलाहकार समिति द्वारा की गई प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी अनुशंसा पर्यावरण हेतु चिंता का विषय बन गई है।
- वन सलाहकार समिति द्वारा 'ग्रीन क्रेडिट स्कीम' (Green Credit Scheme) को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसे पहली बार गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया था परंतु वर्ष 2013 से इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली है।

प्रोजेक्ट साइनिंग

भारत के चुनिंदा राज्यों में भू-जल प्रबंधन में सुधार लाने के लिये विश्व बैंक ने एक नवीन ऋण आधारित परियोजना 'प्रोजेक्ट साइनिंग' प्रारंभ की है। यह परियोजना विश्व बैंक समर्थित 'अटल भू-जल योजना' को ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार भू-जल प्रबंधन की दिशा में प्रोत्साहन उपायों के रूप में स्थानीय सरकारों (ज़िलों और ग्राम पंचायतों सहित) को धन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 80 प्रतिशत) हस्तांतरित करेगी। प्रोजेक्ट साइनिंग के माध्यम से अटल भू-जल योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 78 ज़िलों को शामिल किया गया है। अटल भू-जल परियोजना का मुख्य उद्देश्य सहभागी भू-जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना एवं सतत् भू-जल संसाधन प्रबंधन के लिये सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिक परिवर्तन उपायों को प्रोत्साहित करना है।

आईकमिट पहल

केंद्रीय विद्युत मंत्री ने 05 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर '#आईकमिट' (#iCommit) पहल की शुरुआत की। यह पहल भविष्य में सतत् रूप से एक मज़बूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिये सभी हितधारकों एवं व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिये एक स्पष्ट आह्वान है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड' (EESL) द्वारा शुरू की गई 'आईकोमिट' पहल से सरकारों, कंपनियों तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक तथा व्यक्तियों आदि को एक साथ लाया जा रहा है। EESL भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। यह 100% सरकारी स्वामित्त्व वाली, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं पावरग्रिड का एक संयुक्त उद्यम है। इसका गठन वर्ष 2009 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये किया गया था। इस पहल से भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, फेम (FAME) 1 और 2, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY), अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (ADITYA), सौर पार्क, अटल ज्योति योजना आदि अन्य प्रमुख उपक्रम भी जोड़े जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस की थीम 'हमारे समाधान प्रकृति में हैं' (Our Solutions are in Nature) है। इसका उद्देश्य लोगों में जैव-विविधता के महत्त्व के बारे में

जागरूकता उत्पन्न करना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 22 मई, 1992 को नैरोबी में जैव-विविधता पर अभिसमय (CBD) के पाठ को स्वीकार किया गया था। इसलिये 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है।

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर ज़िले में स्थित है। ताडोबा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिज़र्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया था। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रुप से सागौन, ऐन, बीजा, धौड़ा, हल्दू, सलाई, सेमल और तेंदू आदि शामिल हैं। भारतीय तेंदुए, स्लॉथ बीयर, गौर, नीलगाय, ढोले, धारीदार हाइना, भारतीय लघु कीच, जंगली बिल्ली, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव-जंतु है।

गंतव्य-सरिस्का टाइगर रिज़र्व

1 मई, 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' शृंखला के अंतर्गत 'गंतव्य-सरिस्का टाइगर रिज़र्व' शीर्षक से 13वीं वेबिनार शृंखला का आयोजन किया। सरिस्का टाइगर रिज़र्व, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है जो 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घास के मैदानों, शुष्क पर्णपाती वनों, चट्टानी परिदृश्यों से ढका हुआ है। सरिस्का को वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिज़र्व है जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है। वर्तमान में इस रिज़र्व में लगभग 20 बाघ हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस वेबिनार शृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं उनको बढ़ावा देना है।

पृथ्वी दिवस-2020

प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस (Earth Day) मनाया जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम 'जलवायु कार्रवाई' (Climate Action) है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष अर्थात् 22 अप्रैल, 2020 को पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1970 में अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी जिसके बाद से विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 1970 में पहले पृथ्वी दिवस मनाने शुरुआत के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कई महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून पारित किये गए, जिनमें वर्ष 1970 में स्वच्छ वायु अधिनियम, स्वच्छ जल अधिनियम एवं लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का गठन भी शामिल था। इसके बाद विश्व के अनेक देशों में ऐसे ही पर्यावरणीय कानून पारित किये गए। इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के कारण वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के लिये पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल, 2016) के दिन को ही चुना गया था।

ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंज़र्वेटरी

तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंज़र्वेटरी (Tropical Butterfly Conservatory-TBC) का विकास किया गया है। TBC **अपर अनाइकट** रिज़र्व फॉरेस्ट में स्थित है जो तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोल्लीडम नदियों के बीच स्थित है। यह 27 एकड़ में फैला है और इसे एशिया का सबसे बड़ा तितली पार्क माना जाता है। इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी। यहाँ एक बाह्य कंज़र्वेटरी 'नक्षत्र वनम' और भीतरी कंज़र्वेटरी 'रासी वनम' के साथ-साथ गैर-अनुसूचित तितली प्रजातियों के लिये एक प्रजनन प्रयोगशाला भी है। कोल्लीडम दक्षिण-पूर्वी भारत की एक नदी है जो श्रीरंगम द्वीप पर कावेरी नदी की मुख्य शाखा से अलग होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व

तमिलनाडु राज्य के मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व में बंदी हाथियों के लिये **कायाकल्प शिविर** का शुभारंभ किया गया। मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व **तमिलनाडु राज्य** के नीलगिरि ज़िले में तीन राज्यों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) के त्रि-जंक्शन पर स्थित है। इसकी सीमा **पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य** (केरल), उत्तर में **बांदीपुर टाइगर रिज़र्व** (कर्नाटक) और दक्षिण-पूर्व में **नीलगिरि उत्तर प्रभाग** तथा दक्षिण-पश्चिम में **गुडालुर** (Gudalur) वन प्रभाग से मिलकर टाइगर एवं एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिये एक बड़े संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करती है। **मोयार नदी** मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व से होकर बहती है।

केव फिश

भारत में विश्व की **सबसे बड़ी केव फिश** (Cave Fish) खोजी गई। इस केव फिश को **पूर्वोत्तर भारत** में **मेघालय राज्य** की **जयंतिया पहाड़ी** में स्थित **उम लाडाव गुफा** से खोजा गया है। पृथ्वी पर भूमिगत मछली (Subterranean Fish) की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कम भोजन की उपलब्धता के कारण ये बहुत छोटी (औसतन 8.5 सेमी.) होती हैं। इस प्रजाति की आँखें नहीं है और यह **गोल्डन महसीर** (Golden Mahseer) के समान प्रतीत होती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में **संकटग्रस्त** की श्रेणी में रखा गया है। गोल्डन महसीर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली **मीठे पानी की मछली** है जो पहाड़ों एवं उप-पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है।

भारत के नए आर्द्रभूमि क्षेत्र

भारत के 10 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर अभिसमय के तहत मान्यता दी गई है। रामसर अभिसमय 2 फरवरी, 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है। यह संधि

विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्रभूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है। वर्तमान में इस अभिसमय के तहत भारत में कुल आर्द्रभूमियों की संख्या 37 हो गई है। घोषित नए स्थलों में महाराष्ट्र में पहली बार किसी स्थान को आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। घोषित नए 10 आर्द्रभूमि स्थलों में महाराष्ट्र का 1, पंजाब के 3 तथा उत्तर प्रदेश के 6 स्थल शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं-

- नंदुर मदमहेश्वर, महाराष्ट्र
- केशोपुर-मियाँ, पंजाब
- ब्यास कंज़र्वेशन रिज़र्व, पंजाब
- नांगल, पंजाब
- नवाबगंज, उत्तर प्रदेश
- पार्वती आगरा, उत्तर प्रदेश
- समन, उत्तर प्रदेश
- समसपुर, उत्तर प्रदेश
- सांडी आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश
- सरसई नवार, उत्तर प्रदेश

कला एवं संस्कृति

कोणार्क सूर्य मंदिर

20 मई, 2020 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत 10 मेगावॉट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों, जैसे- सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ-ग्रिड सौर संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (OREDA) द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा।

ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली

- ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली किसी भी ग्रिड से जुड़ी नहीं होती है। इस प्रणाली के साथ एक बैटरी जुड़ी होती है जो सौर उर्जा से उत्पादित विद्युत को संचित करती है।
- दरअसल 'ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली' में सौर पैनल, बैटरी, चार्ज नियंत्रक, ग्रिड बॉक्स, इनवर्टर इत्यादि होते हैं।
- यह सौर प्रणाली उन क्षेत्रों के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है जहाँ पॉवर ग्रिड की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कोणार्क सूर्य मंदिर

- कोणार्क शब्द, 'कोण' और 'अर्क' शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी किनारे पर समुद्र तट के करीब निर्मित है। इस मंदिर के तीन हिस्से हैं- नृत्यमंदिर, जगमोहन, गर्भगृह।
- कोणार्क ओडिशा की प्राचीन वास्तुशैली का विशिष्ट मंदिर है, जिसमें मंदिर में मुख्य मंदिर, महामण्डप, रंगशाला व सटा भोगमण्डप होते थे। इनमें से ज़्यादातर में जगमोहन व मुख्य मंदिर एक साथ जुड़े होते थे। कोणार्क मंदिर में थोड़ी भिन्नता है। यहाँ पर जगमोहन व मुख्य मंदिर सटे थे। पूर्व में स्थित प्रवेश द्वार के बाद नाट्यमण्डप है।
- कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था।
- मंदिर का महामण्डप बेहद आकर्षक है, जिसका शीर्ष पिरामिड के आकार का है। इसमें विभिन्न स्तरों पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि आदि नक्षत्रों की प्रतिमाएँ हैं। इसके ऊपर विशाल आमलक है। समीप ही सूर्य की पत्नी मायादेवी व वैष्णव मंदिर खंडित अवस्था में है। समीप में भोगमण्डप था। एक नवग्रह मंदिर भी यहाँ पर है।
- ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) इस मंदिर का संरक्षक है।

पुरंदर दास : कर्नाटक संगीत के पिता

'पुरातत्त्व, विरासत एवं संग्रहालय विभाग' ने हाल ही में कर्नाटक के तीर्थहल्ली में अनुसंधान कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। इस शोध का उद्देश्य पुरंदर दास, जिन्हें 'कर्नाटक संगीत के पिता' के रूप में सम्मानित किया गया था, के जन्मस्थान के बारे में स्पष्ट पुरातात्त्विक साक्ष्य का पता लगाना है।

पुरंदर दास

- कर्नाटक संगीत में इनके महत्त्वपूर्ण योगदान के सम्मान में इन्हें व्यापक रूप से 'संगीत पितामह' के रूप में जाना जाता है। वे भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे।
- वह द्वैत दार्शनिक संत व्यासतीर्थ के शिष्य थे और कनकदास के समकालीन थे। उनके गुरु व्यासतीर्थ ने अपने एक गीत 'दसरेंदर पुरंदर दारासराय' में पुरंदर दास की महिमा का बखान किया है।
- वह एक संगीतकार, गायक और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत (कर्नाटक संगीत) के मुख्य संस्थापकों में से एक थे।
- हरिदास परंपरा (भगवान हरि या भगवान कृष्ण का सेवक) की शुरुआत करने से पहले पुरंदर दास एक अमीर व्यापारी थे और उन्हें 'श्रीनिवास नायक' कहा जाता था।
- इतिहासकार बताते हैं कि पुरंदर दास का जन्म मलनाड में हुआ था और उनको मिली 'नायक' की उपाधि का श्रेय विजयनगर साम्राज्य को जाता है क्योंकि विजयनगर शासन के दौरान 'नायक' की उपाधि मलनाड के धनी व्यापारियों सहित स्थानीय प्रभावशाली लोगों को दी गई थी।

- 'पुरंदरा विट्ठला' उनकी रचनाओं का नाम था जिसके कारण यह व्यापक रूप से माना जाता था कि इस रहस्यवादी कवि का जन्म महाराष्ट्र के पुरंदरगढ़ में हुआ था।
- विजयनगर शासन के दौरान मलनाड में अरगा एक मुख्य व्यावसायिक केंद्र था जिसका संबंध कवि पुरंदर दास से था।

नए भौगोलिक संकेतक

मणिपुर के चाक-हाओ (Chak-Hao) अर्थात् काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा और कश्मीरी केसर को 'भौगोलिक संकेतक' (GI) का टैग दिया गया।

चाक-हाओ

- चाक-हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है।
- इसका उपयोग सामान्यत: सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाक-हाओ की खीर बनाई जाती है।
- चाक-हाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है।
- चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की सभी किस्मों से अधिक, लगभग 40-45 मिनट का समय लगता है।
- वर्तमान में मणिपुर के कुछ हिस्सों में चाक-हाओ की पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। परंपरागत रूप से या तो बीजों को भिगोकर सीधे खेतों में बुवाई की जाती है या चावल की सामान्य कृषि के समान धान के खेतों में नर्सरी में उगाए गए पौधों की रोपाई की जाती है।
- मणिपुर के अन्य GI टैग हैं- शफी लांफी, वांग्खी फेई, मोइरांग फेई (सभी टेक्सटाइल); कछई नींबू (कृषि)।

गोरखपुर का टेराकोटा

- गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है जिसमें स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊँट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं।
- यह पूरा काम हाथों से किया जाता है तथा रंगने के लिये प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं, जिनकी चमक लंबे समय तक रहती है।

कश्मीरी केसर

- ऐसा माना जाता है कि केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आस-पास मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा शुरू किया गया था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम (Bahukam) कहा गया है।
- कश्मीरी केसर तीन प्रकार का होता है- लच्छा केसर, मोंगरा केसर तथा गुच्छी केसर।
- विश्व स्तर पर कश्मीरी केसर को मसाले के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। केसर का पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों में प्रयोग किया जाता रहा है तथा यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजन में भी इसे उपयोग में लाया जाता है। कश्मीरी केसर गहरा लाल रंग का उच्च सुगंध युक्त, कड़वा स्वाद वाला होता है।
- केसर की खेती विशेष प्रकार की 'करेवा' मिट्टी में की जाती है। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झीलों के निक्षेप हैं। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोढ़ उपस्थित होते हैं। ये जम्मू-कश्मीर में पीरपंजाल श्रेणियों की ढालों में 1,500 से 1,850 मीटर की ऊँचाई पर मिलते हैं।
- जम्मू-कश्मीर (राज्य पुनर्गठन से पहले) के अन्य GI टैग हैं- पश्मीना (लद्दाख क्षेत्र में बकरे से प्राप्त पश्म, जो कि एक प्रकार के फाइबर से निर्मित टेक्सटाइल है), कानी शॉल और कश्मीरी सोजनी (हस्त निर्मित शॉल)।

संस्कृत शिलालेख

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की पुरालेख शाखा ने अब तक के सबसे पुराने संस्कृत शिलालेख की खोज की है। इस शिलालेख से सप्तमातृका के बारे में जानकारी मिलती है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि यह संस्कृत शिलालेख आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के चेब्रोलू गाँव में खोजा गया है। इस स्थान पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में एक अन्य शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसे पहली सदी से संबंधित बताया जा रहा है।
- इस शिलालेख में संस्कृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, इसे सातवाहन वंश के राजा विजय द्वारा 207 ईसवी में जारी किया गया था।
- राजा विजय सातवाहन वंश का 28वाँ राजा था, जिसने 6 वर्षों तक शासन किया। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यत: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था।
- इस शिलालेख में एक मंदिर तथा मंडप के निर्माण के बारे में वर्णन किया गया है।
- इस अभिलेख में कार्तिक नामक व्यक्ति को ताम्बापे (चेब्रोलू गाँव का प्राचीन नाम) गाँव में सप्तमातृका मंदिर के पास प्रासाद (मंदिर) व मंडप बनाने का आदेश दिया गया है।
- चेब्रोलू संस्कृत शिलालेख से पूर्व इक्ष्वाकु राजा एहवाल चंतामुला (Ehavala Chantamula) द्वारा चौथी सदी में जारी नागार्जुनकोंडा शिलालेख को दक्षिण भारत में सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख माना जाता था।

सप्तमातृका (Saptamatrika)

- हिंदू धर्म में सात देवियों के एक समूह को सप्तमातृका कहा जाता है जिसमें ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुण्डा और इंद्राणी शामिल हैं।
- सप्तमातृका की जानकारी कदंब ताम्र प्लेट, प्रारंभिक चालुक्य तथा पूर्वी चालुक्य ताम्र प्लेट से मिलती है।

बोज्जनकोंडा व लिंगलामेत्ता बौद्ध स्थल

आंध्र प्रदेश के शंकरम में स्थित बोज्जनकोंडा (Bojjannakonda) नामक बौद्ध स्थल पर पत्थर फेंकने की एक पुरानी प्रथा को रोकने में प्रशासन ने सफलता हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- यहाँ के ग्रामीण एक प्राचीन प्रथा के तहत बोज्जनकोंडा स्थित मानव के पेट के आकार की एक आकृति को राक्षस का रूप मानते हुए इस पर पत्थर फेंकते थे।
- हालाँकि 'इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज' (INTACH) के हस्तक्षेप के बाद मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी को कनुमा दिवस (Kanuma day) पर आयोजित होने वाली यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है।

बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता

- बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में स्थापित जुड़वाँ बौद्ध मठ हैं।
- ये बौद्ध स्थल बौद्ध धर्म की तीन शाखाओं (थेरवाद, महायान, वज्रयान) से संबंधित हैं-
  - थेरवाद: बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में मान्यता।
  - महायान: बौद्धधर्म अधिक भक्तिपूर्ण था।
  - वज्रयान: जहाँ बौद्ध परंपरा में तंत्र एवं गूढ़ रूप में अधिक विश्वास।
- यह स्थल स्तूपों, पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं, ईंट-निर्मित संरचनात्मक आकृतियों, प्रारंभिक ऐतिहासिक मृदभांडों और पहली शताब्दी ई.पू. के सातवाहन काल के सिक्कों के लिये प्रसिद्ध है।
- यहाँ स्थित मुख्य स्तूप चट्टान को तराशकर बनाया गया है और फिर इसे ईंटों से ढका गया है। यहाँ स्थित पहाड़ियों में पत्थरों पर बुद्ध की छवियों को उकेरा गया है।
- यहाँ स्थित लिंगलामेत्ता में एकाश्म पत्थर से निर्मित स्तूपों को देखा जा सकता है।

आकर्षक पर्यटन स्थल

- पर्यटक तीन चैत्यगृह, अवशेष मंजूषा (Relic Casket), स्तूप और वज्रयान मूर्तिकला को देखने के लिये बड़ी संख्या में इन बौद्ध स्थलों पर आते हैं।
- विशाखापत्तनम थोटलाकोंडा (Thotlakonda), एप्पिकोंडा (Appikonda) और बाविकोंडा (Bavikonda) जैसे बौद्ध स्थलों के लिये भी प्रसिद्ध है।

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH)

- INTACH की स्थापना भारत में संस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वर्तमान में INTACH को विश्व के सबसे बड़े विरासत संगठनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में INTACH की भारत में 190 से अधिक शाखाएँ हैं।
- INTACH ने न केवल अमूर्त विरासत बल्कि प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में अभूतपूर्व कार्य किया है।

सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल

- 12 मई, 2020 को झारखंड की 'सोहराई खोवर पेंटिंग' और तेलंगाना के 'तेलिया रुमाल' को 'भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री' द्वारा 'भौगोलिक संकेतक' (जीआई) टैग दिया गया। 'सोहराई खोवर पेंटिंग' झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी-समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हज़ारीबाग ज़िले में ही प्रचलित है। हालाँकि, हाल के वर्षों में इसके प्रचार-प्रसार के कारण इसे झारखंड के अन्य हिस्सों में भी निर्मित किया जा रहा है। इसे परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता था किंतु अब इसे अन्य सतहों पर भी चित्रित किया जाता है। इस चित्रकला में लाइनों, बिंदुओं, जानवरों के चित्रों एवं पेड़-पौधों को प्रमुख स्थान दिया जाता है जो अक्सर 'धार्मिक प्रतिमा-विधा' का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'तेलिया रुमाल' को सूती कपड़े में जटिल हस्तनिर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसमें तीन विशेष रंगों (लाल, काले व सफेद) में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। आज़ादी मिलने से पहले हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में कार्य करने वाले अधिकारी चितुकी तेलिया रुमाल को प्रमुख प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पहनते थे। तेलिया रूमाल को राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चढ़ाया जाता है।

विश्व धरोहर दिवस

प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व भर में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स' (ICOMOS) द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये विश्व विरासत दिवस (World Heritage Day) के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के लिये विश्व धरोहर दिवस की थीम 'साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा ज़िम्मेदारी' (Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility) है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिये संरक्षित करना है। वर्ष 1982 में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स' (ICOMOS) ने सुझाव दिया कि 18 अप्रैल को स्मारक एवं स्थलों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिये। इस प्रस्ताव को वर्ष 1983 में यूनेस्को (UNESCO) की 22वीं आमसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं उनका संरक्षण करना था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS) संगठन की स्थापना 'वेनिस चार्टर' (Venice Charter) में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई थी, जिसे स्मारक एवं स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिये वर्ष 1964 के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के रूप में भी जाना जाता है।

राखीगढ़ी

केंद्रीय बजट-2020 में हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई तथा यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी के साथ उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, असम के शिवसागर, गुजरात के धौलावीरा और तमिलनाडु के आदिचनल्लूर को भी राष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित हस्तिनापुर श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जबकि अन्य मंदिरों में जंबूद्वीप जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर और अस्तपद जैन मंदिर शामिल हैं। हस्तिनापुर को 'पंच प्यारे' भाई धर्म सिंह के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है जो गुरु गोविंद सिंह (दसवें सिख गुरु) के शिष्य थे। असम में स्थित शिवसागर स्थल वर्ष 1699 से 1788 ईस्वी के मध्य अहोम साम्राज्य की राजधानी था और पहले इसे रंगपुर के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण को कारेनघर (तलातलघर) परिसर, जो कि अहोम शक्ति का गढ़ था, में उत्खनन के दौरान रास्ते के संरचनात्मक अवशेषों के साथ, लंबी दीवारें, नालियों के लिये टेराकोटा पाइप, फूलदान और कुछ पात्र मिले थे। यहाँ स्थित अन्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल रंग घर है, जो अहोम राजाओं के लिये एक रंगभूमि था, जिसे खेल के लिये उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धौलावीरा स्थल गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था- दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। इस स्थल पर सबसे महत्त्वपूर्ण खोज के रूप में यहाँ विश्व की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणाली मिली है जहाँ वर्षा जल का संचय किया जाता था। तमिलनाडु के थूथुकुडी ज़िले में स्थित आदिचनल्लूर पुरातात्त्विक स्थल की खुदाई पहले जर्मन प्रकृतिवादी डॉ. जागोर और बाद में एक अंग्रेज़ पुरातत्त्वविद अलेक्ज़ेंडर रे ने वर्ष 1876 और 1905 के बीच करवाई थी।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

अप्रैल 2020 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा जारी 180 देशों के 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था।
- इस सूचकांक में पत्रकारों के लिये उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है।
- यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढाँचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है।
- 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020' में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि वर्ष 2019 में भी पहले स्थान पर था। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान फिनलैंड को और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है।
- इस सूचकांक में 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, जो कि बीते वर्ष 179वें स्थान पर था।

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020

20 मार्च, 2020 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) द्वारा प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत ने 144वाँ स्थान प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2019 में 156 देशों की खुशी के स्तर का अध्ययन किया गया, हालाँकि इस वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2020 में 153 देशों की ही रैंकिंग दी गई है।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2020 के अनुसार 153 देशों में भारत का स्थान 144 वाँ था, जबकि विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2019 में खुशहाली के संदर्भ में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान 140 वाँ था।
- वर्ष 2020 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल राष्ट्र है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड हैं।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2020 में भारत के पड़ोसी देशों यथा- पाकिस्तान (66), नेपाल (92), चीन (94), बांग्लादेश (107), श्रीलंका (130) का स्थान भी भारत से बेहतर है। वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान (153), दक्षिण सूडान (152) तथा ज़िंबाब्वे (151) क्रमशः अंतिम 3 राष्ट्र हैं।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक

जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने (Transparency International) भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019 (Corruption Perception Index-2019) जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस सूचकांक के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति में वर्ष 2018 की तुलना में दो स्थान की गिरावट आई है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक के अनुसार, भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 80वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2018 में भारत इस सूचकांक में 78वें स्थान पर था।

- वर्ष 2019 में भारत को इस सूचकांक के अंतर्गत 41 अंक प्राप्त हुए हैं, वर्ष 2018 में भी भारत को 41 अंक प्राप्त हुए थे।
- डेनमार्क 87 अंकों के साथ इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि सोमालिया 9 अंकों के साथ दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है।

लोकतंत्र सूचकांक

जनवरी 2020 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थान की गिरावट के साथ 51वें स्थान पर आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह सूचकांक 'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' द्वारा तैयार की गई 'अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पोपुलर प्रोटेस्ट' (A year of democratic setbacks and popular protest) नामक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।
- यह वैश्विक सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों और दो क्षेत्रों (Territories) में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करता है।

रैंकिंग के मानक

- इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैमानों के आधार पर किया गया है-
  - चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Electoral Process and Pluralism)
  - सरकार की कार्यशैली (The Functioning of Government)
  - राजनीतिक भागीदारी (Political Participation)
  - राजनीतिक संस्कृति (Political Culture)
  - नागरिक आज़ादी (Civil Liberties)
- इस सूचकांक में 1-10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है।

सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक

नीति आयोग द्वारा विकसित सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (Sustainable Development Goal India Index) 2019-20 (द्वितीय संस्करण) को 30 दिसंबर, 2019 को लॉन्च किया गया। सरकार के नेतृत्व वाली सतत् विकास लक्ष्यों पर प्रगति की उप-राष्ट्रीय माप (Sub-National Measure) प्रस्तुत करने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है।

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- इस संस्करण में भारत का समग्र स्कोर पिछले संस्करण (वर्ष 2018) के 57 से बढ़कर 60 हो गया है। इस बार एक भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आकांक्षी श्रेणी में शामिल नहीं है वे या तो बेहतर प्रदर्शनकर्त्ता (Performer) या फिर अग्रणी (Front Runner) श्रेणी में शामिल हैं।
- सूचकांक में केरल (70) एवं हिमाचल प्रदेश (69) को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।
- इस वर्ष बिहार 50 अंकों के साथ सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा।
- सर्वाधिक प्रगति करने राज्यों में उत्तर प्रदेश (29वें स्थान से 23वें स्थान पर), ओडिशा (23वें स्थान से 15वें स्थान पर) और सिक्किम (15वें स्थान से 7वें स्थान पर) शामिल हैं।
- सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में देखा जाए तो 'लक्ष्य-6; स्वच्छ जल और स्वच्छता', 'लक्ष्य 7; उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढाँचा' और 'लक्ष्य 9; वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा' में सर्वाधिक प्रगति देखी गई है।
- पिछले संस्करण में आकांक्षी (Aspirent) श्रेणी के तीनों राज्य- उत्तर प्रदेश, बिहार और असम अपने स्कोर में सुधार कर बेहतर प्रदर्शनकर्त्ता (Performer) श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और सिक्किम बेहतर प्रदर्शनकर्त्ता की श्रेणी से अग्रणी श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

मानव विकास सूचकांक 2019

दिसंबर 2019 में जारी मानव विकास रिपोर्ट, 2019 में 189 देशों के लिये मानव विकास सूचकांक का आकलन किया गया। इस सूची में भारत का स्थान 129वाँ तथा मानव विकास सूचकांक मान 0.647 था। इस मान के आधार पर भारत 'मध्यम मानव विकास' वाले देशों के समूह में आता है।

प्रमुख बिंदु

- मानव विकास रिपोर्ट, 2019 के आधार पर भारत की 2018 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 डॉलर, जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष, स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष 6.5 तथा स्कूल में व्यतीत किये जाने वाले संभावित वर्ष 12.3 थे।
- मानव विकास रिपोर्ट, 2018 में 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 130वाँ तथा मानव विकास सूचकांक माप 0.640 था। वर्ष 1990 में भारत का मानव विकास सूचकांक मान 0.427 था, जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 0.647 हो गया है, इस प्रकार इसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मानव विकास रिपोर्ट, 2019 में वर्ष 2018 के लिये 189 देशों कोमानव विकास सूचकांक मान के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- इनमें से मानव विकास के आधार पर 62 देशों को अति उच्च मानव विकास समूह, 54 देशों को उच्च मानव विकास समूह, 37 देशों को मध्यम मानव विकास समूह और 36 को निम्न मानव विकास समूह की श्रेणी में रखा गया है।

वैश्विक भूख सूचकांक 2019

अक्तूबर 2019 में जारी 'वैश्विक भूख रिपोर्ट, 2019' में भारत का वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 30.3 बताया गया है। इस आधार पर भारत 'गंभीर' (Serious) राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। वैश्विक भूख रिपोर्ट, 2019 में वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index– GHI), 2019 के अंतर्गत 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102वाँ है, जो कि अत्यधिक चिंता का विषय है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2018 में 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 103वाँ एवं वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 31.1 था।

- वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 'Concern Worldwide और Welthungerhilfe' नामक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया।

नोट: GHI–2019 रिपोर्ट का मुख्य विषय (Theme) "The Challenge of Hunger and Climate Change" था।

- वर्ष 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute–IFPRI) भी इस सूचकांक के प्रकाशन में सहभागी होता था।
- वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित चार घटकों को शामिल किया जाता है-
- वैश्विक भूख रिपोर्ट, 2019 के अनुसार भारत की 14.5 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। इस कुपोषित जनसंख्या को भोजन की मात्रा व गुणवत्ता दोनों ही नहीं मिल पा रही है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 37.9 प्रतिशत बच्चों में आयु के अनुपात में कम लंबाई देखी गई, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
- वैश्विक भूख रिपोर्ट, 2019 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 20.8 प्रतिशत बच्चों में लंबाई के अनुपात में कम वज़न की समस्या देखी गई है।
- वैश्विक भूख रिपोर्ट, 2019 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अर्थात् बाल मृत्यु दर 3.9 पाई गई है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019

दिसंबर 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019 (ISFR 2019) जारी की गई।

ISFR, 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य	
कुल वनावरण एवं वृक्षावरण	8,07,276 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%)
केवल वनावरण	7,12,249 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%)
केवल वृक्षावरण	95,027 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89%)
वनावरण में वृद्धि	3,976 वर्ग किमी. (0.56%)
वृक्षावरण में वृद्धि	1,212 वर्ग किमी. (1.29%)
वनावरण एवं वृक्षावरण में कुल वृद्धि	5,188 वर्ग किमी. (0.65%)

सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य	
मिज़ोरम	85.41%
अरुणाचल प्रदेश	79.63%
मेघालय	76.33%
मणिपुर	75.46%
नगालैंड	75.31%

सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य	
मध्य प्रदेश	77,482 वर्ग किमी.
अरुणाचल प्रदेश	66,688 वर्ग किमी.
छत्तीसगढ़	55,611 वर्ग किमी.
ओडिशा	51,619 वर्ग किमी.
महाराष्ट्र	50,778 वर्ग किमी.

वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य	
कर्नाटक	1,025 वर्ग किमी.
आंध्र प्रदेश	990 वर्ग किमी.
केरल	823 वर्ग किमी.
जम्मू-कश्मीर (राज्य पुनर्गठन के पूर्व)	371 वर्ग किमी.
हिमाचल प्रदेश	334 वर्ग किमी.

कारोबारी सुगमता सूचकांक 2019

24 अक्तूबर, 2019 को जारी विश्व बैंक समूह (World Bank Group) की 17वीं "Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies" शीर्षक रिपोर्ट में विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है।

भारत का ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस स्कोर 71.0 है। भारत की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। पिछले साल 190 देशों की सूची में भारत का स्थान 77वाँ और स्कोर 67.23 था।

डूइंग बिज़नेस रैंकिंग, 2020		
देश		रैंक
प्रथम पाँच देश	न्यूज़ीलैंड	1
	सिंगापुर	2
	हांगकांग	3
	डेनमार्क	4
	कोरिया गणराज्य	5
ब्रिक्स देश	रूस	28
	दक्षिण अफ्रीका	84
	चीन	31
	ब्राज़ील	124
	भारत	63

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2019

जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2019 के अनुसार सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं की ताज़ा सूची में भारत 52वें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2019 में भारत का स्कोर 36.58 है जबकि वर्ष 2018 में भारत 57वें स्थान पर था।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2019 रिपोर्ट की थीम 'Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation' है।

- वर्ष 2019 में भारत सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शीर्ष 50 के करीब 52वें स्थान पर पहुँच गया है।
- भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2019 में सभी कारकों में निम्न-मध्यम आय समूह के देशों के औसत से ऊपर है।
- भारत ने मानव पूंजी विकास और अनुसंधान, बाज़ार एवं व्यवसाय विशेषज्ञता, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में काफी विकास किया है।
- भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में नवोन्मेषन के संदर्भ में चौथे स्थान पर है।
- भारत पिछले नौ वर्षों (2011-2019) से लगातार इनोवेशन अचीवर रहा है।
- भारत पिछले चार वर्षों से मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में इनोवेशन की गुणवत्ता के संदर्भ में दूसरा स्थान रखता है।
- भारत का बाज़ार विशेषज्ञता (Market Sophistication) के संदर्भ में स्कोर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के स्कोर से अधिक है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग में सुधार उच्च शिक्षा में बेहतर स्थिति, वैज्ञानिक प्रकाशन और शोध तथा विकास के बेहतर कार्यकलाप के कारण हुआ है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2019 के अनुसार विश्व की सर्वोच्च पाँच नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में क्रमशः स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम हैं।

सरकारी योजनाएँ

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान

COVID-19 महामारी के चलते प्रवासी मज़दूरों के समक्ष उत्पन्न रोज़गार की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून, 2020 को 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम तेलिहार से शुरू किया गया। यह 125 दिनों का अभियान होगा, जिसे मिशन मोड में संचालित किया जाएगा।
- इस अभियान में छः राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा) को शामिल किया गया है।
- छः ज़िलों के 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के साथ कुल 116 ज़िलों को इस अभियान के लिये चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी ज़िले भी शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम में शामिल छः राज्यों के 116 ज़िलों के गाँव कॉमन सर्विस सेंटर तथा 'कृषि विज्ञान केंद्रों' के माध्यम से शामिल होंगे, जो कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मानदंडों को भी ध्यान में रखेंगे।
- यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का समन्वित प्रयास है, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़क संगठन, दूरसंचार तथा कृषि मंत्रालय शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

जून में आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी अथवा रेहड़ी-पटरी विक्रेता (Street Vendor) ₹10,000 तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
- ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी।
- कर्ज़ का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज़ लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
- पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा।
- यदि कर्ज़दार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले करता है तो मंत्रालय उनका विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा जिसके आधार पर वह ₹20,000 या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने का पात्र होगा।
- इस योजना के तहत ऋण जारी करने की प्रक्रिया जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी।
- इस योजना के लिये सरकार द्वारा ₹5,000 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है।
- इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक है।
- इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
- इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

1 जून, 2020 से 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना में तीन और राज्य (ओडिशा, सिक्किम, मिज़ोरम) शामिल हो गए।

क्रियान्वयन एजेंसी

इस योजना का क्रियान्वयन 'केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना संपूर्ण देश में 'खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी' उपलब्ध कराती है।
- यह 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।
- इस योजना के लिये सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है तथा 'पॉइंट ऑफ सेल' मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
- इस योजना में गरीब, मज़दूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोज़गार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवास करते हैं।
- यह सुविधा अब 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मिज़ोरम, ओडिशा, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है।
- अगस्त 2020 से उत्तराखंड, नगालैंड और मणिपुर इस योजना में सम्मिलित हो जाएंगे। शेष 13 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 31 मार्च, 2021 तक योजना में शामिल हो जाएंगे।
- ऐसे NFSA राशन कार्ड जिनसे पिछले 6 महीनों में कम-से-कम एक आधार प्राधिकृत लेनदेन हुआ है वे सभी इस योजना के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी लेनदेन के लिये पात्र होंगे।

GOAL कार्यक्रम

मई में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिये फेसबुक के साथ मिलकर 'गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स' (Going Online As Leaders-GOAL) कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- GOAL कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान की जाएगी।
- डिजिटल रूप से सक्षम यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना पर आधारित है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करने के साथ-साथ उनके समाज के सर्वांगीण उत्थान में भी योगदान देगा।
- डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी, जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ने में मददगार साबित होगी।
- जनजातीय उद्यमिता का विकास होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिये आदिवासी युवाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ा जाएगा।
- इस कार्यक्रम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिससे आदिवासी युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में यथा- बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला एवं संस्कृति आदि में डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दीर्घकालिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त हो सके।
- यह कार्यक्रम आदिवासी महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उनके सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में सक्षम बनाने की दिशा में GOAL कार्यक्रम मददगार साबित होगा।
- GOAL का प्रथम चरण फेसबुक द्वारा वर्ष 2019 में फरवरी से अक्तूबर, 2019 तक 5 राज्यों में 100 'मेंटीज' और 25 मेंटर्स के साथ पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर संचालित किया गया था।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2020-21

अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने 'सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2020-21 की घोषणा की। योजना के अंतर्गत छह अवधि शृंखलाओं (Tranches) में अप्रैल से सितंबर 2020 के मध्य सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) जारी किये जाएंगे।

उद्देश्य

- सोने की भौतिक मांग को कम करना।
- प्रतिवर्ष निवेश के उद्देश्य से आयात होने वाले सोने के एक हिस्से को वित्तीय बचत में परिवर्तित करना।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) की विशेषताएँ

- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड 2020-21 के नाम से ये बॉण्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाएंगे।
- इनकी बिक्री विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों जैसे निकायों तक ही सीमित रहेगी।
- SGB को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। इनकी 8 वर्ष की समयावधि होगी और पाँच वर्ष के पश्चात् इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा।
- व्यक्तियों और HUFs के लिये 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) की अधिकतम सीमा होगी।
- SGB की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के ज़रिये की जाएगी।
- बॉण्ड का मूल्य भारतीय रुपये में तय किया जाएगा।
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर अदा करना होगा।

सुपोषित माँ अभियान

29 फरवरी की लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिड़ला द्वारा 'सुपोषित माँ' अभियान आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। यह अभियान गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान देगा।

प्रमुख बिंदु

- 'सुपोषित माँ अभियान' का मुख्य उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना है।
- इस अभियान की योजना के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा।
- इसमें माँ और बच्चे की स्वास्थ्य चिकित्सा जाँच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा।
- यह अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
- सुपोषित माँ अभियान में एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा।
- अभियान के पहले चरण में 1,000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी।
- इस किट में गेहूँ, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी सोयबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे।
- गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- यह वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये एक एकीकृत बहुमंत्रालयी मिशन है।
- पोषण अभियान का प्रमुख उद्देश्य आगंनबाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिह्नित ज़िलों में बौनापन को कम करना है।
- इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चों हेतु समग्र विकास तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।

निर्विक योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण के दौरान निर्विक योजना की घोषणा की।

उद्देश्य

निर्यातकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करना तथा छोटे निर्यातकों के लिये प्रीमियम राशि कम करना। इसके साथ ही दावा निपटान प्रक्रिया को सरलीकृत बनाना।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन 'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम' द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'निर्विक' को 'निर्यात ऋण बीमा योजना (ECIS)' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक बीमा गारंटी योजना है, जो 90 प्रतिशत मूलधन एवं ब्याज़ को समाविष्ट करेगी।
- इसमें प्री और पोस्ट शिपमेंट ऋण दोनों सम्मिलित होंगे।
- वर्तमान में ECGC 60 प्रतिशत हानि तक की ऋण गारंटी प्रदान कर रही थी।
- इस योजना से निर्यातकों को ऋण उपलब्धता में वृद्धि होगी।
- इस योजना से निर्यातकों की बीमा लागत कम होगी तथा 'व्यापार सुगमता सूचकांक' में भारत का स्थान सुधरेगा।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस योजना के तहत प्रीमियम पर सब्सिडी देना प्रस्तावित किया है, जिसका भुगतान कुछ क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा किया जाएगा।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 2019 में घोषणा की थी कि जेम्स, ज्वेलरी एवं डायमंड (GJD) क्षेत्र के ऋणियों (₹80 करोड़ से अधिक सीमा वाले) को 'निर्विक' के तहत उच्च प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- यह संवर्धित कवर है जो सुनिश्चित करेगा कि निर्यातकों के लिये विदेशी मुद्रा और रुपये में निर्यात ऋण की ब्याज़ दर क्रमशः 4% और 8% से कम हो।

'किसान रेल' एवं 'कृषि उड़ान'

केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि क्षेत्र से होने वाली आय बढ़ाने के उद्देश्य से 'किसान रेल' व 'कृषि उड़ान' योजना की घोषणा की गई।

क्रियान्वयन एजेंसी

- 'किसान रेल' का क्रियान्वयन 'भारतीय रेल' द्वारा किया जाएगा।
- 'कृषि उड़ान' का संचालन 'नागर विमानन मंत्रालय' करेगा।

प्रमुख बिंदु

- किसान रेल को पीपीपी मॉडल के ज़रिये चलाया जाएगा तथा एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे।
- किसान रेल से दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिये एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला का निर्माण होगा।
- रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने 17 टन क्षमता वाले 'रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन (VPR)' का नया डिज़ाइन तैयार किया है, जो शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों का परिवहन कर सकते हैं, वर्तमान में रेलवे के पास 9 VPR उपलब्ध हैं।
- विकारी खाद्य (Perishables) के लिये गाजीपुर घाट (उत्तर प्रदेश), न्यू आजादपुर (दिल्ली) तथा राजा का तालाब (उत्तर प्रदेश) में कोल्ड स्टोरेज चालू किया गया है।
- नागर विमानन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा।
- इस योजना से कृषक फसलों का शीघ्र दूरस्थ स्थान पर परिवहन करने में सक्षम होंगे।
- कृषि उड़ान विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय ज़िलों में उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' की घोषणा की गई।

उद्देश्य

भारत लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के तकनीकी वस्त्र आयात करता है। इस आयात को कम करने तथा तकनीकी वस्त्रों में भारत को अग्रणी देश बनाने के लिये NTTM प्रारंभ किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये बजट में ₹1,480 करोड़ के अनुमानित परिव्यय प्रस्तावित हैं।
- इसकी अवधि 4 वर्ष यानी 2020-21 से 2023-24 तक होगी।
- तकनीकी वस्त्रों का निर्माण सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा तकनीकी गुणवत्ता और आवश्यकता की पूर्ति के लिये किया जाता है।
- NTTM के चार घटक हैं-
  - **घटक-I (अनुसंधान, नवाचार एवं विकास):** इसके तहत ₹1000 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। इसमें कार्बन, फाइबर, अरामिड फाइबर, नाइलॉन फाइबर के स्तर पर मौलिक अनुसंधान और भू-टेक्सटाइल, कृषि-टेक्सटाइल, चिकित्सा-टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल, खेल-टेक्सटाइल के स्तर पर अनुप्रयोग अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  - **घटक-II (निर्यात संवर्धन):** इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात को वर्ष 2020-21 तक ₹20,000 करोड़ करना है, जो वर्तमान में ₹14000 करोड़ है। साथ ही 2023-24 तक 10 प्रतिशत औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है।
  - **घटक-III (संवर्धन और विपणन विकास):** भारत के तकनीकी वस्त्र बाज़ार का आकार 2024 तक 40 से 50 अरब डॉलर करना है। इसके लिये बाज़ार विकास, बाज़ार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' का सहारा लिया जाएगा।
  - **घटक-IV (शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास):** यह मिशन उच्चतर इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा, इसके लाभ अनुप्रयोग का दायरा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा।

अटल भूजल योजना

25 दिसंबर, 2019 को निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिये 'अटल भूजल योजना' आरंभ की गई।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य चिह्नित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनभागीदारी के माध्यम से भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है।
- इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 ज़िलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भू-जल प्रबंधन तथा व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देगी।

क्रियान्वयन एजेंसी

- अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन 'जल शक्ति मंत्रालय' करेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का कुल परिव्यय ₹6000 करोड़ है तथा यह पाँच वर्षों की अवधि (2020-21 से 2024-25) के लिये लागू की जाएगी।
- ₹6000 करोड़ के कुल परिव्यय में 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
- बकाया 50 प्रतिशत नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
- संस्थागत मज़बूती और क्षमता निर्माण घटक:
  - राज्यों में स्थायी भू-जल प्रबंधन के लिये संस्थागत प्रबंधनों को मज़बूत बनाने के लिये नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार तथा जल उपयोगकर्त्ता समूहों को मज़बूत बनाना।
  - डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना, मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से प्रबंधन प्रयासों को लागू करना।
- मांग पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु घटक-
  - विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के क्षमता निर्माण तथा भू-जल निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिये संस्थागत मज़बूती से भू-जल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और विस्तार को बढ़ावा देना।
  - उन्नत और वास्तविक जल प्रबंधन से संबंधित उन्नत डेटाबेस तथा पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व के तहत जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना।
- भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, ताकि सतत भू-जल प्रबंधन के लिये निधियों के न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सके।
- सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधता आदि जैसे मांग पक्ष के उपायों पर ध्यान देते हुए उपलब्ध भू-जल संसाधनों का उचित उपयोग करना।

खेल घटनाक्रम

इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टैस्ट शृंखला

8 जुलाई से 28 जुलाई, 2020 के बीच इंग्लैंड व वेस्ट इंडीज के बीच तीन टैस्ट मैच की शृंखला (विज़्डन ट्रॉफी) संपन्न हुई। इसे इंग्लैंड ने 2-1 से जीत लिया।

मुख्य बिंदु

- कोरोना महामारी के चलते चार माह क्रिकेट न खेले जाने के बाद यह पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला थी। इसको फैलने से रोकने के उद्देश्य से इस शृंखला से क्रिकेट में अनेक नए नियम लागू किये गए।

- शृंखला के तीनों मैच दर्शकों की अनुपस्थिति में खिलाड़ियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करते हुए साउथंपटन व मैनचेस्टर में Bio-secure Bubbles में खेले गए।
- शृंखला का पहला मैच वेस्ट इंडीज द्वारा जीते जाने के बाद शेष दो मैच इंग्लैंड ने जीते और शृंखला पर कब्जा किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को 'प्लेयर ऑफ द मैच' व स्टुअर्ट ब्रॉड को ही वेस्ट इंडीज के रॉस्टन चेज़ के साथ संयुक्त रूप से 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार दिया गया।

आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप, 2020

- सातवें आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप, जो आस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, के फाइनल में आस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर प्रतियोगिता जीत ली।
- उल्लेखनीय है कि 'प्लेयर ऑफ द सीरीज़' ऑस्ट्रेलिया की बैथ मूनी (आस्ट्रेलिया) रहीं। बैथ मूनी ने इस विश्व कप में सर्वाधिक रन (259) एवं मेगन शट ने सर्वाधिक विकेट (13) लिये।
- वहीं सैफाली वर्मा भारत के लिये सबसे कम उम्र की (16 साल) विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी रहीं।

सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी

- 1 दिसंबर, 2019 को लालाभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, सूरत में खेले गए राष्ट्रीय T-20 टूर्नामेंट के फाइनल में तमिलनाडु को 1 रन से हराकर कर्नाटक ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी जीती है।
- ध्यातव्य है कि कर्नाटक छठी टीम है जिसने तीनों प्रारूपों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2008-09 में हुई थी।

महत्त्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता एवं उनके परिणाम

लॉन टेनिस (ग्रैंड स्लैम)				
स्पर्धा	**ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2020**	**फ्रेंच ओपन, 2019**	**विंबल्डन, 2019**	**यू.एस. ओपन, 2019**
पुरुष एकल विजेता/उपविजेता	**नोवाक जोकोविच (सर्बिया)** डोमिनिक थिएम (ऑस्ट्रिया)	**राफेल नडाल (स्पेन)** डोमिनिक थिएम (ऑस्ट्रिया)	**नोवाक जोकोविच (सर्बिया)** रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड)	**राफेल नडाल (स्पेन)** डैनिल मेदवेदेव (रूस)
महिला एकल विजेता/उपविजेता	**सोफिया केनिन (अमेरिका)** गर्बाइन मुगुरुजा (स्पेन)	**एश्ले बार्टी (ऑस्ट्रेलिया)** मार्केता वोंद्रोउसोवा (चेक गणराज्य)	**सिमोना हालेप (रोमानिया)** सेरेना विलियम्स (अमेरिका)	**वियांका एंड्रेस्कू (कनाडा)** सेरेना विलियम्स (यूएसए)
पुरुष युगल विजेता/उपविजेता	**राजीवराम (USA), जो सैलिस्बरी (UK)** ल्यूक सैविली व मैक्स पर्सेल (ऑस्ट्रेलिया)	**केविन क्राविएत्ज एवं आंद्रियास मीएस (दोनों जर्मनी)** जेरेमी चार्डी एवं फैब्रिस मार्टिन (दोनों फ्राँस)	**जुआन सेबास्टियन कबाल एवं रॉबर्ट फराह (दोनों कोलंबिया)** निकोलस माहुत एवं एडवर्ड रोजर-वेसेलिन (दोनों फ्राँस)	जुआन सेबास्टियन कबाल एवं रॉबर्ट फराह (दोनों कोलंबिया) मार्सेल ग्रैनोलर्स (स्पेन) एवं होरासियो जेबालोस (अर्जेंटीना)
महिला युगल विजेता/उपविजेता	**टिमिया बाबोस (हंगरी) क्रिस्टिना म्लाडेनोविक (फ्राँस)** सू-बेई ह्सीट (चाइनीज ताइपेई), बारबोरा स्ट्राइकोवा (चेक गणराज्य)	**तिमेया बाबोस (हंगरी) एवं क्रिस्टीना म्लादेनोविच (फ्राँस)** डुयान यिंगयिंग एवं झेंग साईसाई (दोनों चीन)	**शी सु-वेई (चीनी ताइपे) एवं बारबोरा स्ट्राइकोवा (चेक गणराज्य)** गैब्रिएला डाब्रोवस्की (कनाडा) एवं झू यिफान (चीन)	**एलिस मर्टेंस (बेल्जियम) एवं एरिना सबालेंका (बेलारूस)** विक्टोरिया अज़ारेंका (बेलारूस) एवं एश्ले बार्टी (ऑस्ट्रेलिया)
मिश्रित युगल विजेता/उपविजेता	**बार्बरा क्रेज्सिकोवा (चेक गणराज्य) निकोला मेक्टिक (क्रोएशिया)** बेथनी मेटेक-सेंड्स (USA) जेमी मरे (UK)	**लतिशा चान (चीनी ताइपे) एवं इवान डोडिग (क्रोएशिया)** गैब्रिएला डाब्रोवस्की (कनाडा) एवं मैट पाविक (क्रोएशिया)	**इवान डोडिग (क्रोएशिया) एवं लतिशा चान (चीनी ताइपे)** रॉबर्ट लिंडस्टेड (स्वीडन) एवं येलेना ओस्टापेंको (लातविया)	**जेमी मरे (यूके) एवं बेथनी मेटक-सैंड्स (यूएसए)** माइकल वीनस (न्यूजीलैंड) एवं हाओ-चिंग चान (चीनी ताइपे)

हॉकी: महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता परिणाम, 2018-19			
प्रतियोगिता एवं प्रतियोगिता स्थल	**विजेता/प्रथम स्थान/स्वर्ण**	**उपविजेता/द्वितीय स्थान/रजत**	**तृतीय स्थान/कांस्य**
FIH पुरुष हॉकी सीरीज़, 2018-19/ कुआलालंपुर, मलेशिया	कनाडा	मलेशिया	इटली
महिला FIH सीरीज़ फाइनल्स, 2018-19 बैनब्रिज, आयरलैंड	दक्षिण कोरिया	आयरलैंड	मलेशिया
23वाँ महिला चैंपियंस ट्रॉफी, 2018/ चांगझोउ, चीन	नीदरलैंड्स	ऑस्ट्रेलिया	अर्जेंटीना
10वाँ सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ('A' डिवीज़न), 2020/ कोंल्लम (केरल)	हरियाणा	भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)	मध्य प्रदेश
FIH पुरुष हॉकी सीरीज़, 2019/ भुवनेश्वर (भारत)	भारत	दक्षिण अफ्रीका	जापान
ओलंपिक टेस्ट इवेंट/टोक्यो, जापान पुरुष महिला	 भारत भारत	 न्यूज़ीलैंड जापान	 – –
FIH पुरुष हॉकी सीरीज़, 2018-19/ भुवनेश्वर, भारत	–	दक्षिण अफ्रीका	जापान
महिला FIH सीरीज़ फाइनल्स, 2018-19 हिरोशिमा, जापान	भारत	जापान	चिली
महिला FIH सीरीज़ फाइनल्स, 2018-19 वैलेंसिया, स्पेन	स्पेन	कनाडा	इटली
28वाँ सुल्तान अजलान शाह कप, 2019/ मलेशिया	दक्षिण कोरिया	भारत	मलेशिया
	प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - सुरेंद्र कुमार (भारत)		
10वाँ राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ('A' डिवीज़न), 2020/ झाँसी (यूपी)	सर्विसेज खेल नियंत्रण बोर्ड	एयर एंडिया खेल प्रोत्साहन बोर्ड	पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड
हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 2018/ मस्कट, ओमान	भारत एवं पाकिस्तान*	–	–
	भारी वर्षा के कारण फाइनल मैच नहीं खेला जा सका। भारत एवं पाकिस्तान संयुक्त विजेता घोषित		
9वाँ सुल्तान ऑफ जोहोर कप, 2019/ मलेशिया	ग्रेट ब्रिटेन	भारत	मलेशिया
2019 महिला FIH प्रो लीग	नीदरलैंड	ऑस्ट्रेलिया	जर्मनी
2019 पुरुष FIH प्रो लीग	ऑस्ट्रेलिया	बेल्जियम	नीदरलैंड

फुटबॉल: महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता परिणाम, 2018-19			
प्रतियोगिता एवं प्रतियोगिता स्थल	**विजेता/प्रथम स्थान/स्वर्ण**	**उपविजेता/द्वितीय स्थान/रजत**	**तृतीय स्थान/कांस्य**
यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल्स, 2018-19/मैड्रिड, स्पेन	लिवरपूल	टॉटनहैम	–
	शीर्ष गोल स्कोरर - लियोनल मेसी (बार्सिलोना)		
कोपा डेल रे, 2019 / सेविले, स्पेन	वैलेंसिया सीएफ	बार्सिलोना	–
सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, 2018-19	मणिपुर	ओडिशा	–

डूरंड कप / कोलकाता	गोकुलम केरला	मोहन बागान	–
कोटिफ कप / स्पेन	स्पेन	रूस	–
यूएफा सुपर कप / इस्तांबुल	लिवरपूल	चेल्सी	–
	यह प्रतियोगिता 'यूएफा चैंपियंस लीग' और 'यूएफा येरोपा लीग' के विजेता फुटबॉल क्लबों के मध्य आयोजित की जाती है।		
हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप, 2019 / अहमदाबाद	उत्तर कोरिया (पहला खिताब)	तजाकिस्तान	–
	टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल - सुनील छेत्री (भारत), जोंग इल-ग्वान (उत्तर कोरिया) तथा री ह्योंग जिन (उत्तर कोरिया) (प्रत्येक 3-3 गोल)		
15वाँ CONCACAF गोल्ड कप, 2019/ अमेरिका, कोस्टारिका तथा जमैका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित	मेक्सिको	अमेरिका	–
कोपा अमेरिका, 2019 / ब्राज़ील	ब्राज़ील	पेरू	–
	सर्वाधिक गोल - एवर्टन (ब्राज़ील) सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी - डेनी अल्वेस (ब्राज़ील) सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर - एलीसन (ब्राज़ील) फेयर प्ले ट्रॉफी - ब्राज़ील		
किंग्स कप, 2019 / थाईलैंड	कुराकाओ (पहला खिताब)	वियतनाम	भारत
यूएफा नेशंस लीग फाइनल्स, 2019 / पुर्तगाल	पुर्तगाल (पहला खिताब)	नीदरलैंड्स	–
	बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - फ्रेंकी डी जोंग (नीदरलैंड्स) टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट - क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल), कुल 3 गोल		
फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, 2019 / फ्राँस	अमेरिका	नीदरलैंड्स	स्वीडन
	एडीडास गोल्डेन बॉल अवॉर्ड - मेगन रेपिनो (यूएसए) एडीडास गोल्डेन बूट अवॉर्ड - मेगन रेपिनो (यूएसए) एडीडास गोल्डेन ग्लव अवॉर्ड - सारी वैन वीनेंडाल (नीदरलैंड्स) फीफा यंग प्लेयर अवॉर्ड - गिउलिया ग्विन (जर्मनी) फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी - फ्राँस		
5वाँ सैफ (SAFF) महिला चैंपियनशिप, 2019 / नेपाल	विजेता - भारत (3-1 से)	नेपाल	–
	टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - दांगमेई ग्रेस (भारत) टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल - इंदुमति कैथिरेसान (भारत) एवं सबित्रा भंडारी (नेपाल), दोनों 4-4 गोल		
लॉ लीगा, 2018-19	बार्सिलोना	–	–
संतोष ट्रॉफी, 2018-19 / लुधियाना, पंजाब	सर्विसेज़	पंजाब	–
हीरो सुपर कप 2019 / भुवनेश्वर	गोवा एफ.सी.	चेन्नईयन एफ.सी.	–
हीरो इंडियन सुपर लीग 2019-20 / मुंबई	एटीके (कोलकाता)	चेन्नईयिन फुटबॉल क्लब	–
हीरो आई लीग 2018-19	चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब	मिनर्वा पंजाब फुटबॉल क्लब	–
AFC एशियन कप, 2019 / संयुक्त अरब अमीरात	कतर	जापान	–
	शीर्ष गोल स्कोरर - अल्मोएज अली (कतर, 9 गोल) टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी - अल्मोएज अली (कतर)		
फीफा क्लब विश्व कप, 2019 / कतर	लिबरपूल फुटबॉल क्लब	सीआर फ्लेमेंगा, ब्राजील	–

शतरंज: महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता परिणाम			
प्रतियोगिता एवं प्रतियोगिता स्थल	**विजेता/प्रथम स्थान/स्वर्ण**	**उपविजेता/द्वितीय स्थान/ रजत**	**तृतीय स्थान/कांस्य**
टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट ओपन, 2020/ नीदरलैंड्स	फेविआनो करुआना (यूएसए)	मैग्नस कार्लसन (नार्वे)	–
चेस ओलंपियाड, 2018/जॉर्जिया ❑ पुरुष वर्ग ❑ महिला वर्ग	 चीन चीन	 (यूएसए) यूक्रेन	 – –
18वाँ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल (एयरोफ्लोट), 2020/मास्को, रूस	अयदिन सुलेमानलि (अजरबैजान)	रिनत जुमाबामेव (कजाखस्तान)	रउफ ममेदोव (अजरबैजान)
46वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप, 2019/ तमिलनाडु	भक्ति कुलकर्णी	वंतिका अग्रवाल	–
क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर, 2019/क्रोएशिया	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)	वेस्ले सो (अमेरिका)	–
एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, 2019/चीन ❑ ओपन ग्रुप ❑ ब्लिट्ज ओपन	ली कुआंग लिएम (वियतनाम) निहाल सरीन (भारत)	कार्थिकेयन मुरली (भारत) ली कुआंग लिएम (वियतनाम)	– –
राष्ट्रीय रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज, 2019/ पंजाब ❑ रैपिड स्पर्धा ❑ ब्लिट्ज स्पर्धा	 अरविंद चिदंबरम अरविंद चिदंबरम	 विसाख एन. आर. लक्ष्मण आर. आर.	 लक्ष्मण आर. आर. भक्ति कुलकर्णी
विश्व शतरंज टीम चैंपियनशिप, 2019/अस्ताना, कज़ाख्स्तान ❑ ओपन वर्ग ❑ महिला वर्ग	 **रूस** **चीन**	 **इंग्लैंड** **रूस**	 चीन जॉर्जिया
कॉन इंटरनेशनल ओपन, 2019/फ्राँस	अभिजीत गुप्ता (भारत)	–	–
राष्ट्रीय सीनियर ओपन शतरंज चैंपियनशिप, 2019/सिक्किम	अरविंद चिदंबरम	–	–
विश्व शतरंज चैंपियनशिप, 2018/लंदन	मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे)	फैबियानो कुरूआना (यूएसए)	–
केन्स ओपन शतरंज टुर्नामेंट, 2020/फ्राँस	डोम्माराजू गुकेश (भारत)	जेंग चोंगशेंग (चीन)	

बैडमिंटन : महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता परिणाम				
प्रतियोगिता	**पुरुष एकल**		**महिला एकल**	
	विजेता	***उपविजेता***	***विजेता***	***उपविजेता***
योनेक्स डच ओपन, 2019	लक्ष्य सेन (भारत)	पारूपल्ली कश्यप (भारत)	बांग झी यी (चीन)	वांग झी यी (चीन)
विक्टर क्रोएशियन इंटरनेशनल	बी.एम. राहुल भारद्वाज (भारत)	–	लौरा सरोसी (हंगरी)	–
हैदराबाद ओपन	समीर वर्मा (भारत)	–	किम गा-ईयून (दक्षिण कोरिया)	–
एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2019	कुनलावत वितिदसर्न (थाईलैंड)	–	झोऊ मेंग (चीन)	–
डच ओपन	सौरभ वर्मा (भारत)	–	मिया ब्लिचफेल्ड्ट (डेनमार्क)	–
व्हाइट नाइट्स	इस्कंदर जुल्करनैन (मलेशिया)	सिद्धार्थ प्रताप सिंह (भारत)	इवगेनिया कोसेत्सकाया (रूस)	युकीनो नाकाई (जापान)
रशियन ओपन, 2019	शेसर हिरेन रहुस्तावितो (इंडोनेशिया)	कोकी वातानाबे (जापान)	पाई थू पो (चीन)	–
थाइलैंड ओपन, 2019	चोऊ तिएन चेन (ताइवान)	–	चेन यू फेई (चीन)	पी.वी. सिंधु (भारत)

अकिता मास्टर्स	फिरमान अब्दुल खोलिक (इंडोनेशिया)	यू इगाराशी (जापान)	एन सी-यंग (दक्षिण कोरिया)	हारूको सुजुकी (जापान)
घाना इंटरनेशनल	किरन जार्ज (भारत)	एडे रेस्की द्वीचायो (अजरबैजान)	थी त्रांग (बी) यू (वियतनाम)	मुग्धा अग्रे (भारत)
आइवरी कोस्ट इंटरनेशनल	अल्प मिश्रा (भारत)	चिराग सेन (भारत)	थेट हटार थुजार (म्याँमार)	श्रीकृष्णा कुदरावल्ली (भारत)
विक्टर डच इंटरनेशनल	हर्शीद दानी (भारत)	–	लिने क्रिस्टोफरसेन (डेनमार्क)	–
पोलिस ओपन	कुनलावुत विदितसर्न (थाईलैंड)	लक्ष्य सेन (भारत)	वेई याक्सिन (चीन)	–
स्विस ओपन	शी युकी (चीन)	बी.साई प्रणीत (भारत)	चेन युफेई (चीन)	साइना कावाकामी (जापान)
योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन, 2020	विक्टर अक्जेल सेन (डेनमार्क)	चोऊ तिन चेन (ताइवान)	ताई त्जू यिंग (ताइवान)	चेन यु फेई (चीन)
केन्या इंटरनेशनल, 2020	चिराग सेन (भारत)	–	आकर्षि कश्यप (भारत)	–
टाटा ओपन इंटरनेशनल, 2019	–	–	–	–
दुबई इंटरनेशनल चैलेंज, 2019	कोदाई नारामोका (जापान)	युसुके ओनोडेरा (जापान)	माको उरुशिजाकि (जापान)	रितुपर्णादास (भारत)
सार्लोरलक्स ओपन, 2019	लक्ष्य सेन (भारत)	वेंग होंगयांग (चीन)	लि युन (चीन)	लाइन क्रिस्टोफरसेन (चीन)
योनेक्स पोलिश इंटरनेशनल, 2019	मैड्स क्रिस्टोफारसेन (डेनमार्क)	–	जॉर्डन हार्ट (बेल्स)	–
वियतनाम ओपन, 2019	सौरभ वर्मा (भारत)	–	झेंग यी मेन (चीन)	–

मैराथन/रेस 2019/20	पुरुष विजेता	महिला विजेता
बर्लिन मैराथन, 2019	केनेनिसा बेकेले (इथियोपिया)	अशीटे बेकरे (इथियोपिया)
सियोल मैराथन, 2019	थॉमस किप्लांगट रोनो (केन्या)	डेसी मोकोनिन (बहरीन)
टाटा स्टील कोलकाता 25K, 2019	लियोनार्ड बार्सोटॉन (केन्या)	गुटेनी शोने (इथियोपिया)
टाटा मुंबई मैराथन, 2020	दोरारा हुरिसा (इथियोपिया)	अमेने बेरिसो (इथियोपिया)
शिकागो मैराथन, 2019	लॉरेंस चेरोना (केन्या)	ब्रिगिड कोसगेई (केन्या)
इस्तांबुल मैराथन, 2019	डेनियल किपकोर किबेत (केन्या)	हिरुत तिबेबू (इथियोपिया)
पेरिस मैराथन, 2019	अब्रहा मिलाव (इथियोपिया)	गेलेटे बुर्का (इथियोपिया)
लंदन मैराथन	ओलिका अडुग्ना बिकिला (इथियोपिया)	ब्रिगिड कोसगेई (केन्या)
दुबई मैराथन, 2020	गेटानेह मोल्ला (इथियोपिया)	बर्कनेश डिगेका डिबेले (इथियोपिया)
न्यू दिल्ली मैराथन, 2020	रशपाल सिंह (भारतीय सेना)	ज्योति शंकर गवते (महाराष्ट्र)
पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन, 2019	डाडी सोलेमन टेका (इथियोपिया)	थिगेजू बेलेनेश शिफेरा (इथियोपिया)
इंदिरा मैराथन, 2019	राहुल कुमार पॉल (सेना)	श्यामली सिंह (पश्चिम बंगाल)
TCS वर्ल्ड 10K	अंडमलक बेलिहू (इथियोपिया)	एग्रजीस तिरोप (केन्या)
बोस्टन मैराथन, 2019	लॉरेंस चेरोना (केन्या)	बर्कनेश देगेफा (इथियोपिया)
एयरटेल दिल्ली हॉफ मैराथन, 2019	अंडमलक बेलिहू (इथियोपिया)	त्सेहे गेमेचू (इथियोपिया)
टोक्यो मैराथन, 2020	बिर्हानु लेगेसे (इथियोपिया)	लोना चेमताई सालपीटर (इजराइल)

द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, 2019

मिलान (इटली) में सितंबर, 2019 को बेस्ट फीफा फुटबॉल अवॉर्ड्स, 2019 प्रदान किये गए। जिसकी सूची निम्न प्रकार है-

- **सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी:** लियोनेल मेसी (अर्जेन्टीना)
- **सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी:** मेगन रेपिनोय (अमेरिका)
- **सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच:** जुर्गेन क्लॉप (जर्मनी)
- **सर्वश्रेष्ठ महिला कोच:** जिल एलिस (अमेरिका)
- **सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर:** एलिसन (ब्राज़ील)
- **सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर:** सारी वान वीनेण्डाल (हॉलैण्ड)
- **फीफा पुरुष अवॉर्ड:** डेनियल सोरी (हंगरी)
- **सर्वश्रेष्ठ फैन अवॉर्ड:** सिल्विया ग्रेको

राजीव गांधी खेल रत्न, 2020	
खिलाड़ी का नाम	**खेल**
रोहित शर्मा	क्रिकेट
मरियप्पन थंगावेलु	पैरा एथलीट
मनिका बत्रा	टेबल टेनिस
विनेश फोगाट	कुश्ती
रानी रामपाल	हॉकी

ध्यानचंद पुरस्कार, 2020	
खिलाड़ी का नाम	**खेल**
कुलदीप सिंह भुल्लर, जिंसी फिलिप्स	एथलेटिक्स
प्रदीप गंधे, तृप्ति मुरगुंडे	बैडमिंटन
एन उषा, लक्खा सिंह	मुक्केबाज़ी
सुखविंदर सिंह संधू	फुटबॉल
अजीत सिंह	हॉकी
मनप्रीत सिंह	कबड्डी
जे रंजीत कुमार	पैरा एथलेटिक्स
सत्य प्रकाश तिवारी	पैरा बैडमिंटन
मंजीत सिंह	रोइंग
सचिन नाग	तैराकी
नंदन पी बल	टेनिस
नेत्रपाल हुड्डा	कुश्ती

अर्जुन पुरस्कार, 2020	
खिलाड़ी का नाम	**खेल**
अतानु दास	तीरंदाजी
दुती चंद	एथलेटिक्स
सात्विकसाईराज रेंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी	बैडमिंटन
विशेष भृगवंशी	बॉस्केटबॉल
मनीष कौशिक, लवलीना बोरगोहेन	मुक्केबाज़ी
ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा	क्रिकेट
अजय आनंत सावंत	घुड़सवारी
संदेश झिंगन	फुटबॉल
अदिति अशोक	गोल्फ
आकाशदीप सिंह, दीपिका	हॉकी
दीपक	कबड्डी
सारिका सुधाकर काले	खो-खो
दत्तू बबन भोकानल	रोइंग
मनु भाकर, सौरभ चौधरी	निशानेबाज़ी
मधुरिका सुहास पाटकर	टेबल टेनिस
दिविज शरण	टेनिस
शिवा केशवन	विंटर स्पोर्ट्स
दिव्या काकरान, राहुल अवारे	कुश्ती
सुयश नारायण जाधव	पैरा तैराकी
संदीप	पैरा एथलेटिक्स
मनीष नरवाल	पैरा निशानेबाज़ी

प्रतियोगिता	स्थल
7वाँ ICC पुरुष ट्वेंटी-20 विश्व कप (2021)	भारत
8वाँ ICC पुरुष वर्ल्ड ट्वेंटी-20 (2022)	ऑस्ट्रेलिया
13वाँ ICC एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप (2023)	भारत
12वाँ महिला ICC एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप (2022)	न्यूज़ीलैंड
फीफा U-17 महिला विश्व कप (2021)	भारत
22वाँ फीफा फुटबॉल विश्व कप (2022)	कतर
23वाँ फीफा फुटबॉल विश्व कप (2026)	कनाडा-मेक्सिको -यूएसए
32वाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल (2021)	टोक्यो, जापान
33वाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल (2024)	पेरिस, फ्राँस
34वाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल (2028)	लॉस एंजिल्स, यूएसए
24वाँ शीतकालीन ओलंपिक खेल (2022)	बीजिंग, चीन
19वाँ एशियाई खेल (2022)	हांगझोउ, चीन
चौथा ऐशियाई पैरा खेल (2022)	हांगझोउ, चीन
20वाँ एशियाई खेल (2026)	नगोया, जापान
22वाँ राष्ट्रमंडल खेल (2022)	बर्मिंघम, यूके
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (2021)	ओरेगन, यूएसए
विश्व बॉस्केटबॉल विश्वकप (2023)	फिलीपिन्स, जापान, इंडोनेशिया
मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप (2021)	बेलग्रेड (सर्बिया)
37वाँ राष्ट्रीय खेल (2021)	छत्तीसगढ़
38वाँ राष्ट्रीय खेल (2022)	उत्तराखंड
39वाँ राष्ट्रीय खेल (2023)	मेघालय
रग्बी विश्व कप (2023)	फ्राँस
19वीं विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप (2021)	जापान

विविध

चर्चित व्यक्ति

नियुक्ति

अशोक लवासा

- जुलाई 2020 में भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक (ADB) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अशोक लवासा वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें 3 वर्षों के लिये ADB के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

डॉ. हर्षवर्धन

मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉ. हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉ. हिरोकी नकातानी का स्थान लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति ज़िम्मेदार संयुक्त राष्ट्र (UN) की विशिष्ट संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना और सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में की गई थी।

वी. विद्यावती

वरिष्ठ IAS अधिकारी वी. विद्यावती को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश पर की गई है। वी. विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की IAS अधिकारी हैं। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु एक प्रमुख संगठन है। ASI का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रख-रखाव करना है। साथ ही यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को भी विनियमित करता है।

प्रवीण राव

अप्रैल 2020 में IT उद्योग की संस्था नासकॉम (NASSCOM) ने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) प्रवीण राय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे WNS ग्लोबल सर्विसेज़ के CEO केशव मुरुगेश का स्थान लेंगे। इसके अलावा एसेंचर (Accenture) की भारत में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेनन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवीण राय और रेखा मेनन की नियुक्तियों की घोषणा नासकॉम की कार्यकारी परिषद की बैठक में की गई, जिसका आयोजन COVID-19 संकट के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। ध्यातव्य है कि यह समय भारतीय IT उद्योग समेत तमाम उद्योगों के लिये एक चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि भारत एक संकटपूर्ण स्थिति का मुकाबला कर रहा है।

विश्वनाथन आनंद

अप्रैल 2020 में विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को 'वर्ल्ड वाइड फंड- इंडिया' (World Wide Fund-India) के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया। इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत देश के युवाओं, स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समस्या हल करने में सक्षम, महत्त्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का निर्माण करना है। वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) का गठन वर्ष 1961 में किया गया था। WWF पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव जैसे विषयों से संबद्ध कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) में है।

पुलिस अधिकारी एला (Ella)

फरवरी 2020 में न्यूज़ीलैंड पुलिस ने एला नाम की अपनी पहली AI-आधारित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। एला कमोबेश इंसानों की तरह ही दिखती है और इसे विश्व के 26 लोगों की विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है। वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में आने वाले लोगों का एला स्वागत करेगी और पुलिसकर्मियों की सूचना भी देगी। एला की कार्यावधि 3 महीनों की है और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसकी सेवाओं को जारी रखने या न रखने का निर्णय लिया जाएगा।

बिमल जुल्का

बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। विदित हो कि इससे पूर्व वे सूचना आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे थे। पिछले मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव 11 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। बिमल जुल्का 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। सूचना अधिकार अधिनयम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्तूबर, 2005 को किया गया था। आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है।

निधन

आर.वी. स्मिथ

दिल्ली के प्रतिष्ठित इतिहासकार और इतिवृत्त लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का अप्रैल 2020 में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आर. वी. स्मिथ का जन्म वर्ष 1938 में आगरा में हुआ था और वे ग्वालियर

आर्मी के कर्नल सल्वाडोर स्मिथ (1783-1871) के परिवार से थे। आर. वी. स्मिथ ने अंग्रेज़ी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने प्रोफेशनल कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1956 में अखबारों में लिखने के साथ की थी। इसके पश्चात् उन्होंने दिल्ली में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) और द स्टेटसमैन अखबार के लिये भी काम किया। उनकी प्रमुख किताबें 'दिल्ली : अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी', 'द दिल्ली दैट नो वन नोज़' आदि हैं। इसके अलावा उन्होंने ताजमहल पर भी एक पुस्तक लिखी है।

टोनी लुईस

वर्षा से प्रभावित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैचों के नतीजे के लिये प्रयोग होने वाले डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धति अर्थात् DLS नियम के सूत्रधार और गणितज्ञ टोनी लुईस का मार्च 2020 में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। टोनी लुईस ने अपने गणितज्ञ साथी फ्रेंक डकवर्थ के साथ मिलकर वर्ष 1997 में डकवर्थ-लुईस स्टर्न पद्धति का प्रतिपादन किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ष 1999 में इसे आधिकारिक स्वीकृति दी। गणित पर आधारित इस पद्धति का इस्तेमाल वर्षा से खेल बाधित होने पर सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में किया जाता है। ध्यातव्य है कि क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप T20 मैचों के अनुकूल न होने के कारण इस पद्धति की आलोचना भी होती रही है। डकवर्थ और लुईस के पश्चात् स्टीवन स्टर्न इस प्रणाली से जुड़े और वर्ष 2014 में इस पद्धति को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नाम दिया गया।

एम.के. अर्जुनन

प्रसिद्ध मलयालम संगीतकार एम.के. अर्जुनन का अप्रैल 2020 में कोची के पल्लुरूथी में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संगीतकार एम.के. अर्जुनन ने अपने पाँच दशक लंबे कैरियर में 700 से अधिक गानों में संगीत दिया था। उन्होंने नाटकों में भी बड़े पैमाने पर काम किया था। वे मशहूर संगीतकार जी. देवराजन के शिष्य थे। एम.के. अर्जुनन ने वर्ष 1968 में करुथापूर्णमी में एक संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने गीतकार श्रीकुमारन थम्पी के साथ लगभग 50 फिल्मों के लिये संगीत तैयार किया था। एम.के. अर्जुनन का जन्म 1 मार्च, 1936 को केरल में हुआ था। ध्यातव्य है कि प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी अपने संगीत कैरियर की शुरुआत वर्ष 1981 में एम.के. अर्जुनन के साथ ही की थी।

रंजीत चौधरी

अप्रैल 2020 में प्रसिद्ध अभिनेता रंजीत चौधरी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 19 सितंबर, 1955 को मुंबई में जन्मे रंजीत चौधरी को 'खट्टा-मीठा', 'बातों बातों में' और 'बॉलीवुड/हॉलीवुड' में उनके अभिनय के लिये याद किया जाता है। रंजीत चौधरी को फिल्मों, टेलीविज़न और थिएटर में अपने बेहतरीन कार्य के लिये काफी जाना जाता था। रंजीत चौधरी ने वर्ष 1978 में फिल्म 'खट्टा मीठा' के ज़रिये बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके पश्चात् उन्होंने 'बातों बातों में' और 'खूबसूरत' जैसी फिल्मों में भी कार्य किया। एक एक्टर के साथ-साथ रंजीत चौधरी बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने सैम एंड मी (Sam & Me) का स्क्रीन प्ले लिखा और उसमें अभिनय भी किया था। भारत के अतिरिक्त उन्होंने विदेशी सिनेमा में भी कार्य किया था।

आर. के. पचौरी

पर्यावरणविद् और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) के संस्थापक डॉ. आर. के. पचौरी का 13 फरवरी, 2020 को निधन हो गया। पचौरी वर्ष 2002 से 2015 तक IPCC के चेयरमैन भी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2007 में IPCC को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

अन्य चर्चित व्यक्ति

पी.वी. सिंधु

विश्व चैंपियन पी.वी. सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ के 'आई एम बैडमिंटन' (I am Badminton) अभियान का एंबेसडर नामित किया गया। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने के लिये मंच प्रदान किया जाता है जहाँ वे ईमानदारी से और साफ-सुथरा खेल खेलने की बात करते हैं।

पुलेला गोपीचंद

फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को 2019 कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया। पुलेला गोपीचंद को पुरुष वर्ग में 'ऑनरेबल मेंशन' से नवाज़ा गया। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय हैं। IOC कोच 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' विश्व भर के ऐसे कोचों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने में योगदान देता है, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को विकसित करने तथा प्रोत्साहित करने हेतु कार्य किया है।

मनप्रीत सिंह

फरवरी 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। मनप्रीत पहले भारतीय हैं जिन्हें FIH द्वारा प्लेयर ऑफ ईयर चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी।

महाराजा रणजीत सिंह

BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगज़ीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में महाराजा रणजीत सिंह का चयन विश्व में सर्वकालिक 'सबसे महान नेता' के रूप में किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह को एक सहिष्णु साम्राज्य बनाने के लिये 38 प्रतिशत से अधिक वोटों के साथ चुना गया। सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहे एमिलकर कैबरल को 25 प्रतिशत वोट मिले। कैबरल अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अफ्रीकी स्वतंत्रता में प्रमुख भूमिका निभाई थी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर, 1780 को गुजरांवाला, पाकिस्तान में हुआ था। रणजीत सिंह ने न केवल पंजाब को एकजुट रखा, बल्कि अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी।

पुरस्कार

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनज़र एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में पहचाने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह तीसरी बार हुआ है, जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 1970 में आर्थिक संकट के दौर में और वर्ष 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण यह पुरस्कार रद्द किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पूर्व अरविंद केजरीवाल, अरुणा रॉय और संजीव चतुर्वेदी सहित कई अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। एशिया का नोबेल माना जाने वाला यह पुरस्कार एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्त्व के लिये दिया जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार मुख्यत: 5 श्रेणियों में दिया जाता है।

वर्ल्ड एयरपोर्ट अवॉर्ड्स

बंगलूरू स्थित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाईअड्डा चुना गया है। इस हवाईअड्डे का परिचालन बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार, गत चार वर्षों में यह तीसरी बार है जब बंगलूरू के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाईअड्डे के रूप में चुना गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, हवाईअड्डों के उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2020 के लिये सिंगापुर के चांगी हवाईअड्डे को लगातार आठवीं बार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हेतु विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डा चुना गया है।

गांधी शांति पुरस्कार-2020

COVID-19 के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार, 2020 के लिये नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई थी। इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिये नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 थी। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के लिये प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रदान किये जाने वाले इस पुरस्कार के साथ ₹1 करोड़ की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान की जाती है। नियमों के अनुसार, यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी राष्ट्र, प्रजाति, धर्म और लिंग से संबंधित हो। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी और तब से यह अनवरत प्रदान किया जा रहा है।

सिल्वर पुरस्कार

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वर्ष 2019-20 के संबंध में डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया में उत्कृष्टता के लिये भारत निर्वाचन आयोग को 'सिल्वर' पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार उन परियोजनाओं के लिये दिया जाता है, जिनमें कार्यप्रणाली का मूल्यांकन शामिल होता है तथा जिनके तहत कुशलता, प्रक्रिया, गुणवत्ता और सेवा के क्षेत्र में सुधार किया जाता है। यह पुरस्कार 7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई में आयोजित ई-प्रशासन पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया।

ललित कला अकादमी पुरस्कार

भारत के राष्ट्रपति ने 4 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। ललित कला अकादमी प्रत्येक वर्ष कला को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिये कला प्रदर्शनियों एवं पुरस्कार समारोहों का आयोजन करती है। कला की 61वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 22 मार्च, 2020 तक पुरस्कार विजेता कलाकारों की कलाकृतियाँ ललित कला अकादमी की दीर्घाओं में प्रदर्शित की गई।

पद्म पुरस्कार-2020

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिये 141 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात् कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिये जाते हैं। **पद्म विभूषण** पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है। **पद्म भूषण पुरस्कार उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है। पद्म श्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।** ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल के आस-पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किये जाते हैं। इस बार 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची में 34 महिलाएँ हैं और इस सूची में 18 व्यक्ति विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के हैं तथा 12 व्यक्ति मरणोपरांत पुरस्कार पाने वालों की श्रेणी में हैं।

पद्म विभूषण पुरस्कार

नाम	क्षेत्र	राज्य/देश
श्री जॉर्ज फर्नांडिज़ (मरणोपरांत)	राजनीति	बिहार
श्री अरुण जेटली (मरणोपरांत)	राजनीति	दिल्ली
श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जीसीएसके	राजनीति	मॉरीशस
श्रीमती एम. मैरीकॉम	खेल	मणिपुर
श्री छन्नू लाल मिश्र	कला	उत्तर प्रदेश
श्रीमती सुषमा स्वराज (मरणोपरांत)	राजनीति	दिल्ली
श्री विश्वेशतीर्थ स्वामीजी श्री पजवरा अधोखज मठ उडुपि (मरणोपरांत)	आध्यात्मिकता	कर्नाटक

अन्य घटनाक्रम

ऑपरेशन वॉर्प स्पीड

'ऑपरेशन वॉर्प स्पीड' संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा COVID-19 से निपटने के लिये शुरू की गई एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी पहल है। इसका उद्देश्य COVID-19 के टीके, चिकित्सा विधान/चिकित्सा शास्त्र और नैदानिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना एवं उसमें तेज़ी लाना है। यह एक प्रकार का अंतर-संस्था कार्यक्रम है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के निम्नलिखित घटक शामिल हैं: रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और निजी फर्म।

'FIR आपके द्वार' पहल

मध्य प्रदेश सरकार ने 'FIR आपके द्वार' (FIR Aapke Dwar) पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत पीड़ितों को 'प्राथमिकी' अथवा 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (FIR) दर्ज कराने के लिये पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा, बल्कि पुलिस अधिकारी स्वयं पीड़ितों के घर आकर FIR दर्ज करेंगे। इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिये हेड कांस्टेबल तैनात किये गए हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (FRV) के माध्यम से मौके पर ही अपेक्षाकृत कम गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिये FIR दर्ज करेंगे।

मिशन सागर

10 मई, 2020 को COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस देशों को सहायता पहुँचाने के लिये 'मिशन सागर' प्रारंभ किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज़ 'केसरी' को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएँ, COVID-19 से संबंधित दवाएँ, विशेष आयुर्वेदिक दवाएँ एवं चिकित्सा सहायता दलों के साथ भेजा गया है। यह अभियान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय के साथ शुरू किया गया है। यह मिशन प्रधानमंत्री की 'सागर' (Security and Growth for All in the Region -SAGAR) पहल के अनुरूप है जो भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्त्व को रेखांकित करता है एवं मौजूदा संबंधों को और मज़बूती प्रदान करेगा।

विंबलडन टूर्नामेंट

1 अप्रैल, 2020 को 'ऑल इंग्लैंड क्लब' ने COVID-19 महामारी के कारण विंबलडन टूर्नामेंट-2020 को रद्द कर दिया। चैंपियनशिप विंबलडन, जिसे आमतौर पर विंबलडन या द चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915-18 और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1940-45 की अवधि को छोड़कर वर्ष 1877 से प्रत्येक वर्ष इस टूर्नामेंट का आयोजन लंदन के विंबलडन में स्थित ऑल इंग्लैंड क्लब में किया जाता है।

हैक द क्राइसिस-इंडिया

अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने "हैक द क्राइसिस- इंडिया" नामक ऑनलाइन हैकाथॉन लॉन्च किया। इस हैकाथॉन का उद्देश्य कोरोना वायरस (COVID-19) के लिये एक व्यावहारिक समाधान खोजना है। इसका आयोजन 'हैक ए कॉज़- इंडिया' और 'फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन पुणे' द्वारा किया गया। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का समर्थन भी प्राप्त हुआ। इस हैकाथॉन के माध्यम से कुछ शीर्ष भागीदार टीमों से मिले विचारों को लागू करके कोरोना संकट से निपटने का यथासंभव प्रयास किया गया। ध्यातव्य है कि यह पहल एस्टोनिया (यूरोप का एक देश) में आयोजित "हैक द क्राइसिस" नामक पहल का हिस्सा थी। इस पहल के तहत वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन 9 अप्रैल, 2020 से 11 अप्रैल, 2020 के बीच किया गया।

'करुना' पहल

IAS, IPS और IRS सहित भारत की विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिये 'करुना' (CARUNA) नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। 'करुना' एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिये सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर-सरकारी संगठनों के पेशेवर और IT पेशेवर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस पहल के माध्यम से COVID-19 से निपटने के लिये सरकार के 11 सशक्त समूहों के प्रयासों को सहायता देने के लिये ज़िला स्तर तक फैले अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। इस मंच का उपयोग स्वास्थ्य उपकरणों और निर्माताओं के डाटाबेस को एकत्रित करने के लिये किया जाएगा और यह मंच दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के वितरण की सुविधा भी प्रदान करेगा।

इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी (NASSCOM) ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ 'इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया' अभियान शुरू किया। इस पहल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और अन्य तकनीकों की मदद से दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे- ई-गवर्नेंस, आजीविका, स्वास्थ्य और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आस्कदिशा

IRCTC ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने और ई-टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in का उपयोग आसानी से करने के लिये आस्कदिशा (ASKDISHA) का उन्नयन किया है। रेल यात्रियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में इंटरनेट पर रेल यात्रियों

की समस्याओं के समाधान के लिये भारतीय रेलवे ने अक्तूबर 2018 में कृत्रिम बुद्धिमता आधारित आस्कदिशा नामक एक चैटबॉट की सुविधा शुरू की थी। इस चैटबॉट की शुरुआत टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in एवं IRCTC की पर्यटन वेबसाइट www.irctctourism.com के उपयोगकर्त्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये की गई है।

5जी हैकथॉन

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने शिक्षाविदों और औद्योगिक हितधारकों के साथ मिलकर 5जी हैकथॉन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत के मुख्य अत्याधुनिक विचारों को शॉर्टलिस्ट करना है। जिन्हें व्यावहारिक रूप से 5G उत्पादों एवं उनके समाधान के लिये उपयोग किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का समापन 16 अक्तूबर, 2020 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एक भव्य समारोह के साथ होगा।

इंद्रधनुष

24 फरवरी, 2020 को भारतीय वायु सेना और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु सेना स्टेशन पर इंद्रधनुष युद्धाभ्यास के पाँचवें संस्करण की शुरुआत की। युद्धाभ्यास के इस संस्करण में 'बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन' पर ज़ोर दिया गया है। यह युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स को अपने-अपने देश के प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरों से निपटने हेतु मान्य रणनीतियों और युक्तियों को साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करता है। भारत एवं ब्रिटेन के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर- सैन्य अभ्यास तथा कोंकण- नौसेना अभ्यास हैं।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020

मार्च 2020 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग के 2020 संस्करण में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को विश्व के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2020 को क्वैकरेली साइमंड्स द्वारा लंदन में जारी किया गया। क्वैकरेली साइमंड्स वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है। क्यूएस रैंकिंग के लिये चार प्रमुख कारकों का उपयोग किया जाता है जिसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति पेपर उद्धरण और एच-इंडेक्स शामिल हैं।

फूडबैंक इंडिया

भारतीय खाद्य बैंकिंग नेटवर्क भारत में भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिये सरकार, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को एक साथ लाकर भारत में हज़ारों आहार कार्यक्रमों का समर्थन करने हेतु खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेपों के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है। सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी-2 में वर्ष 2030 तक ज़ीरो हंगर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है) के अनुरूप है। इसका उद्देश्य पूरे देश में फूडबैंक्स का एक मज़बूत एवं कुशल नेटवर्क स्थापित करना है ताकि वर्ष 2030 तक प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक फूडबैंक की स्थापना हो सके।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ चीन ने मार्च 2020 के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक महीने अपने सदस्यों के बीच अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम के अनुसार बदलती रहती है। वियतनाम ने जनवरी 2020 में तथा बेल्जियम ने फरवरी 2020 में इसकी अध्यक्षता की थी। जबकि मार्च 2020 में चीन के बाद इसकी अध्यक्षता अप्रैल 2020 में डोमिनियन गणराज्य को दी गई।

महुआ न्यूट्रिबेवरेज

भारत सरकार पहली बार बाज़ार में एक महुआ आधारित मादक पेय लॉन्च करेगी जिसे महुआ न्यूट्रिबेवरेज कहा जाता है। यह महुआ न्यूट्रिबेवरेज छह फलों के स्वाद में आएगा। यह पेय उच्च पोषक तत्त्वों और अपेक्षाकृत अल्कोहल की कम मात्रा (केवल 5%) से युक्त होगा। इसे आईआईटी दिल्ली ने ट्राइफेड के सहयोग से दो वर्षों के शोध के बाद विकसित किया है।

गौरा देवी

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में चिपको आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्त्ता गौरा देवी की याद में एक पौधा लगाया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1-8 मार्च, 2020 तक महिला सप्ताह मनाया गया। इसी क्रम में केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। खेजड़ली (जोधपुर) राजस्थान में वर्ष 1730 के आस-पास अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर उनको बचाने के लिये आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद 1970 के दशक में हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली, उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था।

प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020

भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 'प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020' का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ द्वारा किया गया।

सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़

नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ (CLAWS) भारतीय संदर्भ में रणनीतिक अध्ययन एवं जमीनी युद्ध पर एक स्वायत्त थिंक टैंक है। CLAWS सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और यह सदस्यता आधारित संगठन है। इसका संचालन बोर्ड

ऑफ गवर्नर और एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ज़मीनी युद्ध के बदलते तरीकों और सेना पर इसके प्रभाव के बारे में विचार-विमर्श किया गया। इसमें 'प्रौद्योगिकी क्रांति- एक मौलिक चुनौती' विषय के तहत बहुपक्षीय इन्फॉरमेशन वॉरफेयर, साइबर एवं स्पेस वॉरफेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स के प्रभाव पर चर्चा की गई।

आयुष शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति एवं शब्दावली के मानकीकरण पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICoSDiTAUS-2020) का 26 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में समापन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 25-26 फरवरी, 2020 के दौरान आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा को महत्त्व देने वाले 16 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भविष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया।

यार्ड 45006 वज्र

27 फरवरी, 2020 को चेन्नई में तटीय सुरक्षा बढ़ाने हेतु 6ठे तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत 'यार्ड 45006 वज्र' को लॉन्च किया गया। इस पोत द्वारा लगभग 7500 किमी. विशाल भारतीय तटरेखा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के लगभग 20 लाख वर्ग किमी. के विशाल क्षेत्र को सुरक्षित करने की कोशिश की जाएगी। 6ठे अपतटीय गश्ती पोत 'यार्ड 45006 वज्र' को पहली बार समुद्र में उतारा गया। यह पोत केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित की जा रही सात अपतटीय गश्ती पोत प्रोजेक्ट की शृंखला में 6ठे है।

1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स

भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्री ने 27 फरवरी, 2020 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में 'स्थानीय स्व- शासन में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम' के अवसर पर '1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स' और जीआईएस-आधारित स्प्रिंग एटलस से संबंधित सूचनाओं के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त जलापूर्ति में सुधार करना है।

जनौषधि सप्ताह

देश भर में 1-7 मार्च, 2020 तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जाँच शिविर, 'जन औषधि परिचर्चा' एवं 'जन औषधि का साथ' जैसी विभिन्न गतिविधियाँ चलाई गईं। इसका आयोजन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश भर में रक्तचाप, मधुमेह की जाँच, डॉक्टरों द्वारा निशुल्क चिकित्सा जाँच एवं दवाओं का मुफ्त वितरण किया गया। 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है, जो सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध करा कर आम जनता को लाभ पहुँचा रही है।

नौसेना अभ्यास मिलन-2020

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने बहु-राष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास 'मिलन 2020' को टाल दिया है। इसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की नौ सेनाओं के बीच व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना एवं सामुद्रिक क्षेत्र में एक-दूसरे की शक्तियों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से ज्ञान प्राप्त करना है। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की शृंखला है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। वर्ष 1995 के बाद से अब तक नौसेना ने विदेशी नौसेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण पेशेवर बातचीत को बढ़ाने और एक-दूसरे के सर्वोत्तम तरीकों को सीखने के लिये 'समुद्र पार तालमेल' के विषय के साथ मिलन अभ्यास के 10 संस्करण आयोजित किये हैं। वर्ष 2018 तक इसका आयोजन अंडमान एवं निकोबार कमान में किया गया। परंतु अभ्यास की बढ़ती संभावना और जटिलता के कारण पहली बार इसका आयोजन विशाखापत्तनम कमान में किया जाना था। इस अभ्यास में दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ऐसे 41 देशों को आमंत्रित किया गया था जिनके साथ भारत के सैन्य संबंध हैं।

23वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020

23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से लखनऊ में किया। इसका उद्देश्य एक ऐसा क्षेत्र विकसित करना है जहाँ युवा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का आदान-प्रदान कर सकते हैं ताकि विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का यह मिश्रण 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (Ek Bharat Shreshtha Bharat) के उद्देश्य को साकार कर सके। केंद्र सरकार वर्ष 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम 'फिट यूथ फिट इंडिया' (FIT YOUTH FIT INDIA) है।

ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन, 2020

- जुलाई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत की गई। यह एमएचआरडी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल है।
- इस पहल के माध्यम से विश्व स्तर पर जो भी कंपनी कोरोना वैक्सीन को निर्मित करेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा।

दिवस/सम्मेलन

तिथि	दिवस	मुख्य विषय
3-7 जनवरी, 2020	107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : ग्रामीण विकास।
6-10 जनवरी, 2020 (पुणे)	एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन	–
9 जनवरी	प्रवासी भारतीय दिवस	–
10 जनवरी, 2020	विश्व हिंदी दिवस	–
12 जनवरी, 2020	राष्ट्रीय युवा दिवस	–
13 जनवरी, 2020	विश्व रेडियो दिवस	Radio and diversity
24 जनवरी, 2020	राष्ट्रीय बालिका दिवस	–
24 जनवरी, 2020	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	Learning for people, planet, property, and peace.
25 जनवरी, 2020	राष्ट्रीय मतदाता दिवस	मजबूत लोकतंत्र के लिये चुनावी साक्षरता
2 फरवरी, 2020	विश्व आर्द्रभूमि दिवस	आर्द्रभूमियाँ एवं जैव विविधता
4 फरवरी, 2020	विश्व कैंसर दिवस	'I am and I will'
5-8 फरवरी, 2020 (लखनऊ)	डेफएक्सपो 2020	थीम: इंडिया : द इमर्जिंग डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हब (India : The Emerging Defence Manufacturing Hub)
20 फरवरी, 2020	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	थीम: विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएँ।
21 फरवरी, 2020	अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	Languages without bordery
28 फरवरी, 2020	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	विज्ञान में महिलाएँ
3 मार्च, 2020	विश्व वन्यजीव दिवस	'Sustaining all life on earth'
5-7 मार्च, 2020 (कोलकाता)	नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	–
8 मार्च, 2020	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	I am Generation equality : Reading women's Rights'
13 मार्च, 2020	विश्व वृक्क दिवस	–
13 मार्च, 2020	वर्ल्ड स्लीप डे	Better sleep, Better life, Better planet
14 मार्च	पाई (π) डे	–
15 मार्च, 2020	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	'The Sustainble consumer'
20 मार्च, 2020	अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस	'Happiness for all, together'
21 मार्च, 2020	अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस	वन एवं जैव विविधता
22 मार्च, 2020	विश्व जल दिवस	जल एवं जलवायु परिवर्तन
23 मार्च, 2020	विश्व मौसम विज्ञान दिवस	जलवायु एवं जल
24 मार्च, 2020	विश्व क्षयरोग दिवस	'It's Time'
28 मार्च, 2020	अर्थ ऑवर	–
2 अप्रैल, 2020	विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस	'The transition to adulthood'
4 अप्रैल, 2020	अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस	–
7 अप्रैल, 2020	विश्व स्वास्थ्य दिवस	'Support Nurses and Midwives'
12 अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस	–
26 अप्रैल	विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	थीम: इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर।
11 मई, 2020	29वाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	मुख्य फोकस: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिबूट करना।
17 मई, 2020	विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस	थीम: Connect 2030 : ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)
21 मई, 2020	अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस	–